

३-७-

# वार्षिक राज्य

तथा

नाच त भारत

की

राज्य-प्रणाली



कलेज संस्कृत

वालकुण्ठ

पुरुतकों के नाम जिनमें से वाक्य

उद्धृत किये गये हैं:-

- १—चार वेद
- २—शतपथ, तैत्तिरीय तथा ऐतरेय ब्राह्मण
- ३—रामायण
- ४—महाभारत—शान्ति पर्व
- ५—मनुस्मृति
- ६—धर्म सूत्र
- ७—शुक्र नीति
- ८—चाणक्य, अर्थशास्त्रम्
- ९—कामन्दकीय शास्त्रम्
- १०—सत्यार्थ प्रकाश
- ११—वेदादि भाष्य भूमिका
- १२—रामदेव—भारत वर्ष का इतिहास
- १३—बालकृष्ण—भारत वर्ष का संक्षिप्त इतिहास
- १४—हिन्दुओं की राज कल्पना
- १५—Hobbes-Leviathan
- १६—Bluntschli-The State
- १७—Aristotle-Politics
- १८—J. S. Mill-Representative Government
- १९—R. David-Budhistic India

# श्रुतिशास्त्रालंजा ।



प्राचीन आर्य साहित्य और जगत् के गत इतिहास की सहायता लेकर इस पुस्तक को रचा गया है। इस के पाठ से पाठक वृन्द निम्न बातों का ज्ञान प्राप्त करेंगे:-

( I ) राज विषयक बातों में आर्यों की उन्नति तथा अवन्नति के कारण प्रतीत होंगे:-

( II ) वेदों के ईश्वरीय ज्ञान होने का एक दृढ़ प्रमाण मिलेगा क्योंकि गत तीन हज़ार वर्षों के संसार-इतिहास के ऐतिहासिकों का यह पूर्ण विश्वास है कि एक सत्तात्मक और वह भी वंश परम्परा का शासन आदर्श राज नहीं-वह दोषों की खान है। हाँ, जाति २ की स्वभ्यता के भिन्न होने से भिन्न प्रकार की शासन शौलियाँ आवश्यक हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि अधिकतम खुख, शांति वा उन्नति-मानसिक आत्मिक और शारीरिक, किस राज-पद्धति से प्राप्त हो सकती है? राज विषयक कौनसा आदर्श मनुष्यों को अपने सामने रखना चाहिये? नीतिशास्त्र के तत्व वेताओं ने विस्पष्टतया दिखाया है कि प्रजात्मक राज्य श्रेष्ठ होता है, वही मानव जाति

का उद्देश्य आदर्श वालक्ष्य है, इस सर्वोत्तम साधन की प्राप्ति से अधिकतम शांति तथा उन्नति प्राप्त हो सकती है। चारों वेदोंने भी इसी राज—प्रणाली का प्रतिपादन किया है और मनुष्यों ने सहस्रों वर्षों के अनुभव से प्रजात्मक राज को ही उत्तम निश्चित किया है। इस प्रकार वेदों का अद्भुत महत्व है।

( iii ) हमारे पूर्वजों ने राज के प्रारम्भ और अद्भुत के बारे में जो विचार कई हज़ार वर्ष पूर्व प्रकट किये थे वही विचार योरुप में तीन चार सौ वर्षों से प्रकट हुए हैं।

( IV ) राज के भिन्न २ प्रकार भी सब से पहिले भारतीय आच्यों ने बताये।

( V ) यद्यपि भारत के ज्ञात इतिहास में वंशपरम्परा एक सत्तात्मक राज्यपद्धति ही प्रचलित दीख पड़ती है तथापि वेदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों की आज्ञाओं के बह सर्वथा विरुद्ध थी, वेदादि सत् शास्त्रों ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र गुण कर्म स्वभाव से माने हैं न कि जन्म से—अतः राजा के घर में उत्पन्न बालक को अवश्य राजा बनाया जावे यह विधि आच्यों के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। हाँ, जब भारत में जाति की अवस्था गिर गयी, तब वंश परम्परा एक सत्तात्मक राज प्रणाली यहाँ पर प्रचलित की गयी, यद्यपि ऐसा करने में वेदोक्त आदर्श से गिरना भी पड़ा।

( VI ) आर्यावर्त में एक सत्तात्मक राज जब आवश्यक हुआ तो उसे सुखकारी बनाने के लिये उस के स्वेच्छाचार को कई प्रकार के कड़े बन्धनों से रोक कर पितावत राज्य शैली की गयी ।

( VII ) कुछ काल के व्यतीत होने पर एक सत्तात्मक राज को आवश्यक समझते हुए राजा की शक्ति को बढ़ाने का महान् यज्ञ किया गया जिस से प्रजा की स्वतन्त्रता, साहस, नवीनता, सदाचार, सद्विचार आदि पर बुरा प्रभाव पड़ा, अतः वे मुसलमानों के स्वेच्छाचार और अत्याचार के लिये तत्प्यार हो गये ।

( VIII ) राजा गण राष्ट्र को निज की जायदाद अमली तौर पर समझ कर उसे दान देते रहे यद्यपि उनका यह कार्य वेद विरुद्ध था जैसा कि जैमिनी मुनी ने मीमांसा दर्शन में दिखाया है ।

( IX ) संसार में जहाँ २ भी सत्तात्मक वंशपरम्परा का स्वेच्छाचारी राज रहा, वहाँ अन्ततः प्रजा की उन्नति रुक गयी या प्रजा अवनत हो गयी-अतः वह आदर्श राज नहीं । प्रजा का राज प्रजा के हितार्थ ही आदर्श राज्य है ।

( X ) उक्त सद् सिद्धान्तों की पुष्टि वेदों के बहुत से मन्त्रों से मिलती है। हमारे पूर्वजों ने ईश्वरीय ज्ञान के विरुद्ध चलकर अकथनीय संकट सहन किये। अब लगभग सर्व सम्य जातियों में पूजात्मक राज है भारत में वह राज पद्धति नहीं क्योंकि भारतीय उस के अभी योग्य नहीं, किन्तु आशा है कि इस पुस्तक के पाठ से उनके दिलों में पूजात्मक राज प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा उत्पन्न होगी और वे नियमों में चलते हुए उसकी प्राप्ति का यत्न करेंगे !

गुरुकुल आषाढ़ १९७९

✓ बालकृष्ण

# विषय सूची

---

अध्याय १

राज्य का उद्देश

अध्याय २

राज्य की किस्में

अध्याय ३

भारत में एक सत्ता का वंशागत राज्य रहा है।

अध्याय ४

यह एक सत्ता का राज्य पैत्रिक बनाया गया था।

अध्याय ५

इस राज्य के दोष और प्रजातन्त्र राज्य के लाभ।

अध्याय ६

वेदोक्त राज्य।

## अध्याय १

### राज्य संस्था का आरम्भ ।

---

राज-उद्घव के विषय पर योग्य के विद्वानों ने आज तक भिन्न २ समतियाँ प्रकट की हैं उन्हें संक्षेप से यहां बताया जाता है, और साथ ही उन की तुलना आर्य ऋषियों के सिद्धान्तों से की जाती है ।

### सुवर्ण काल का सिद्धान्त ।

(क) सँसार के आदि में सुवर्णकाल था उसके व्यतीत होने पर जब लोगों के आचार अष्ट हो गये तो राज्य का उद्घव हुआ—अतः राज्य एक आवश्यक चुराई है । बलन्टशिल्डी साहब ने यूं लिखा है:-

The popular imagination has dreamed of the golden age of Paradise, in which there were as yet no evils and no injustice, while all enjoyed themselves in the unlimited freedom and happiness of their peaceful existence. Every one was like another. Then too there was neither ruler nor subject, nor Magistrate nor judge, nor army, nor taxes. In comparison with such an ideal the later political

condition of man must appear perversion and decline. Thus the state was thought of as a necessary evil, at least as an institution of compulsion and constraint to avoid greater evils.

यही विचार हमें महाभारत के शान्ति पर्व में मिलता है जो आङ्गुल भाषा में यूं है—

At first there was no sovereignty, no king, no punishment, and no punisher. All men used to protect one another piously. As they thus lived, Bharat, righteously protecting one another, they found the task in time to be painful. Error then possessed their hearts. Having become subject to error, their virtue began to wane, they became covetous, lustful and wrathful.

Bhism Parva, chap-59.

अर्थात्, “भीष्म बोले, हे पुरुषसिंह युधिष्ठिर ! पहिले सत्ययुग में जिस प्रकार राजस्व स्थापित हुआ था, उसे मैं कहता हूं । चित्त लगाके सुनो । पहिले राजा व राज्य, दण्ड कर्ता और दण्ड कुछ भी न था । प्रजा ही धर्म की अनुगामिनी हो कर आपस में एक दूसरे की रक्षा करती थी । हे भरत ! इसी शान्ति एक दूसरे की रक्षा करते हुए ये सब कोई, क्रम से

योके गये और उनका वित्त भ्रमित होने लगा, तब ज्ञान का लोप हुआ, धर्म कार्य नष्ट हुआ और वे लोग सोहे तथा लोभ में रत्त होकर विषय वासना और इन्द्रिय सुख आदि कामनाओं में लगे। ऐसे मनुष्यों को नियम में रखने के लिये ब्रह्मा ने विरजस नामी राजा राज करने के लिये भेजा।

## आदर्श दशा

स्पष्ट है कि सत्ययुग में कोई राजा और प्रजा की संस्था न थी। सब लोग स्व २ धर्मों में स्थित थे 'तंधा' 'तुख' 'पूर्वक' जीवन व्यतीत करते थे। सब अपने अधिकारी की अवधि में रहते थे और अन्यों के अधिकारीं पर आक्रमण न करते थे। बस-इच्छी, में एक दूसरे की परस्पर रक्षा होती थी। धार्मिक जनों के लिये किसी राजा, शासक, दंपड देनेवाले प्रधान की आवश्यकता न थी और न अब है। हाँ, जब सोहे में 'पढ़कर' नर नारियों में अधार्मिक वृत्ति आई और वे 'एक दूसरे' के अधिकारीं पर आक्रमण करने लगे, पापाचरण में जीवन व्यतीत होने लगा तो उन लोगों

को अपनी २ अवधि में रखने के लिये एक शासक व राजा की आवश्यकता हुई। यदि प्रजा न्याय तथा धर्मानुकूल जीवन याता करे तो राजा की आवश्यकता नहीं। सत्ययुग में ऐसा ही था और पश्चिम के कई विचारक भावी में ऐसी ही विराजता लाना चाहते हैं क्योंकि पूर्वी और पश्चिमी ऋषियों ने राज संस्था को (The Government is a necessary evil) एक आवश्यक बुराई कहा है।

(ख) योग्य में दूसरा सिद्धांत हाब्ज़ और सिपीनोज़ा नामी महाशयों का चलाया हुआ है, वह यह कि अरमिभक अवस्था निरन्तर संग्राम की अवस्था थी, उसमें मनुष्य मनुष्य से लड़ता रहता था—There was war of every one against every one—Hobbes. हाब्ज़ के विचारों को भारत में मनु भगवान् ने सहस्रों वर्ष पूर्व प्रकट किया था। उनके वाक्य हैं कि जब २ राजा लौग अपराधियों को दण्ड नहीं देते तब २ बलबान लौग निर्बलों को इस प्रकार खा जाते हैं जिस प्रकार कि मांसाशी शूलों पर भछलियों को भूनकर खाजाते हैं, जैसे कि कौवा पुरोडाश को खाजाता है और कुत्ता हवि उठा ले जाता है। तथा नीच मनुष्य उच्च और

उच्च मनुष्य नीच हो जाते हैं। वस्तुतः उब मनुष्यों में  
उपद्रव हो जाता है और सब बर्ण टूट जाते हैं।

अब राष्ट्र उद्घाष के लीकरे लिहुांत को लीजिये ।

( ८ ) राज दैवी संस्था है—The State is a Divine Institution. According to the theocratic conception of the Middle ages the chiefs of Christendom are the representatives of God himself. Rulers ( Pope, Emperor, and kings, ) have thus in their own persons the fulness of authority." Stahl.

अर्थात् राज्य एक परमात्मा की ओर से दी हुई संस्था है। राजागण परमात्मा के प्रतिनिधि हैं। परमात्मा ने अपने पुत्रों के हितों के लिये स्वयम् इस राज्य रूपी संस्था को चलाया है। बहुदियों और ईसास्त्रियों ने इस विचार की पुष्टि की और ग्रन्थेकं स्वेच्छाचारी राजा ने इस सिद्धान्त को पुष्ट किया, क्योंकि इस से उनके भजीरथों की लिहुी हो सकती थी। योरुप के राजाओं के दैवी अधिकार Divine Rights भी इसी सिद्धान्त पर आश्रित हैं।

किंतु मनु महाराज ने लिखा है—विना राजा के इस संसार में सिंडबली भज जाती—इस कारण सब की

रक्षा के लिये ईश्वर ने राजा को उत्पन्न किया । इन्द्र, वायु आदि ७ देवताओं के अंशों का निंचोड़ निकाल कर राजा बनाया, और चूंकि देवों के अंशों से राजा बना है, इस लिये वह अपने तेज से सब प्राणियों को दबाता है । राजा का तेज, देखने वालों की आंखों और मनों की सूर्य के समान अस्त्व होता है और पृथिवी पर कोई पुरुष राजा के सामने होकर नहीं देख सकता । मनुष्य जानकर बालक राजा का भी अपमान करना उचित नहीं क्योंकि वह एक महादेवता अनुष्ठप रूप से स्थित है । एवम् “न राज्ञामधंदोषोऽस्ति” राजों को कोई पाप नहीं लगता । यह ठीक यही बाक्य हैं जो योहप में चिरकाल तक प्रचलित रहे और अब तक इंग्लैंड की राजनीति की नीव है—The king can do no wrong—राजा कोई अपराध नहीं कर सकता । योहपीय विचारकों के शब्दों में दैवी अधिकारों का सिद्धान्त यह है:—

इस सिद्धान्त के अनुकूल जाति एक बड़ा परिवार है, जिस में राजा ईश्वर की ओर से निश्चित शासक है । राजा का कर्तव्य पितावत शोसन करना है । मजा का कर्तव्य उस राजा की आज्ञा हसी मकार

पालन करना है जैसे पुत्र पुत्रियाँ पिता कीआज्ञाओं  
का पालन करती हैं । यदि राजा भूलें करता है, क्रूर  
अन्यायी, अत्याचारी है तो प्रजा का ऐसा ही दुर्भाग्य है,  
कि सी अवस्था में उस राजा के विहङ्ग विरोध  
करना उचित नहीं । परमात्मा के खामने ही वह  
राजा उत्तरदाता है और प्रजा पर किए हुए अत्या-  
चारों का बदला अपने प्रतिनिधि राजा से ईश्वर ले  
लेता है अतः प्रजा दल को खदैब संतुष्ट रहना चाहिये ।  
वंश परम्परा का राज ही नियम बहु है । प्रजा के लिये  
अपने शासकों का निर्वाचन करना या स्वयं शासन  
में भाग लेना अस्वाभाविक है । राज-शक्ति ईश के  
नियमों के अनुकूल है अतः कोई सांसारिक शक्ति उस  
की आधक नहीं होसकती, जो बस्तु वा संस्था मनुष्य  
के लिये स्वाभाविक है वह देवी अधिकार से यहाँ  
विद्यमान है, राज मनुष्य के लिये स्वाभाविक है अतः  
राज देवी अधिकारों वाला है । अतः राजाओं को  
देव समझना चाहिये । इस कारण एक आङ्गल ने कहा  
है Divinity that doth hedge a king—राजा पर दिव्य  
गुणों का आवरण है । एक अन्य कवि ने यह विचित्र  
शब्द लिखे हैं—

Not all the water in the rough rude sea,  
Can wash the balm off from an anointed king.  
The breath of worldly men can not depose  
The deputy elected by the Lord

अर्थात् जाद्युखल सागर का सम्पूर्ण जल भी  
अभिषिक्त राजा की शुगन्धि को नहीं धो सकता ।  
सांसारिक सनुष्यों का वद्वल परमात्मा से निर्वाचित  
प्रतिनिधि को पदच्युत नहीं कर सकता ।

इस पुस्तक के अन्त में हम दिखावेंगे कि यही  
विचार यद्यपि भारत में भी लहसुओं वर्षों तक प्रचलित  
रहे तथा पि वे ब्रेदोल आज्ञाओं के सर्वथा विरुद्ध हैं ।  
राजा प्रजा से निर्वाचित सभापति पुरुष है न कि  
ईश्वर का प्रतिनिधि हैवता, और वह पदच्युत भी  
किया जा सकता है ॥

उक्त दैवी सिद्धान्त ने ही ईसाइयों पर लहसुओं  
अत्याधार करने वाले रोमल बादशाह क़ूर नीरो से  
यह कहलकाया:-—Let every soul be in subjection to  
the higher powers; for there is no power but of God;  
and the powers that be, are ordained of God.”

प्रत्येक आत्मा को उच्च शक्तियों के आधीन  
रहना आहिये क्योंकि इस उंसार्वे सर्व शक्ति दैवी है

और जिनके स्वत्व में राज शक्ति है-उन्हें परमात्मा की ओर से यह शक्ति मिली है।

ऐसे शब्द नास्तिकपन-नास्तिकत्व के साक्षी हैं और परमात्मा के पुत्रों की हत्तक करने वाले भी साथ हैं। किन्तु इन सब का खरोष्वर कदाचित् राजी-दय के दैवी चिह्नान्त हो सकते हैं।

इसी दैवी चिह्नान्त ने सब राज कर्मचारियों और विशेषतया कई राजाओं की बे जिम्मेवार, अनुकूल-दाता राक्षस बनादिया। यही विचार था कि जिसने फँस के प्रसिद्ध स्वेच्छाचारी लादशाह-लूई औद्देहिं से कहलवाया कि

We Princes are the living images of Him, who is all holy and all powerful. हम राजागण उस पवित्र और सर्वशक्तिमान् परमेश्वर की जीवित सूर्तियां हैं।

इसी लूई के मन्त्री बूसें- (Bossent) ने कहा कि Kings are the ministers of God and his vicegerents on earth. The Throne of a King is not the throne of a man, but the throne of God himself. The person of Kings is sacred and it is sacrilege to harm them. They are Gods and partake in some fashion of the divine independence.

इन वाक्यों का अभिप्राय यह है कि “राजागण ईश्वर के मन्त्री हैं, वे ही उस के प्रतिनिधि इस भूमि पर हैं, राजा का सिंहासन मनुष्य का स्थान नहीं समझना चाहिये बल्कि स्वयम् ईश का सिंहासन समझो। राजा की व्यक्ति पवित्र होती है, अतः उसे हानि पहुँचाना पाप है। वे देव हैं और ईश्वरीय स्वतन्त्रता का कुछ अंश उन से भी पाया जाता है” ।

सिकन्दर महान् ने इसी लिङ्गान्त की शरण ली। उसने अपने ताँई ‘Son of Zeus’ द्यौःपितर ईश का पुत्र कहे बार कहा और मजाजन भी उसे देव पुत्र कहते थे। कभी वह अपनी उत्पत्ति हर्ष्णुलीज तथा वैसिंवस के बंश से निकालता था। उसकी आता ने सिकन्दर को यही शिक्षा दी थी कि वह एक देवता की स्वन्तरा है जो कि मनुष्य का पुत्र है। ईरान में यही सिकन्दर अपने आप को देवताओं के समान पुजवाता रहा। ऐतिहासिक होगर्थ के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि उसने यूनान के नगरों में उद्घोषित किया कि उसे देवों की आंतिपूजा जावे। किन्तु याद रहे कि सिकन्दर का यह विशेष हाल न

था । सब बड़े महाराजाओं ने अहीं विश्वास प्रकट किया है । ज़र्कशीज़ ने लमुद्र की चाबुक लगवाये थे औंकि उसने उसको लेना को पार होने से रोका । इसी प्रकार सौज़र महान को देव मान कर पूजा जाता था । चंगेज़ तेमूर और नादिर शाह भी अपने तई परमात्मा का प्रतिनिधि समझते थे । जापान और चीन के बादशाह भी देवीवंश के समझे जाते हैं ॥ वस्तुतः राजा के देवता होने का विचार मानव जाति के रगों रेशों में घर किये हुए हैं और हमारे शास्त्रों ने वेद विरुद्ध उसे नियमानुकूल ठहराया है । पर इस विद्वान्त के बहुत बुरे परिणाम हुए हैं ।

वस्तुतः इस विचार ने इस संसार में असंख्य उपद्रव मचवाये हैं । सैंकड़ों के गले कटवाये हैं । प्रजा को पीड़ित करवाया है, राजाओं को गर्वित किया है और खतन्त्रित हेषी का निरादर करने के उसे इस भूमि से वहिड़कूल छर दिया है । परन्तु योरूप में इस विद्वान्त की सत्ता से निकलने के लिये प्रजा ने सिर सोड़ यत्न किए । राजां गण तथा प्रजावर्ग दोनों को ही असंख्य कष्ट उठाने पड़े और प्रजावर्ग ने स्थान २ पर आकार्तियों के बलवान तर्क से यह विद्व कर-

दिखाया कि अपने आपको शासन करने का प्रजा को दैवी तथा अद्वितीय अधिकार Divine and inalienable right है कोई राजा या पोष उस दैवी अधिकार को प्रजा से नहीं छीन सकता । इन्हीं आन्तर्नितयों के कारण आज योहप और अमेरीका में प्रजातन्त्र राज है, और राजा के दैवी अधिकार की सत्ति है किन्तु भारत में उहस्तों ऊर्ध्वों तक वेद की आज्ञा विरुद्ध राजाओं के दैवी अधिकार साने गये और एकंसुल्लभानादि राजाओं को भी देवतथा पितर मानकर प्रजावर्ग पूजते रहे, इस कारण यहां स्वतन्त्रताकरनाम नहीं !

(घ) Theory of Contract—सामूहिक निवृत्य का सिद्धान्त—( Hobbes ) हॉब्ज़, ( Locke ) लॉक और ( Rousseau ) रूज़ो का यह लिङ्गान्त है—उनका परस्पर कुछ र भेद है किन्तु यहां परं यही कहना है कि आदिस अवस्था में रहने वाले लोग जब दुःख सहन न कर सके तो एक स्थान पर मिल कर विचारने लगे । अन्त में उन्होंने अपने अपर एक शासन करने वाली शक्ति मानली, जिसे कुछ अधिकार दिये । इस लिङ्गान्त का योहप में बड़ा बल रहा है, किंतु विषित है

कि चाणक्य अर्थशास्त्र (में ३०० वर्ष ईसा पूर्व) यही विचार मिलता है ॥

“सात्स्य न्यायाभिभूताः -

प्रजा मनु वैवस्वतं राजानं चक्रिरे ।

धान्यषड् भागं पण्य दश भागं हिरण्यं चास्य  
भागधेयं प्रकल्पयामासुः” ॥

जब मछलियों की भाँति सँसार के लोग एक दूसरे को खा रहे थे—तो उन्होंने मिलकर विवस्वत के पुत्र मनु नामी महाशय को अपना राजा बनाया और उसे कहा कि हम तुम्हें कृषि-जन्य पदार्थों का छटा भाग और व्यापार सुवर्णादि का १० वां भाग दिया करेंगे और तू हम पर राज किया कर ।

इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि राज्य के उदय होने के सम्बन्ध में योरुप में जो विचार किये गये हैं, वे ही ईसा के जन्म से कई सौ वर्ष पूर्व हमारे ऋषि अपनी पुस्तकों में लेखबद्ध कर चुके थे । अतः योरुपीय विद्वानों के विचार हमारे पूर्वजों के विचारों के छाया सात्र हैं ॥

## अध्याय २

### राज्य की किसीं ।

जहाँ तक मैंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया है—उन से यही पता लगता है कि एक सत्तात्मक राज्य के अतिरिक्त राज की किसी अन्य किसी का वर्णन समृद्धियों में नहीं आया, किन्तु ऐतरेयब्राह्मण ने कई किसी के राज्यों का उल्लेख किया है जैसे—

- (१) गङ्गा यमुना के मध्यसर्वती हलोके में सम्राज्य Empire— सम्राट् Emperor.
- (२) कुरु, पंचाल, वश, उशीनर जातियों के नृपति राजा kings स्वेच्छाचारी राज्य Despotism.
- (३) पश्चिम की नीच्य तथा अपाच्य जातियों में स्वराज्य— परिभित अधिकार का राज्य Limited Monarchy.
- (४) उत्तर कुरु तथा उत्तर मद्र जातियों में विरोट प्रजातन्त्र राज्य, Republic or Democracy.
- (५) समुद्र से घिरी हुई पृष्ठकी का पूर्ण राज्य एकराज्य Universal Empire.

इस प्रकार Monarchy, Limited monarchy, Republic, Empire and Universal Sovereignty के दृश्य दीख पड़ते हैं। यूनान में अरस्तु ने सब से पहिले राज्य के ६ प्रकार बताए जो यह हैं:—

Monarchy=प्रजा के हितार्थ एक सत्ता का राज,

Aristocracy=प्रजा के हितार्थ धनियों का राज,

Polity=समाज के हितार्थ प्रजा का राज,

Despotism =प्रजा के अनहितार्थ एक सत्ता का राज,

Oligarchy =प्रजाके अनहितार्थ चंद्र धनियों का राज,

Democracy=समाजकी बुराई के लिये प्रजा का राज ।

भारतवर्ष में कभी धनियों का राज नहीं रहा। अति प्राचीन काल में महात्माओं ब्राह्मणों और विद्वानों का राज्य में अधिक भाग रहा और चूंकि प्रायः यह महाशय निःस्वार्थ धर्मात्मा वेदपाठी नीति निपुण पुण्यात्मा निर्लोभी और परोपकारी होते थे, इस कारण इन से प्रजा को कभी दुःख प्राप्त नहीं होता होगा। अतः aristocracy (प्रजा के हितार्थ धनियों का राज) Oligarchy (समाज की बुराई के लिये धनियों का राज) की क़िस्में

भारतवर्ष में नहीं मिलतीं । छोटे २ विराट Republics भारत में विरकाल तक रहे हैं, क्योंकि सिकलदर के समय तक ऐतिहासिक उनकी साक्षियाँ देते हैं, और रीज़ डेविड लाहुब ने Budhistic India में माना है कि शाक्यों में प्रधानों का नाम ही राजा था, कि वहाँ प्रजातंत्र राज्य ( Republic ) था । किन्तु आज कल के प्रजातंत्रराजों और उस समय के प्रजातंत्रराजों में बड़ा अंतर था \* ।

रीज़ डेविड्स इस शाकीय जाति की शासन प्रणाली और विधार ठिकानाएँ के विषय में अपनी पुस्तक बुधिस्तिक इंडिया में ये लिखते हैं :—

The administration and the judicial business of the ( Sakiya ) clan was carried out in public assembly at which young and old were alike present in their common Mote hall ( Santhagara ) at Kapilavastu. It was at such a parliament or palare,

\* हौग लहाशय के लिये हुए उपरोक्त अर्थों में कहाँयों को संशय है क्योंकि संस्कृत आषां में विराट के अर्थ बिना राजा के नहीं होते, इस बात की साक्षी भी एक प्रचीन ग्रन्थ शुक्रनीति के प्रथमाध्याय के १८६

that King Pasenadi's proposition ( of asking a daughter of the Sakiya family as wife) was discussed. When Ambatha goes to Kapilavastu on business he goes to the Mote Lall, where the Sakiyas were then in session. And it is to the Mote hall

व १८७ श्लोक में चिलती है कि राजाय की भिन्नता से शासकों के भिन्ननाम होते थे जैसे—

सामंत	८३३३३	२५०००० रु० आय वाला
मारण्डलिक	२५००००	८३३३३
राजा	८३३३३३	१६६६६६६६
महाराजा	१६६६६६६६	४१६६६६६६६
स्वराट	४१६६६६६६	८३३३३३३
सम्राट	८३३३३३३	८३३३३३३
विराट	८३३३३३३	४१६६६६६६६
खार्वभौम	४१६६६६६६६	....

इससे यह स्पष्ट हुआ कि ऐतरेय ब्राह्मण भी एक सत्ता का राज्य बताता है। केवल जातियों के छोटे बड़े होने से उनके शासक छोटे बड़े होते थे किन्तु हौग महाशय के अर्थ ठीक हैं क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण ने स्वराट आदि के अर्थ बही किये हैं जो हमने ऊपर दिये हैं। हेतु २ का ७ प्र० ७ अनु० ।

of the Mallas that Ananda goes to announce the death of the Buddha, they being in session then to consider that very matter.

अर्थात् शाकीय जाति का शासन और विचार सम्बन्धीय कार्य कपिलवस्तु में सार्वजनिक सन्थागार में प्रकाश्य संघ में होता था जिस में छोटे बड़े समान भाव से उपस्थित होते थे । ऐसी ही पार्लियामेन्ट में राजा पसेनादि के ( शाकीय वंश की कन्या से विवाह करने के ) प्रस्ताव पर विचार हुआ । जब अम्बठठ कार्य वंश कपिलवस्तु गया, तो वह सन्थागार में गया, जहाँ शाकीय लोग राज काज कर रहे थे । और बुद्ध की मृत्यु की सूचना देने के लिये आनन्द मल्लों के सन्थागार में गया था, जो उस समय उसी विषय पर विचार कर रहे थे । इन प्रजासत्त्र राज्यों के सुखिये राजा ही कहाते थे । प्रो० हीज़-डेलिङ्स भी लिखते हैं :—

A single chief how and for what period chosen, we do not know, was elected as office holder, presiding over the sessions, and if no sessions were sitting, over the state. He bore the title of Raja, which must have meant some thing like the Roman consol or the Greek archon. \* \* \* But we hear

nowhere of such a triumvirate as bore corresponding office among the Lichhavis nor of such acts of kingly sovereignty as are ascribed to the real kings mentioned above. But we hear at one time that Bhadiya, a young cousin of the Buddhas, was the Raja and in another passage, Suddhodana, the Budha's father ( who is else where spoken of as a simple citizen *Suddhodana the sakiyen* ) is called the Raja ( p. 19 )

अर्थात् एक सुखिया कैसे और किस अधिके  
लिये चुना जाता था यह हमें मालूम नहीं । कार्य-  
कर्ता निर्वाचित होता था जो सभा के ( अधिवेशनों  
में ) अध्यक्षत्व करता था और यदि अधिवेशन  
नहीं होते थे तो राज काज चलाता था । इस की  
पदवी राजा थी, जो कुछ कुछ रोमनों के कन्सल या  
यूनानियों के आर्कन के समान था । पर लिच्छियों  
में ऐसे पद पर एक त्रिकूट या त्रिसूर्ति हुआ करती थी  
उसका जोड़ कहीं नहीं मिलता, और न राजा के  
समान राजत्व के बैसे कार्यों का ही पता चलता है  
जो ऊपर लिखे वास्तविक राजाओं के विषय में कहे  
जाते हैं । पर हम सुनते हैं कि, एक समय बुद्ध का भर-  
दिया आमक जबान चचेरा भाई राजा था, और

दूसरे स्थल पर बुद्ध का पिता शुद्धोदन ( जो अन्यत्र शाकीय शुद्धोदन साधारण लागरिक बताया गया है ) राजा कहा गया है ॥

इस अध्याय का अन्तिम परिणाम यह है कि ( १ ) ऐतरेय ब्राह्मण में राज्यकी कई किसीं का वर्णन है जिन की पुष्टि तैतिरीय ब्राह्मण से मिलती है । हाँ, सृष्टियों तथा अन्य संस्कृत ग्रन्थों में जहाँ २ राजके बारे में वर्णन आया है वहाँ राज की छिरमें नहीं बताई । ( २ ) समय समय पर विराष्ट्रभारत में अवश्य थे जैसे बौद्धों के इतिहास से प्रकट होता है या जैसे मैगेस्थेनीज़ की निम्न जाक्षि से भी ज्ञात होता है :—From the time of Dionysos to Sandrakottos, the Indians counted 153 kings and a period of 6042 years. But among these a republic was thrice established. ” Mc. Crindle's Ancient India. p. 203. )

अर्थात् दौयोनीसख के समय से चंद्र गुप्त के काल तक भारतीय लोग १५३ राजाओं तथा ६०४२ वर्षों की गणना करते हैं । परन्तु इस समय में तीन बार विराष्ट्र भी स्थापित हो चुका था” ॥

## अध्याय तीसरा ।

### बंश परम्परा का राज्य ।

उपर्युक्त विश्वास से अधिक विश्वास के आधार पर भी मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ कि आद्यों में बंश परम्परा की रीति प्रचलित थी। यहाँ आम तौर पर पूजा तंत्र राज्य का अभाव था। साथ ही पूजा की ओर से एक योग्य पुरुष का राजा के तौर पर चुने जाने की रीतिका भी प्रायः अभाव था। राजा का पुल वा अन्य सम्बन्धी ही राजा बन सकते थे, उसके दंशजों के अतिरिक्त किसी पराये बंश के पुरुष को राजा नहीं बनाया जाता था।

इस रीति को हालियाँ कर बर्णन तो हम आगे करेंगे परंतु पहले इस विचार को ढूढ़ कर लेना उचित होगा कि राज्य बंशागत ही होता था।

निम्न लिखित शास्त्रियां उपरोक्त कथन की पुस्ति करने वाली हैं:—

१०. राजपूतों के ३६ कुलों के इतिहास के देखने से यही विचार हूँड़ होता है ।

इनमें से बहुत से अपने आपको सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यादववंशी पुकारते हैं अर्थात् श्रीराम, श्रीबुद्ध, श्रीकृष्ण से अपना संबन्ध यह राजगण जोड़ते हैं । अतः स्पष्ट हुआ कि आजकल और मध्यम काल में ही नहीं परन्तु अति प्राचीन काल में भी यह वैश परम्परा की रीति प्रचलित थी, अन्यथा राम बुद्ध और कृष्ण के वंशों में ही सहस्रों वर्षों तक राज नहीं रह सकता था । जिन सूजजनों का यह मत हो कि प्राचीन काल में राजा गण प्रजा की ओर से दुने जाते थे उन्हें मानना होगा कि राजपूत राजाओं की वैशावलियां अशुद्ध हैं । यह भाटों के मनों की कल्पनाएँ हैं, इन में सत्यता का अंश नहीं—अर्थात् कोई राजपूत वंश सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, और यादववंशी नहीं । हम तो इन शूरवीर, युद्धरसिक, गौ और ब्राह्मणों के पालक, एक धोर काल में हिंदु जाति की लाज रखने वाले कई राजपूत कुलों को उन महात्माओं की संतान मानते हैं क्योंकि वैशगत राज

में ऐसा हीना आवश्यक है किन्तु जो वंशांगत राज को नहीं मानते, वे एक बड़ी भारी अशुद्धि करेगे ।

( २ ) विष्णु, स्कन्ध, अग्नि आदि पुराणों में जो वंशों के वृक्ष दिये हैं, उन से भी यही प्रकट होता है। 'तस्य पुत्रः, तस्य पुत्रः' के शब्द प्रायः सर्वत्र पाये जाते हैं। क्यों यह खालिक भी अशुद्ध है ? यदि इसमें कम बलं प्रतीत हो तो अन्य प्रमाण लीजियेः—

( ३ ) रामायण की साक्षि इस विषय में बहुत प्रभाणिक समझनी चाहिये । पुराणों और कविवर कालिदास कृत रघुवंश से यह बात स्पष्ट है कि रघु के वंश में परम्परांगत राज्य रहा, किन्तु यदि आदि कवि ऐतिहासिक वाल्मीकि भी अपने संस्कृत की 'यह खालिक देता हो तो हम अति प्राचीन काल में चले जाते हैं और वहां पर भी वंशांगत एक सत्तात्मक राज्य पाते हैं:—

( क ) श्रीराम के विवाह के समय सूर्यवंशी राजाओं और जनक के पूर्वजों की सूचियाँ सुनाई जाती हैं। इन दोनों सूचियों का वर्णन रामायण के प्रथम काण्ड के ७० और ७१ संग्रह में आया है—वहां भी

“तस्य पुत्रः तस्य पुत्रः” बारम्बार लिखा गया है। अतः वंश परम्परा का राज्य है। यदि केवल योग्य पुरुषों को राजा चुना जाता था तो सब पुत्र ही राजा कैसे हो सके? वंश से बाहर किसी योग्य को राज क्यों न मिला?

( ख ) महाराज रामचन्द्र जी का आत्मत्यागी भाव ही भरत अपनी माता कैकेयी पर क्रोधित होता हुआ यह स्मरणीय वाक्य कहता है—

अस्मिन्कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राजाऽभि विच्यते ।  
अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः ।

सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाऽभि विच्यते ।  
राज्ञामेतत्समंतत् स्यादित्त्वाकूणां विशेषतः

२०. ७३. २०. २२.

अर्थात् इस कुल में सब से बड़ा भाई ही राज्याभिषिक्त किया जाता है, अन्य सब भाई उसके आधीन कार्य करते हैं। यह बात सब राजाओं में समान है कि सदा राजपुत्रों में बड़ा पुत्र ही राज्याभिषिक्त किया जाता है और फिर इक्षवाकु वंश में वह रीति विशेषतः प्रचलित है।

( ३३ )

( ग ) स्थान २ पर लक्षणजी श्रीराम के प्रति यह शब्द कहते हैं:-

लोकविद्विषमारथं एवदन्यस्याभिषेचनम् ।

२० २३० १०

आर्यपुत्राः करिष्यन्ति वनश्रावं गते त्वयि ।

२० २३० २५

प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत् परिपालने २. २३ २६

अर्थात् तेरे से अन्य का अभिषेक करना लोकरीति का द्वेष करना है ! तेरे संन्यासी होने पर तेरे पुत्र राज्य करेंगे; पुत्रवत् प्रजापालन में प्रजाओं को निश्चित करके राजा वनवास करे ।

( ड ) किन्तु मन्थरा के शब्द यहै ही स्पष्ट है-  
वह कहती है:-

न हि राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भासिनि ।

स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहाननयो भवेत् ॥

तस्माज्ज्येष्ठो हि कैकेयि राज्यतन्त्राणि पार्थिवाः ।

स्थापयन्त्यनवद्याङ्गि गुणवर्तिस्वतरैष्वपि ॥ ॥

२०.८० २३

अर्थात् हे कैकेयि ! राजा के सर्व पुत्र राज्य नहीं किया करते, यतः इस से हानियें होती हैं—  
अतः ज्येष्ठपुत्र ही राज्याधिकारी होता है।

अब चिह्न है कि भारत के अतीव प्राचीन इतिहास में भी वंशपरम्परा का राज्य था। शासकवंश नहीं बदलता था—योग्यतम् पुरुष ही शासक नहीं बनाए जाते थे। राजा का ज्येष्ठपुत्र ही विता की सूत्यु पर राज्य का भागी होता था। अब इस विषय पर धर्मशास्त्र-सूत्रिय व कानून शास्त्र की साक्षी लीजिये। कानूनों-राजनियमों के अनुसार ही सब काम होते हैं-यदि कानून वंशपरम्परा के राज्य का हो, तो वंशान्त राज्य होता होगा, देखिये:

(क) शुक्रनीति से भी यही प्रामाणित ठहरता है-  
यावद्गोत्रे राज्यस्त्वित लावदेव च जीवति।

( ४. ७. १८ )

अर्थात् जब तक गोत्र में राज्य रहता है तब तक ही वह राजा जीवित रहता है।

(ख) राजा की मृत्यु के पश्चात् राज्य किसको भिट्ठे  
इस विषय में शुक्राचार्य निम्न लिखित नियम देते हैं:—

कल्पेद् युवराजार्थमौरसं धर्मपत्नीजम् ।

स्वकनिष्ठं पितृव्यं वानुजं वाग्रजसम्भवम् ॥

पुत्रं पुत्रीकृतं दत्तं यौवराज्येऽभिषेचयेत् ।

क्रमादभावे दौहित्रं स्वप्रियं वा नियोजयेत् ॥

२. १. १४-१६

अर्थात् राजा क्रमशः अपने अचली पुत्र, छोटे  
भाई, छोटे भचे, बड़े भाई के पुत्र, पुत्र बनाये हुए  
पुरुष, दत्तक पुत्र, पुत्री के पुत्र अथवा अपने किसी  
प्यारे को युवराज के लिये अस्त्रिष्ठक करे। भला  
पूछिये तो उहाँ कि राजा को क्या अधिकार है कि  
वह अपने पश्चात् होने वाले राजा का निर्वाचन  
करे ? फिर यही नहीं कि देश में योग्यतम् सज्जन  
पुरुष वा देवी की ओर निर्देश करे बल्कि अपने वंश  
से ही उक्त नियम के अनुसार राजा बनावे। ‘अन्धा  
बांटे रेवड़ियां’ फिर फिर अपनीं को है ’वाला  
सिद्धान्त यहाँ काम करता है !

(ग) यदि किसी राजा की सन्तान न होतो

दत्तक पुत्र लेने की रीति हमारे शासनकारों ने आंवश्यक ठहराई है और इस रीति का प्रचार अब तक हमारे आर्य राजाओं में चला आता है, यथा-  
शुक्लरीति (२.३३) में लिखा है कि:—

“प्रजानां पालनार्थं हि भूपो दत्तन्तु पालयेत्”

अर्थात् राजा पृथिवी और प्रजा की रक्षार्थ दत्तक पुत्र का परिपालन करे ।

हम इसे अत्यन्त धूणित रीति समझते हैं क्योंकि इस नियम के अनुसार राज्य ररजा की जायदाद समझा जाता है और जिस प्रकार अपनी जायदाद के दान देने और उद्यय करने में सब को अधिकार होता है वैसे ही राज्य के दान करने का अधिकार राजाओं को मिला है । छोटे २ बालकों को जिन के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होता और जो आम तौर पर नीच लोगों के पुत्र होते हैं- गोद में ले लिया जाता है । जो राजा पुत्रहीन होते हैं, अपने वंश में राज्य रखने के लिये दत्तक पुत्र ले लेते हैं- राजमहलों में पले हुए, प्रायः नीच भाता पिताओं के पुत्र होते हुए, ऐसे दत्तक कभी राज्य के योग्य नहीं हो सकते,

किन्तु भारतवर्ष में अति-प्राचीनकाल से लेकर अब तक यह रीति प्रचलित रही है, और इस के कारण जो उशासन का अभाव रहा होगा उस का अनुमान पाठक स्वयं लगा सकते हैं यहाँ वर्णन की आवश्यकता नहीं ।

### (५) महाभारत की साक्षियाँ:-

इस की पुष्टि में अन्य घटनाएँ भी देनी आवश्यक हैं । (i) अप को ज्ञात है कि महाराज शन्तनु भीष्म के पिता का ग्रेस एक मछलीगीर की कन्या सत्यवती से हो गया था । मछलीगीर स्वकन्यादेने को तभी तैयार हुआ जब भीष्म राज्यधिकार त्याग देवे । भीष्म ने ऐसा करना मान लिया किंतु मछलीगीर ने फिर कहा कि माना कि भीष्म राज्य के लिये झगड़ा नहीं करेगा, किन्तु उसके पुत्र झगड़ा कर सकते हैं—इस पर पिता की हळ्डा पूर्ण करने के लिये भीष्म ने आयुःपर्यन्त ब्रह्मचारी रहना स्वीकार किया और शन्तनु का सत्यवती से विवाह होगया । सज्जनो ! विधारिये कि यदि योग्य पुरुष ही राजा चुने जाते थे तो ऐसा प्रण लेने की क्या ज़रूरत थी ?

( II ) आगे भी यही साक्षी मिलती है । सत्यवती का पुत्र विचित्रवीर्य क्षयरोग से निःसन्तान मर गया, तो उस के बंश में राज्य रखने के लिये विचित्रवीर्य की दो पत्नियों से ही ध्यास ऋषि ने नियोग करके तीन पुत्र--धृतराष्ट्र, पाण्डु और विदुर नामी पैदा किये । यदि बंशपरम्परा की रीति नहीं थी तो ऐसे नियोग करने की क्या ज़रूरत पड़ी ?

( III ) फिर महाभारत युद्ध का एक कारण यही था कि ज्येष्ठ पुत्र होते हुए धृतराष्ट्र अन्धा होने से यद्यपि स्वयं राज्य नहीं कर सकता था उस के दुर्योधनादि सभी पुत्रों ने कहा कि हम उशेष्ठपुत्र के पुत्र हैं, अतः राज्य करने का अधिकार हमारा है न कि पाण्डु की सन्तान ना ।

( IV ) इस से लगे युद्ध के पश्चात् जिसमें अर्जुन का पुत्र अभिभन्नुं मारा गया था--पाँचों भ्राह्मणों में से उस के ही सन्तान पैदा हुई--किन्तु परीक्षित मरा हुआ पैदा हुआ । तब महाभारत का वर्णन पढ़िये और श्रीकृष्ण ने किस प्रकार राज्यबंश को सदैव छला रखने के लिये परीक्षित को जीवित

किया--ऐसी स्पष्ट घटनाओं और सूतियों के आदेशों के होते हुए कौन कह सकता है कि योग्य परम्परों को ही राजपद के लिये चुना जाता था ?

## अध्याय ४

एक सत्तात्मक राज्य पैदेक बनाया गया ।

आशा है कि यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि हमारे साहित्य, इतिहासों और नीतिशास्त्रों में वंशानुगत एक सत्तात्मक राज्यप्रणाली का ही वर्णन है ।

प्रतिनिधि राज्यप्रणाली के भिन्न २ रूपों का कहीं वर्णन नहीं मिलता और स्मृतिकार भी उस के विषय में कुछ विचार प्रकट नहीं करते—यदि भारत में ठंडास तौर पर कभी प्रजातन्त्र राज्य रहा होता तो उस का वर्णन अवश्य होना चाहिये या किन्तु शोकसमाचार यह है कि हमारे नीतिशास्त्र कहीं भी प्रजातन्त्र राज्य का विदेश नहीं करते । ऐसा प्रतीत होता है कि आजकल का प्रजातन्त्र राज्य उनकी विचार कोटि में भी प्रविष्ट नहीं हुआ । परन्तु देखिये कि यूनान और रोम में प्रजातन्त्र राज्य रहा है यह बात

उन के इतिहासों में मिलती है और उन के नोटि-  
शास्त्रों भी इसे उत्तम समझते हैं। यद्यपि यह आज  
कल के प्रजासत्तात्मक राज्य के समान प्रजा का  
हितवर्धक न था तथा पि उन देशों में प्रजा के अधि-  
कार बहुत थे, राजाओं का अभाव होते हुए प्रजा  
की ओर से अपने प्रधान चुने जाते थे और वह  
जीवनपर्यन्त अपने पद पर नहीं रहते थे परन्तु ५, ६  
या १० वर्षों तक उनकी स्थिति होती थी, किंतु भार-  
तवर्ष में उस प्रणाली की साक्षी नहीं मिलती और  
ऐसा ही पता लगता है कि यहां सदैव एक  
सत्तात्मक राज्य ही रहा है, किंतु स्मृतिकारों ने  
राजाओं की शक्ति रोकने के लिये कई एक बन्धन  
लगाये हैं और उनके स्वेच्छाचार को रोक कर  
पिताघत् राज बनाना चाहा है। इन बन्धनों का हम  
नीचे वर्णन करते हैं क्योंकि यह बंधन जितने बल-  
वान् होंगे, एक सत्ता के राज्यकी उतनी कम  
ख़राबियां होंगी ।

### ( क ) नरक का भय ।

असीब स्वेच्छाचारी राज्य ( absolute ) वा  
( Despotic monarchy ) की उच्छृंखलता को रोककर

पैदृक राजा बनाने का जो यत्न किया गया है उसमें सब से बड़ा बन्धन नरक का भय रखा गया है ।

राजा के कई कुर्तृष्य नीतिशास्त्रकारों ने बताये हैं और साथ ही यह आदेश कर दिया है कि जो राजा इन नियमों का पालन नहीं करता वह नरक का भागी होता है। जैसे शुक्रनीति में लिखा है कि-

अशक्षितारं नृपतिं ब्राह्मणं चातपस्विनम् ।

देवा ग्रन्ति त्यजन्त्यथधनिकं चाप्रदातारम् ॥

१० १२१

अर्थात् देवगण, प्रजा को पालन न करने वाले राजा और तपस्याविहीन ब्राह्मण और कृपण, धनिक को मार छालते हैं और नीचे फँक देते हैं ।

इस से भी अधिक स्पष्ट शब्दों में उपरोक्त विचार को पुष्ट करने वाले अनेक प्रसाण महाभारत के शारन्तिपर्व, "कनुस्मृति तथा शुक्रनीति" में से दिये जाए सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शुक्रनीति का एक वाक्य यहाँ उद्देश किया जाता है—

विपरीतस्तामसः स्थात् सोऽन्ते नरकभाजनः ॥

१० ३२

अर्थात् तसोगुणी राजा अन्त में नरक का भागी बनता है। अतः सूतियों ने वारंवार आजा दी है कि राजाओं के अष्ट गुण होने चाहियें—

राजा की योग्यता ज्ञान कर्म और उपासना का ज्ञाता, दण्ड, नीति, न्याय, विद्या और आत्म विद्या में पठित, बात्तिलाप में श्रद्धुर जितेन्द्रिय राजा हो। वह राजा ऐसा निष्पक्ष तथा धौमिक हो कि प्रिय से प्रिय सम्बन्धी व मित्र को भी दण्ड देने विनाश छोड़े। यदि राजा पाप करे तो उसे भी दण्ड मिल सकता है दण्ड के चलाने वाला सत्यवादी, विचार पूर्वक काम करने वाला, महा बुद्धिमान्, धर्म काम और अर्थ के तत्त्वों का ज्ञाता राजा बुद्धि को प्राप्त होता है परन्तु विपरीत गुण रखने वाला राजा उसी दण्ड से मारा जाता है। धर्म से विचलित हुए राजा को बंधुसहित दण्ड नाश कर देता है, जिस राजा के राज्य में न चोर, न परस्तीगामी, न दुष्ट वचन के बोलने वाला, न डाकू, न राजा की आज्ञा का भ्रष्ट करने वाला है—वह राजा उस आनंद का

भागी होता है जिसे 'शक्र' नामक 'सर्वेपरि राजा भोगता है'। यह शब्द का अर्थ यह है कि शक्र जो राजा अवशाल से विचार किये प्रजा को दुःख देता है वह शीघ्र ही राज्य, जीवन और बांधवों से भ्रष्ट होजाता है। जैसे शरीर के शोषण से प्राणियों के प्राण क्षीण होते हैं वैसे राजाओं के भी 'प्राण' राष्ट्र को पीड़ा देने से क्षीण होते हैं, इस 'कारण' शिकार, जुआ, दिन में सोना, अन्यों के दोषों का कथन, स्त्रीसम्भोग, मद्यपान, नाचना, बजाना, व्यर्थ भ्रमण, चुगली, साहस, द्रोह, ईर्ष्या, दूसरों के गुणों में दोष लगाना, द्रव्यहरण, गाली देना, कठोरताएँ और विशेषतया लोभ का परित्याग करें। यदि आज कल के सब राजा और विशेषतया भारतवर्ष में देशी रंजवाड़ों के अधिपति उक्त व्यसनों का परित्याग करें, तो संसार में सर्व दिशाओं में शान्ति ही शान्ति के दृश्य दृष्टिगोचर हों, फिर प्रजाएँ प्रजातन्त्र राज्य का नाम भी न लें किंतु राजाओं में ऐसे गुणोंकी सत्ता कठिन है—इस कारण प्रजातन्त्र राज्य की अवश्यकता है।

शुक्राचार्य ने राजाओं के जो गुण बतलाये हैं वे

अतीव उत्तम हैं, यदि वह राजाओं में वस्तुतः पाये जावें तो प्रजा सर्व प्रकार से सुखी हो सकती है, यद्यपि इसमें संदेह है कि प्रजातंत्र राज्य से जो शिक्षायें व लाभ प्राप्त हों सकते हैं प्रजा उन्हें ग्रहण करेगी या नहीं। राजाओं के वे शुण संक्षेपतः यहाँ दर्शाये जाते हैं । १०. ८५

१०. राजा—पिता, माता, गुरु, भ्राता, बन्धु, धनपति, यम—इन सात व्यक्तियों के शुणों से निटय युक्त रहे; इनके विना वह राजा नहीं कहला सकता । १०. ९६

११. न्यायकारी राजा अपने आप को और प्रजा को धर्म, अर्थ, कास से संयुक्त करता है और अन्यायकारी राजा अपने को और प्रजा दोनों को निश्चिन्ततया नष्ट करता है । १०. ६९

१२. धर्मात्मा राजा देवों का अंश होता है और प्राप्ति राजा राक्षसों का भाग होता है और वह धर्म नाशक तथा प्रजा को दुःख देनेवाला होता है । १०. ७०

१३. यदि राजा सुयोग्य न हो तो प्रजा सुदूर में निविकर्त्त हित नीका के समान दृष्टि लाती है । १०. ६५

५. विषयासर्क राजा हाथी की न्याईः बन्धन में  
फँस जाता है । १०. १०१

६. बुद्धिमान् राजा बुरे पुरुषों से प्रेरित हुआ २  
भी अधमे के कार्य नहीं करता, प्रलयत श्रुति, स्मृति,  
आपार तथा भली प्रकार लोचने से पता लगने वाले  
धार्मिक कर्मों को करता है । १०. १०१

७. मन, विषयों के लोभ से इन्द्रियों को इधर-  
उधर घुमाता है अतः राजा मन की प्रयत्न से वश में  
करे । १०. ९९

८. उपरोक्त गुण तथा शुक्रनीति में अन्य कई  
प्रदर्शित गुणों जे रहिल राजा राक्षसों का अंश होता है  
और वह नरक का भागी बनता है । १०. ८९

ऐसे राजा को तयार करने के लिये बहुत सी  
विद्याओं का एड़ा ऐ अत्याद्युक्त है, शुक्राचार्य ने  
उन की गणना की है:—

राजा सदा आनन्दोक्षिकी, त्रयी, वार्ता दण्ड-  
नीति इन चारों विद्याओं का अभ्यास करे ।

अनन्दोक्षिकी में तक्षशास्त्र, वेदान्तादि शास्त्र

शामिल हैं । त्रयी में साङ्ग चारों वेद, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण शामिल हैं ।

वार्ता में सूद का व्यवहार, लषि, वणिज व्यापार और गोरक्षा का ज्ञान होता है । और द्रगडनीति में दुष्टों के ताड़नाड़ि का वर्णन होता है । . १५२--१५३

( ए ) एक सत्तात्मक राज्यपर युधिष्ठिर तथा भीष्म की सम्मति-सज्जनी ! आपको ज्ञात है कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर और शशशश्या पर लेटे हुए बाल ब्रह्मचारी आत्महत्यागी, भारतके लुपुत्र भीष्मपितामह के मध्य राजाओं के कर्त्तव्यों पर वार्तालाप होता है, अहां अतीव मनोरंजक और शिक्षाप्रद विचार प्रकट किये जाते हैं, एक स्थान पर हमारे लिये उपयोगी प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने किया है । हम ऊर्ध्व-देख चुके हैं कि मनुस्सुति और शुक्लनीति से कहे हुए गुण राजा में होने कठिन हैं, और खास तौर पर ऐसे राजाओं में जो प्रस्तुपरा से वंशागत हों, शायद लेशमात्र भी नहीं हो सकते । प्रश्न यह है कि क्या हमारे पूर्वज इस कठिनाई को नहीं समझते थे ? अथवा समझते तो थे परन्तु वह एक सत्ता के राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य को उत्तम नहीं समझते थे, जो संवाल

आपके सामने पेश किया जाता है उस से दूसरा विचार ही सत्य प्रतीत देता है। देखिये ८५ अध्याय में युधिष्ठिर कहते हैं। हे महाबुद्धिमान् ! मुझ से पूछे हुए विषयों का पूरा २ उत्तर आप को ओर से मिलना चाहिये। आपने राजाओं के जो जो गुण वर्णन किये मुझे मालूम होता है कि वे सब गुण एक पुरुष में विद्यमान नहीं रह सकते।

भीष्म बोले, युधिष्ठिर ! तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। तुमने जैसा वचन कहा वह वैसा ही है। एक पुरुष में जो राजाओं के गुण वर्णन किये हैं वे नहीं पाये जा सकते—ऐसे शुभ गुण किसी एक पुरुष में विद्यमान रहने असम्भव है। ऐसे सत्स्वभावी गुणधारी पुरुष को बहुत सावधानी से खोज करने पर भी इस लोक में प्राप्त करना अति कठिन है किंतु मैं तुम्हें इस विषय पर कहता हूँ कि तुम किन सेवकों को नियत करो ॥

सज्जनो ! मेरे इस सम्पूर्ण लेख की आत्मा उक्त शब्दों में अन्तर्हित है यदि आपने इन शब्दों के अर्थों को ग्रहण करलिया है तो मैं कृतकृत्य होउंगा हूँ। यह मेरी ही तुच्छ अस्मति नहीं कि जिस क्रिस्तम के

गुणःइसारे शास्त्रों ने राजाओं में होने आवश्यक ठहराए हैं--वे कदापि उन में नहीं हो सकते और वंशप्रस्परा के रीति में उनका लक्षांश भी नहीं दीख सकता। बल्कि सत्यवादी धर्मपुत्र युधिष्ठिर जिन्हें राज्य इविषयक सब अनुभव था और विचारण, सारासार--विवेकी, सुनीतिज्ञ, बाल ब्रह्मचारी, वेदपाठी, भीष्म पितामह जिन्हें महाराज शत्रुघ्नि, विक्रित्रीय, पारडु, धूतराष्ट्र और दुर्योधन आदि के राज्यों का, तो पूरा पूरा ज्ञान था और बुद्धिमान् होने से जैगति के अन्य राष्ट्रों की अवस्थाओं से भी परिचय था। इन दोनों की भी यही सम्मति है। आगे चलकर तत्त्ववेत्ता मिल की यही सम्मति पेश की जावेगी।

### ( ग ) मन्त्रीसभा

मन्त्री

श्री भीष्म जी के कथनानुसार राजा के अधिकारों को परिमित करनेवाली राजसभा निम्न प्रकार होनी चाहिये।—

‘वास्त्राह्यण-जो वेदज्ञ, प्रगल्भ, सनातक और पवित्राचारी हों।

**आठ दत्तिय—जो शख्सिया में निषुण, और बलवान् हों ।**

**इकीस वैश्य—जो धनी हों ।**

**तीन शूद्र—जो नित्य कर्मोंके करने वाले, पवित्र और विनीत हों । यह छत्तीस तुम्हारे मन्त्रो होने चाहिये किंतु चार ब्राह्मणों, तीन शूद्रों और एक सूत का अष्ट पूधार बनाकर राजा सदा विचार किया करे, इस के विचारों को राष्ट्र के बीच में प्रसार करके राष्ट्रीय युहषों को मालूम कराना होगा ।**

इस पृकार राजा की अयोग्यता को पूर्ण करने के लिये यहाँ शीष्म वितानमह ने इह महाशयों की एक 'गुप्तसभा' ( Privy council ) रखी है और उसमें से आठ महाशयों की एक 'मंत्रीसभा' ( Cabinet ) बनाई है—यही लोग सब पृकार के नियंत्रण बनानि तथा पूर्व उपाय करने के अधिकारी हैं ।

### **लोकसभा का अभाव**

मैं समझता हूँ कि यदि हमारे पूर्वज पूजातन्त्र राज्य की महिमा को समझते, तो यहाँ अवश्यमेव

भीष्मपितामह युधिष्ठिर को उपदेश 'देते' कि 'एक लोकसभा होनी चाहिये जिस में पूजा की और से निर्वाचित इतने २.महाशय आने चाहियें कि उन्हीं की ओर से मन्त्री निर्वाचित होने चाहियें, कि यही लोकसभा राजनियम बनाया करे, कि एक उच्चतर लोकसभा उन नियमों को स्वीकार कर लेवे तो राजा की स्वीकृति व अस्वीकृति होनी चाहिये 'इत्यादि' किन्तु इस प्रकार के पूजातन्त्रराज्य का नाम मात्र भी नहीं मिलता । हाँ एक सत्ता के राज के दोषों को कम करने का बल किया है । उक्त सभा से कुसंतत्क पर भी ध्यान देना चाहिये कि उसमें वैश्यों की अधिकता है । ३५ से २१ वैश्य हैं । ब्राह्मणों का अल्प पक्ष है--भीष्म पितामह इस सत्य को प्रहरण किये हुए थे कि कृषि, व्यापार व्यवसाय की रक्षा तथा उन्नति राज्य के द्वारा हो सकती है किंतु वैश्यों की अधिकता से ही उनके हितों की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं । आज कल की राजसभाओं में सब प्रकार के दलों और वरणों का ग्रन्थाश होता है अलिङ्क देश में उनका जो उल्ल होता है, उन के अनुपात से ही उन के प्रतिनिधि राजसभा में आते हैं । एवं भीष्मजी ने शूद्रों का

प्रतिनिधि होना भी प्रमाणित दृहराया है। बस्, ऐसी सभा का विस्तार ही चाहिये था, तो वह आज कल की लोकसभाओं के समान हो सकती थी ।

( ८ ) मन्त्रियों को कौन नियत करे ?

हमारे शास्त्रों में प्रजातंत्र राज्य का एक आवश्यक बन्धन नहीं पाया जाता है। वह कि मंत्री वर्ग का नियन्त्रक राजा राजा के अधिकार में रखा है न कि प्रजा का बहुपक्ष वाले दल के अधिकार में। बस् इसी में सब खराबियाँ हैं, यदि राजा के हाथ में मंत्रियों का नियत करना तथा हटाना हो तो वह मंत्री राजा के हितों का अधिक रूपाल करेंगे, अपेक्षा इसके कि वह प्रजा के हितों का रूपाल करें। किन्तु जब प्रजा से नियत मंत्री वर्ग हों और राजा हटा भी न सके, जैसा कि आज कल के सभ्य देशों में है तो वे राजा की परवाह न करते हुए प्रजा के हितों के बर्धन में लगे रहते हैं और राजा के स्वेच्छाचार को खूब होकर के हैं। इङ्ग्लैन्ड का इतिहास इन बातों का साक्षी है ।

जहाँ प्रजा की इच्छाओं के प्रकट करने वाली लोक-सभा ही नहीं तो मन्त्रियों के कर्मों को प्रजा क्या रोक

सकती है ? मुसलमानों के राज्य में हिन्दु पूजा के प्राचीन मंत्रियों की शक्ति वा राजाओं के स्वेच्छाचार को रोकने के क्या साधन थे ? सर्वथा कोई नहीं, एक ही बड़ा साधन था जिसका नाम विद्रोह है, किंतु कितनी बार प्रजा ने विद्रोह किये ? ३०० वर्षों के दीर्घ काल में उनकी संख्या अतीव अल्प है। विद्रोह सर्वदा कम होते हैं, क्योंकि लोग युद्ध की हानियों से घबराते हैं। राजा के अत्याचार ऐसे बुरे नहीं होते जैसे संग्राम के कष्ट जिस में जीवन तक नष्ट हो जाते हैं, अतः हमें यह बात असंदिग्ध प्रतीत होती है कि एक सत्तात्मक राज्य में प्रजा के अधिकारों की कोई रक्षा नहीं होती और खासतौर पर जब कोई लोकसभा न हो या राज्य कर्मचारियों के नियत करने तथा हटाने का अधिकार प्रजा को प्राप्त न हो। शुक्रनीति में इस नियम को 'अवश्यमेव समझा जया' है। उसके निम्न लिखित शब्द अवश्य स्वरणीय हैं :—

मंत्री आदिकों के विचारों के विना राजा के राज्य करने से अवश्य राज्य नष्ट होता है और इस प्रकार राजा को बुरे मार्ग से नहीं हटाया जा सकता, अतः मंत्री लोग सुमंत्री होने चाहिये ।

जिन मंत्रियों से राजा नहीं डरता उन से राज्य की क्या उन्नति हो सकती है ?

२. द१-द२

यह शब्द खारगभित है। क्योंकि जब तक मंत्रिवर्ग राजाओं के स्वेच्छाचार को रोकने वाले, प्रूजा के हितचिन्तक न हों तब तक खशालन नहीं हो सकता। वह स्वतंत्र होने चाहिए, राजा उनको न हटा सके और न ही नियत कर सके। बल्कि प्रूजा के प्रतिनिधि ही मंत्रीवर्ग नियत कर और हटा सकें।

सम्भव हो सकता है कि इस क्रिस्म का भी कोई नियम हो, जो नीतिशास्त्रों के गुम होने और जो शास्त्र इस समय निलंते हैं उनमें परिवर्तन आने से हटा दिये गये हों क्योंकि यह बड़े बंल-युक्त शब्द है कि:—

जिन मंत्रियों से राजा नहीं डरता वे मन्त्री केवल भूषण, वस्त्रादिकों से सुसज्जित स्त्रियों की न्याई हैं— २. द२. फिर एक स्थान पर मन्त्रियों को यह आज्ञा है:—

हितं राज्ञश्चाहितं यद्योकानां तत्र कारयेत् ।

जिन बातों में राजा का हित हो किन्तु प्रजा का अनहित हो, उन बातों को न करना चाहिये ।

इस प्रकार के सत्रंत्र मन्त्रियों से अवश्यमेव भारत के राजाओं का अत्याचार रुका रहता होगा और चूंकि उनमें धर्म के प्रेम की अधिकता थी-इस कारण भी प्रजा पर जुल्ल नहीं होता होगा ।

(३) प्राचीन तथा आधुनिक मंत्री सभाएँ-पूचीन-काल में प्रत्येक मन्त्री के अधिकार में एक प्रबन्ध विभाग था जैसा कि आज कल है । शुक्रनीति में कहे हुए दश महों के नाम यह हैं—

१. पुरोधा—	Minister of Religion.
२ प्रतिनिधि—	Lord Chancellor
३. प्रधान—	Prime Minister.
४. सचिव—	War Minister.
५. मन्त्री—	Secretary for Foreign Affairs
६. परिषिक्त—	Minister of Education.
७. प्राड़्विवाक—	Law Minister.
८. अमात्य—	Minister of Agriculture
९. सुभेन्न—	Finance Minister.
१० दूत—	Ambassador in Chief.

इन मंत्रियों के जो गुण बताये गये हैं वे बहस्तुतः पढ़ने योग्य हैं किन्तु यहाँ स्थानाभाव से नहीं दिये जा सकते। आगे देखिये कि पूर्त्येक मंद में तीन महापुरुष नियत करने को कहा है। उन तीनों से अधिकतम् बुद्धिमान् उस विभाग का अधिपति होना चाहिये। आज कल भी ऐसा होता है:- एक सचिव (Minister) होता है, दूसरा मन्त्री (Secretary) तीसरा उपमन्त्री (Assistant Secretary)। उन्हें ५, ७, वा १० वर्षों तक पदों पर रखा जावे, उनकी योग्यताओं को भली प्रकार जांचना चाहिये। और किसी पुरुष को जीवनपर्यन्त पद नहीं देने चाहिये। आपको जात है कि भारत में प्रबन्ध कर्तृ सभा के सभ्य तथा लॉट और महालॉट ५ वर्षों तक पदों पर रहते हैं, भारतसचिव की सभा के सभ्य १० वर्षों तक और प्रार्लियामेंट के सभ्य ७ वर्षों तक पदाधिकारी होते हैं। इस प्रकार पदों के विषय में शुक्रनीति के अत्युत्तम विचार हैं। साथ ही उन्क शब्दों का सुखलमानी बर्दशाहों के राज्यवृत्तान्तों के सुखाबला करिये। उस समय जीवनपर्यन्त पद दिये जाते थे और छोटे २ पद भी वंशपरम्परा-

से बलते थे । ऐसी दशा में सारा आवा ही ऊत गया था । जहु से शाखाओं तक सारे वृक्ष को घण लगे हुए थे ।

### (न) राज्य से चयुत करना ।

अब हम उस बन्धन की साक्षी देते हैं जिसे सभ्य संसार सब से उच्च समझता है । वह स्वेच्छाचारी, अहंकारी, अत्याचारी, राजाओं को सिंहासन से उतार कर उनके स्थान पर पूजा की ओर से निर्वाचित राजा को राज्य देना है । इंग्लैण्ड में जहाँ आधुनिक काल में उब से पहिले प्रजातन्त्र राज्य का उद्भव हुआ-इसी बंधन को बारंबार बताया गया । शुक्राचार्य के शब्दों में वह बन्धन यह है—

गुणनीतिवलद्वेषी कुलभूतोऽप्यधार्मिकः ।

नृपोऽप्यदि भवेत् तन्तु त्यजेद्राष्ट्रवित्ताशक्तम् ॥

तत्पदे तस्य कुलजं गुणयुक्तं पुरोहितः ।

प्रकृत्यनुमतं कृत्वा स्थापयेद्राज्यगुप्तये ॥

जो राजा गुणों, नीति, राज्यप्रखलित नियमों और बल का शक्त हो गया हो, जो अच्छे कुल की

उत्पन्न हो कर भी अधार्मिक हो गया हो उस विनाशक को राज्य से हटा देना चाहिये । उसके स्थान पर राष्ट्र की रक्षा के लिये राजपुरोहित (Minister of Religion, जैसे इंगलैण्ड में कैन्टरबरी का आचर्च विशाप है) राजकर्मचारियों की मतिलेकर उसके कुछ भौमि उत्पन्न हुए किन्तु गुणवृक्ष सम्बन्धी को स्थापन करें ।

मनुस्मृति में भी यही आदेश हैः—

मोहाद्राजा स्वराष्ट्र्यः कर्षयत्यनवेक्षया ।

सोऽचिराद् भृश्यते राज्याज्जीविताच्च सबान्धवः ॥

जो राजा सूखेता तथा मोहवश होकर अपनी प्रजा को सताता है वह शीघ्र राज्य से छुत किया जाता है और बन्धुओं सहित सृत्युलोक को प्राप्त होता है । मनु ने वीना, नहुष, लुदास, लुमुख, तथा निमि नामक राजाओं के उदाहरण भी दिये हैं किंतु इन राजाओं ने ब्राह्मणों की इच्छानुसार वर्ताव न किया, इस पर उन्हें शाप देकर मनुष्यरूप से बदल दिया गया । अर्थात् प्रजा की ओर से इन राजाओं को स्थिरासन से उतारा गया किसी लोकसभा में उन

के अपराधों का निर्णय हुआ- यह बातें नहीं दीख पड़तीं किन्तु शुक्राचार्य ने इन बातों का परिणाम निकल लकड़ा है। कुछ ही वर्षों न हो मनु के यह वाक्य कि अत्याचारी राजा लेवल राष्ट्र से निराश नहीं होता बल्कि कुछ हित जीवन से भी निराश हो बैठता है--आँगणों के इतिहास से उच्चे दावित होते हैं ।

आँगल इतिहास बोता जानते हैं कि राजों के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा ने रिचर्ड, एडवर्ड-चार्ल्स Richard, Edward II, Charles I के सिर काट लिये और John जान, जॉन II के विरुद्ध ऐसे युद्ध किये जिन से उन्हें खत्मन्तर का पृथक् प्रमाणपत्र तथा लंसार्मसिड अधिकारपत्र (Bill of Rights) १६८९ से मिला। भारत में किसी राजा को प्रजा की ओर से विहासन से उतारने का वर्णन नहीं मिलता--इसलिये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इस आज्ञा का पालन कहाँ तक होता था। किन्तु स्पष्ट रहे कि राजा की शक्ति का लब से बलिष्ट बाधक यही कारण है क्योंकि जो राजा गण लद्द दिमाग़, अहंकार, मोह और गर्व की सूर्ति

हों। यदि 'उन्होंने' सिंहासनीं से न उतारा जाए सके और उन के स्थान पर शोभ्य पुरुषों को न बिठाया। जाए सके तो वे असंख्य अत्याचारीं से प्रजाओं को पीड़ित करते रहेंगे—इस भूमि को अपने अत्याचारीं से न रकधाम बनाए देंगे, प्रजा को धर्म, अर्थ, कांस और मोक्ष की प्राप्ति से लहस्तों को सदूर रक्खेंगे।

एक पुरुष के लिये राज्यप्रबन्ध करना असम्भव है।

हमारे प्राचीन कृषिवर्ग अवश्यसेव एक सत्ता के राज्य की हानियों को समझते हैं और इस लिये उन्होंने उस में प्रबल बाधायें डालने के नियम बनाये हैं। शुक्रनीति में लिखा है 'छोटे से छोटा कार्य भी अद्देले पुरुष के लिये दुष्कर है' बड़े भारी राज्य का तो क्या ही कहना है? सर्व विद्याओं में कुशल और परिषिक्त राजा भी मंत्रियों के बिना अकेला कभी चिन्तन न करे।

'राजा सदा सभ्यों, कर्मचारियों, प्रधानपुरुषों और सभासदों की सम्मति से कार्य करे।

स्वतंत्रता को प्राप्त हुआ राजा बड़े २ अनर्थ लाता है। भिन्न २ परम्परों में भिन्न २ बुद्धिमत्ता और व्याव-

हारिक शक्ति पाई जाती है, अतः वह सब की सब  
एक ही पुरुष से नहीं पाई जा सकती ।

इस लिये राजा को आवश्यक है कि राज्य-वृद्धि  
के लिये अपने सहायक रखें जो कि कुलीन, गुणी,  
सुशील, शूर, भक्त, हितोपदेशक, सहिष्णु, धर्मरत,  
बुरे मार्ग पर चलने वाले राजा को भी बचाने वाले,  
शुद्ध चरित्र वाले, द्वेषरहित, काम, क्रोध, लोभ,  
मोह से रहित तथा आलस्यरहित हों । मनुस्मृति  
में भी ऐसा ही आदेश है ।

### मन्त्री सभा

“सब मंत्रियों की अलग २ राय और मिली हुई  
राय को जानकर अपनी हित की बात करे” । (Do  
what is best for you) । आजकल भारत की पर्याप्त-  
कर्तृ सभा ( Executive Council ) में भी मन्त्रियों की  
अलग २ और मिली हुई सम्मतियों को लेकर महा-  
लाट काम करते हैं । इस प्रकार एक सत्ता के स्वै-  
च्छाचार को शोकने की ओर पग उठाया प्रतीत  
होता है । अतः मन्त्रीसभा तो यीकित्तु वह केवल  
( advisory, consultative ) विचार करने के लिये

यी-राजा ही उस निश्चय को उत्तरदाता था । भारत में तो अब भी ऐसा ही है किंतु इंगलैंड में मन्त्री उत्तरदाता हैं और राजा किसी काम के लिये उत्तरदाता नहीं- बुरी बातों के करने में भी राजा का कोई अपराध नहीं होता, उस के मन्त्रियों का दोष है कि उन्होंने राजा को उमति नहीं दी होगी ।

### ( ३ ) राजा दण्डनीय है

अति प्राचीनकाल में राजाओं को तिलक देने की जो रीति थी, उस के पठन से ज्ञात होता है कि राजाओं की शक्ति को रोकने के साधन थे, और बड़े बलवान् साधन थे, देखिये- -

शतपथ तथा ऐतरेय ब्राह्मणों में राजा के महाभिषेक की रसम समान है और वह बड़ी विशिष्ट है । जहां उन से स्वेच्छायारी राज्य को रोकने के भाव प्रकाशित होते हैं, वहां दृढ़तापूर्वक यह विश्वास भी होता है कि इस रसम में भी संसार ने अब तक कोई विशेष उन्नति नहीं की । प्रत्युत उसी रसम की स्वभावतः परम्परा से पूर्ण करते आते हैं । महाराजाधिराज बनने की इच्छावाला राजा चिरजीवन,

स्वतंत्रता और प्रजा पर स्वत्व जमाने की प्रार्थना के मन्त्र पढ़ कर लिहासन पर बैठता था।

इस प्रकार बैठ चुकने पर पुंरोहित उसे राजा उद्घोषित करते थे और कुछ ऐसे शब्द कहते थे कि एक क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है जो सम्पूर्ण जगत् का मालिक है, जो शत्रुओं का घातक है, जो रिपुओं के दुर्गों को भंग करने वाला है, जो असुरों का घातक है, जो ब्रह्म और धर्म का रक्षक है। इसी घोषणा ले विधि पूर्ण नहीं होती थी--राजा लो सब प्रकार की उपरोक्त विभूतियाँ उस से लीन ली जासकी थीं यदि वह प्रजा वा ब्राह्मणों को हानि पहुंचावे। इस कारण राजा को विशेष शब्दों में शपथ लेनी पड़ती थी कि वह कभी हानि नहीं पहुंचावेगा, यदि पहुंचावे तो उसे राज्य से चुत कर दिया जावेगा। फिर यह शपथ भी पर्याप्त न समझकर उस की पीठ पर दण्ड मारा जाता था कि यदि वह अपने शासन में अपराध करेगा तो उसे भी दण्ड दिया जा सकेगा--वह आधुनिक यूरूपी महाराजाधिराजों के समान अदण्डनीय न था, (परन्तु अमेरिकन प्रधान की न्याई दण्डनीय था) जिन का यह सिद्धांत है कि King can do no wrong-

‘राजा कोई अपराध नहीं कर सकता ।’ मानव शास्त्र में एक स्थान पर यह भी मिलता है ‘न राज्ञसंघ-दोषोऽस्ति’ ( The king is not tainted by sin ) राजा को पाप कलङ्कित नहीं कर सकता ।

परन्तु नियम कुछ नहीं कर सकता; जब तक कि प्रजा से उत्साह न हो । परिविल शक्ति का राजा स्वेच्छाचारी हो सका है जब कि पूजा उच्चके कामों पर ध्यान न दे और नियमों ले उल्लंघन करने पर उसे क्रोध प्रकट न करे, अतः उपरोक्त शुद्ध नियमों के होते हुए भी हम कुछ नहीं कह सके कि प्रजा पर वास्तविक राज्य कैसे होता था ?

मनु के अनुसार भी राजा दण्डनीय है ।

मनु का निम्न श्लोक स्मरणीय है क्योंकि इस से स्पष्ट पता लगता है कि राजा को धार्मिक बनाने का कितना बहुत यत्न ऋषियों की ओर से किया गया था ।

काषर्णपेण भ्रष्टेद्दरड्य सद्वस्त्रभिति धारणा ।

अष्टापरद्यन्तु शूद्ररूप स्तैयं भवति विहितपद् ॥

जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा

दरड हो, उसी अपराधमें राजा को सहस्र पैसा दरड होवे । अर्थात् साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुणा दरड होना चाहिये । भगवान् दयानन्द ने इस शोक पर टीका लिखी है “यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दरड न होवे तो राजपुरुष प्रजापुरुषों का नाश कर देवें । जैसे यिह अधिक और बकरी छोटे दरड से वंश में आ जाती है इस लिये राजा से लेकर छोटे से छोटे भूत्य पर्यवृत्त राजपुरुषों को अपराध में प्रजा पुरुषों से अधिक दरड होना चाहिये” ।

फिर मनु ७.२८ में कहा है कि दरड बड़ा देजो-मय है उसको अनपढ़ और पापी धारण नहीं कर सकता, धर्म से विचलते हुए राजा का भी बन्धु सहित यह दरड नाश कर देता है ।

इन वाक्यों से पता लगता है कोई लोकसभा या ब्राह्मणसभा होती थी जो राजा को स्ववंश में रखती थी-अपराध करने पर उसे दरड दे सकती थी । राजा कुछ न कुछ वल्क बहुत कुछ वाधित अधिकार का होता होगा । किंतु यह शोक मनु के कहे बहुत से वाक्यों के सर्वथा विरह है और जो राजा के कर्त्तव्य तथा उस

की दिनचर्या मनु ने बतलाई है, उससे भी यही पता लगता है कि यह स्वेच्छाचारी एक सत्तांत्मक राजाओं का वर्णन है, और उक्त दो श्रोक इनके विरोधी हैं।

### (ज) ब्राह्मणों की प्रधानता

सभे ब्रह्मणों का राजाओं से उच्च होना भी एक बहु बन्धनकारी साधन था। दुराचारी राजा के राज्य में साधु, परिडत, संन्यासी, ऋषिजन वास करना छोड़ देते थे, या विद्वान् जिन्हें देव कहा जाता था जिस राजा को शाप देकर वह अपने तई हृत-भाग्य समझता था। अतः अवश्यमेव राजाओं का स्वेच्छाचार रुका रहता होगा।

(क) अंति प्राचीनकाल में जब दशरथ महाराज की सभा में विश्वामित्र जाते हैं तो राजा सिंहासन से उठकर उन्हें स्वयम् अन्दर ले जाते हैं, उन्हें सिंहासन पर बिठाते और स्वयम् नीचे बैठकर उनसे कुशल पूछते हैं।

(ख) महाभारत में लैंकड़ीं ऋषियों के तर्पण का

वर्णन आता है जहां राजा गण ब्राह्मणों के सामने अतीव तुच्छ प्रतीत होते हैं ।

( ३ ) उपनिषदों में कई स्थानों पर यही दृश्य दीख पड़ता है । यहां उदाहरणार्थ एक घटना पेश की जाती है ।

अश्वपति राजा के राष्ट्र में औपमन्यव, पौलुषि, इन्द्रद्युम्न, बुडिल, आश्वतरश्चि नामी ऋषि जाते हैं । राजा भयभीत हो जाता है कि अपनी तपस्याओं को छोड़ कर यह साधुजन मेरे पास क्यों आये हैं और मेरा भोजन भी क्यों स्वीकार नहीं करते । अब इसमेव मैंने कोई अपराध किया होगा, अपने तई निरपराध ठहराने को राजा अश्वपति अपने राष्ट्र की अवस्था का यह चित्र खींचता है ।

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मध्यपः । नानाहिता-  
ग्निनार्विद्वान्, न सैरिणी ।—मेरे राष्ट्र में कोई चोर,  
शराबी, अनपढ़, ठयभिचारिणी स्त्री, अग्निहोत्र न  
करने वाला नहीं पाया जाया—अतः आप प्रसन्न हो-  
कर भोजन करें ।

अतः सबे ब्राह्मणों के भय से राजगण अवश्यमेव

सदाचारी तथा राज्य के हितवर्धन की चिन्ता करते रहते होंगे।

(ख) कविवर कालिदास ने अपने रघुवंश में वशिष्ठ ऋषि की कुटिया से दिलीप के जाने का जो दृश्य खींचा है उसे पढ़कर कौन कह सकता है कि आज कल के शान्तो शौकृत पञ्चनद, अहंकारी, अभिमान की सूर्ति राजा महाराजों की न्याई भारतवर्ष के पूर्वीन राजा होते थे ?

(ड) श्री राम के आत्मत्यागी भार्ण—भारत माता के सुपुत्र भरत अब भारद्वाज ऋषि की कुटिया में सेना समेत जाते हैं तब वह अपनी तब वह अपनी सारी सेना को आज्ञा देते हैं कि वह आश्रम में पदार्पण न करें क्योंकि इससे ऋषि के आश्रम में विचलन पड़ेगा ।

**राजा स्नातक से कम पदवी रखता है**

(छ) एवम् विद्वानें और स्नातकों के मुक्ताविले में राजाओं की स्थिति देखिये ।

मनु भगवान् ( २. ३८ ) के यह वाक्य हैं, जहाँ

भिन्न २ कई आदमी इकट्ठे हैं वहाँ स्नातक और राजा मान्य के योग्य हैं और जहाँ स्नातक और राजा हैं वहाँ राजा को स्नातक का मान्य करना चाहिए यही विचार आपस्तम्ब II, 5-7, गौतम VI 24, 25, वसिष्ठ XIII, 58-60, बौधायन II. 6, 30 याज्ञवल्क्य I, 117 और विष्णु 43, 51 में पर्ये जाते हैं। जब राजों से स्नातक उच्च पदवी रखते हैं तो स्पष्ट है कि प्राचीन आर्य, राजा को देवता समझकर उसकी पूजा नहीं करते थे। हमारे शास्त्रों में राजाओं की पूजा और देवता पन के शोक कुछ मंद बुद्धिवाले परिडताभास लेखकोंने खिला दिये होंगे।

## राजा कौन है ?

( छ ) इस विषय से शुक्रनीति की एक अन्य अत्युत्तम साक्षी लीजिये—

‘कर्मचारी वर्ग कभी राजलेख के विना कार्य न करें, भूल जाना सनुद्य कर स्वाभाविक गुण है अतः लिखित पन अच्छा निर्णायक है, राजा से अंकित पत्र असली राजा है, राजा राजा नहीं’। आज कल का

अति प्रशंसनीय नियम कि पद का मान है न कि उस पद के धारण करनेवाले पुरुष का। इन वाक्यों में मिलता है। राजा तो राजा नहीं बल्कि राज्यपद की मुद्रा राजा है। राजा की ज़्यानी बातों की कुछ परवाह नहीं की जासक्ती—उसकी लिखित आज्ञा का ही प्रजा को सन्मान करना चाहिये। राजा अन्याय न करसके, इस विषय में निम्न बन्धन दिखाई देते हैं।

### प्राचीन भारत में वकीलों की सत्ता

(ज) इंग्लैण्ड में जो Heabus Corpus हीवस कार्पस नामी पत्र पर चिरकाल तक भगड़ा रहा, जो यह था कि किसी नर नारी को विना राजपत्र दिखाये कि उसका क्या अपराध है, कोई पुलिशमैन क़ैद न करसके। यदि अपराधपत्र न दिखाया जावे और उस दोष से रिक्त होने का अवसर न दिया जावे तो अपरिमित अन्याय राजाओं की ओर से हो सकता है जैसा कि मुसलमानों समय में होता रहा या आख कल कुछ देशी रजबाड़ों में होता है। महाराज किसी कर्मचारी से रुप्त हुए तो उसकी जागीर छीन कर, पदच्युत करके क़ैद में डाल दिया या देशनिकाला

दे दिया । अपराध क्या है और अपराध वस्तुतः किया भी ज्या है या न, इस बात की उनकाई नहीं । यह स्वेच्छाचार है, राज नहीं, फिर बड़ी विचित्र बात है कि आज कल के सभ्य काल में हमारे कई राजवाड़ों में वकीलों द्वारा अपराधियों को अपनी रक्षा करने का अवलुर न दिया जावे । निसन्देह आज कल वकीलों के कारण लुक़द़नःबाज़ी बढ़ रही है और दोषी लोग छूट भी जाते हैं और निरपराधियों को दण्ड होजाता है किन्तु राज्य की ओर से वकील नियम हों और 'जो पुरुष कानून नहीं जानते, जिन्हें अन्य बहुत काम है, जो शुभाषक नहीं, जो मूर्ख हैं, जो बद्ध बालक रोगी हैं और जो स्त्रियां हैं, ऐसों के लिये वकीलों का होना आवश्यक है' । साथ ही वकीलों के गुण शकाधार्य के अनुसार ऐसे होने चाहियें:—

जो मनुष्य व्यवहार (law) और धर्म को जानता हो केवल उसे ही वकील बनाना चाहिये, और यदि वह रिश्वत लेता हो तो राजा को चाहिये कि उसे दण्ड देवे । राजा को सदा अपनी ही इच्छा से वकील नहीं निश्चित

करना चाहिए । परन्तु यदि वह लोभवश हो—भ्रूठा पक्ष करता हो तो उसे दण्ड देना चाहिए ।

राजा को राग, लोभ, क्रोध तथा केवल अपने ही परिष्ठान से दोषी के न्याय का फैसला नहीं करना चाहिए ।

जिस के बिरुद्ध अभियोग हो उसे राजा अपनी मुद्रा (सम्मन) या पुरुष भेज कर बुलवावे ।

इन विविध नियमों से अब स्पष्ट हो गया होगा कि जहाँ तक एक सत्तात्मक राज्य का प्रभु है, वहाँ तक हमारे ऋषियों ने उसके स्वेच्छाचार को रोकने और राजा को परिमित शक्तियों के रखने वाला बनाया है ।

अब हम एक सत्ता के राज्य की त्रुटियों की ओर ध्यान देते हैं । उन्हें ध्यान से सुनना चाहिये, ताकि आपको ज्ञात हो कि उत्तम से उत्तम एक सत्ता का राज्य भी यद्यपि वह बङ्घया के पुत्र की न्याई इस संलाल में अविद्यमान होगा—प्रजा का हितवर्धक नहीं हो सकता—कि यह आदर्श राज प्रणाली नहीं ।

## अध्याय ५

एक सत्तात्मक राज की हानियाँ ।

महती देवता हैषा नररूपेण तिष्ठति ॥ मनु ३.८

जिस प्रकार के कई तुच्छ विचार राजा की प्रतिष्ठा के बारे में मनुस्मृति और शान्तिपर्व आदि नीति-शास्त्रों में पाये जाते हैं—निश्चय जानिये कि सभ्य संसार उन्हें उन कर छी छी की पुकार से आकाश को गुंजा देगा, और ऐसी गंदगी को कभी अपने सामने नहीं आने देगा ।

वे ऐसे असभ्य विचार हैं कि बत्तमान काल के सभ्य लोग उनसे सहस्रों कोष दूर भागना चाहेंगे ।

मेरा अपना विश्वास है ऐसे जीव श्रेणी के विचार मनु भगवान् के कभी नहीं हो रुकते, लश्च तुच्छ बुद्धि वाले परिष्ठताभासों ने अन्धकारस्य संख्य में मिला हिये होंगे । खैर ! यह मिलावट की बात जैसे भी हो—विचार दह हैः—

१. मनुष्य जानकर बालक राजा भी अपमान करने

योग्य नहीं है, क्योंकि यह एक बड़ा देवता मनुष्य रूप से स्थित है । ७. ८

वंशपरम्परा के राजा जैं ऐसे वाक्यों का होना आवश्यक है क्योंकि राजवंश में ही राज रहना हो तो मृतराज का गत्र नाभालग भी हो सकता है । ऐसी दशा में सम्भव हो सकता या कि प्रजावंग उसकी परवाह न करते हुए किसी योग्य पुरुष को राजा बना देते या उसकी आज्ञा ए न मानते, अतः मनुस्मृति में यह लिख दिया गया कि वह साधारण मनुष्य नहीं वह एक महान् देवता है--अतः बालक न जान कर लिख उसे देवता मान कर उसकी आज्ञाओं का पालन करो । परन्तु कौन नहीं जानता कि बालक राजा का समय स्वार्थी मन्त्रियों के अत्याचार का समय होता है- विदेशी राजा राष्ट्र पर आक्रमण करते हैं-एवम् प्रजा के अनहित की सैकड़ों बातें होती हैं । “न राज्ञामधदोषोऽस्मित” मनु जैसे वह वाक्य की साधारण नहीं हैं-योरुप से Divine Rights of Kings राजाओं के दैवी अधिकार व परमेश्वर के प्रतिनिधि इनसे राजाओं के निर्भयता का ज्ञाव सैकड़ों वर्षों से हटा दिया गया है और तभी वह अब स्वतन्त्रता प्रिय

जातियों का महाद्वीप है किन्तु मनुस्मृति में इन्होंने दुष्ट बलों पर अल दिया गया है जैसे—

२. अग्नि के ऊपर कोई मनुष्य कुचाल चले तो वह केवल उसी एक मनुष्य को जलाती है परन्तु राजा कुचाल चलने वाले के कुल को भी पशु और धन सहित नष्ट कर देता है । ७.६

रूपष्ट है कि यहाँ राजाओं को अपरिमित शक्ति दी गई है जो प्रजाएँ को सर्व प्रकार से दबाती है । इस में उचित समालोचना ( Just criticism ) का भी स्थान नहीं प्रतीत होता और जब अगले स्तोक में यह कहा दिया कि जिन २ पुरुषों पर राजा अनु-प्रहृ-करे-जो-उस के प्रेमपात्र होने से धनी हो रहे हैं उन के बिलकु शब्द न उठावे और जिसे राजा अपना शत्रु समझ लेते--उसे पूजा जाए शत्रु समझ लेवे तो पूजा के स्वातन्त्र्य का द्वार बंद कर दिया गया है ।

३-जो अद्वानवश राजा से द्वेष करता है वह निश्चय से नाश को प्राप्त होता है, क्योंकि उस के शीघ्र नाश के लिये राजा मन लगाता है—७.१२.

४. इस लिये राजा अपने अनकूलों में जिस धर्म और

प्रतिकूलों में जिस अनिष्ट का निर्णय करे—प्रजो उस धर्म को न तोड़े । ७, १३ ।

रामायण का भी एक इलोक स्मरणीय है:—

राजा सत्यश्च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम् ।  
राजा माता पिता चैव राजा हितकरो नृणाम् ॥

“राजा सत्य और धर्म का अवतार है, राजा कुलीनों का भी कुलीन है, राजा प्रजावर्ग की माता और पिता है, राजा प्रजा का हित करने वाला होता है” । भारत को शारत करने वाला यही दुर्विचार है कि राजा गण सत्य और धर्म की मूर्ति हैं कि वे पूजा के माता पिता हैं । हाँ खबं पूकार से पूजा का हित करने वाले राजा को कोई पिता कह देवे तो बुरा नहीं लगता किंतु तत्क्वेता मिल साहब का विश्वास है कि स्वेच्छचारी एक सत्तात्मक राज में उत्तम से उत्तम राजा भी प्रजा का उतना हितवर्धक नहीं हो सकता जितना प्रजासत्तात्मक राज में निकृष्ट से निकृष्ट प्रधान कर सकता है—इसलिये राजा को पिता नहीं कहना चाहिये ।

( II ) दूसरा कारण यह भी है कि सहस्रों राजा

पूजा का पौड़ा देने वाले अत्याचारी राक्षस होते हैं उन्हें हम धर्म तथा सत्य का अवतार और पिता के संनान सकते हैं ?

( III ) मनुस्मृति आदि नीतिशास्त्रों में शत्रुओं को क्रान्ति में करने के लिये जिन आठ प्रकार के साधनों का वर्णन किया हुआ है--उन्हें करता हुआ राजा कदापि सत्य तथा धर्म की मूर्ति नहीं हो सकता बह कपट, छल, असत्य, अधर्म की मूर्ति होता है । हमारे विचार में उक्त आठ साधनों के बिना संसार में राज नहीं चल सकता, इसलिये कई दार्शनिक राज को आवश्यक बुराई (Necessary evil) मानते हैं । साथ ही राजा गण के लिये भी आवश्यक है कि वे गुप्त मंत्रिगण, कपट, छलादि का आश्रय लेकर काम चलावें, जब शास्त्रकार इन बातों के करने की आज्ञा देवें और साथ ही राजाओं को सत्य तथा धर्म के अवतार कहें, तो इस से बढ़कर विरोधनी बातें संसार में नहीं हो सकतीं ।

( IV ) सत्य तो यह है राजा पूजा का ( समूह रूप से जो कि पूजा पुरुषों में से प्रत्येक भूक्ति का )

सेवक है। प्रजा राजा का मालिक वा स्वामी है, वही उस का पिता है न कि राजा प्रजा का स्वामी व पिता व माता है। हमारे मनुष्यकृत शास्त्रों ने राजा प्रजा की स्थिति उलटा दी है और इसी से ही हमें सहस्रों अष्टों तक पराधीन रहना पड़ा है। और अति प्राचीन काल से भी कहीं अवसरों के सिवाय पूजासत्तात्मक राज का कदापि पता नहीं मिलता।

अब शांतिपर्व के कुछ विचार सुनिये:- 'राजा की आज्ञा पालन इस लिये नहीं करनी चाहिए कि वह एक मनुष्य है परंतु इसलिये कि मनुष्य के रूप में वह एक महादेव है, राजा का क्रोध उस पुरुष के पास कुछ भी नहीं छेड़ता' जिस पर राजा क्रुद्ध होजावे। राजा से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक बात को दूर से ही नमस्कार करना चाहिये, श्रुतियों का कथन है कि राजा का राजतिलक करते समय राजा के रूप में इन्द्र का ही राजतिलक हो रहा होता है, जो पुरुष अपनी समृद्धि का अभिलाषी हो उसे इन्द्र के समान राजा की पूजा करनी चाहिए, राजा का दैवीपन Divinity के सिवाय और क्या कारण ऐसा हो सकता है जिस से इस संसार के सर्व मनुष्य उपर को आज्ञा पालन करें, इसलिये जो पुरुष अपने हृदय

की अन्तर्दित गुफा में भी राज का अनहित चिंतन करता है—उसे यहाँ अवश्यमेव दुःख उठाना पड़ता है और वह निश्चयपूर्वक नरक लोक में जाता है ।

Even if the king be unmindful of his duties,  
the subjects should not be dissatisfied—यदि राजा  
स्वकर्तव्य पालन न करे तो भी प्रजा असन्तुष्ट न हो ।

( शान्तिपर्व )

प्राचीन लोग कहते हैं कि देव और राजा में  
कोई भेद नहीं। एवम् यहाराजा युधिष्ठिर का एक प्रश्न  
ध्यान से सुनने योग्य है ( शांति. ५६ अध्याय ) । है  
भरतनन्दन ! मैं देखता हूँ कि इस भूमि पर राजा तथा  
साधारण नर नारियों की बनावट में कोई भेद नहीं—  
हाथ, पांव, मुख, गर्दन, वीर्य, हड्डी, मांस, मज्जा, रक्त,  
बुद्धि, इन्द्रिय, आत्मा, सुख, इच्छा, विश्वास, प्राण,  
शरीर, जन्म, मृत्यु और अन्य सहस्र प्रकार से राजा  
अन्य पुरुषों के समान है। फिर भी वह बुद्धिमान और  
शूरवीर पुरुषों के ऊपर राज्य करता है। इस कांक्षा  
कारण है कि राष्ट्र में बहुत से शूरवीरों, कुलीनों,  
बुद्धिमानों, सदाचारियों के होते हुए एक पुरुष प्रजा

पर राज्य करता है ? लों सब कोई एक पुरुष के प्रसन्न करने की अभिलाषा करते हैं ? लों उस एक पुरुष के प्रसन्न होने पर सब कोई प्रसन्न और उस के ठथाकुल होने से सम्पूर्ण पुरुष व्याकुल होते हैं ? हे भरतर्षभ ! इस रीति का कोई प्रबल कारण होना चाहिये क्योंकि यह देखा जाता है कि उस एक पुरुष को देवता के समान सब कोई नमस्कार करते हैं । इस के उत्तर में भीष्मजी विरजस् की कथा उनाकर राजा हो कर दूसरों पर शासन करने का यह सिद्धान्त ठहराते हैं । “ पूर्व जन्म के किये हुए, सुकर्मों के जय होने पर कई आत्माएं खर्गलोक से गिर कर पृथिवी पर आती हैं, और सत्यगुणावलम्बी, बुद्धिमान्, दण्डनीति जानने वाले भूपति होकर जन्म ग्रहण करते हैं । तिस के अनन्तर देवताओं से अभिषिक्त होकर उच्च माहात्म्य को प्राप्त होते हैं—बस, इसी कारण अखिल जगत् उस एक ही पुरुष के वशीभूत होता है और उस के शासन को अतिक्रम नहीं करता । ” महाराज भीष्म के उक्त कथन पर हमें कुछ वक्तव्य है ।

( १ ) पूर्व जन्म के कर्मों के कारण कोई राजा और

कोई निर्धन के घर पैदा होता है-इस में सन्देह नहीं, ( ii ) पर लक्ष्मि राजा सत्त्वगुणी, नीतिनिपुण और बुद्धिमान् होते हैं-यह संसार के अनुभव के विरुद्ध है ( iii ) कि उन में कोई दैवी अंश है-यह भी सर्वथा इतिहास से प्रसापित नहीं ठहरता, ( IV ) फिर राजा के घर में पैदा होने वाले सभी लुखी नहीं होते। मुसलमानों के समय हमें ज्ञात है कि विहासन पर बैठने वाले भाइयों ने भाइयों को और पिताओं ने अपने पुत्रों को भी अकथनोय कष्ट दिये । ( V ) जहाँ संप्रजातन्त्र राज्य है- पांच छै वर्षों तक मधान शासन करते हैं क्या वहाँ ऐसी आत्माएँ नहीं जातीं, केवल भारत जैसे देशों से उनका आगमन होता रहा और रहेगा ? अब लारे संसार में संप्रजातन्त्र राज्य होना क्या उस समय ऐसी आत्माओं के आगमन का चक्र बन्द हो जावेगा ? ( VI ) हमें यह भी संशय है कि राजाओं को लुख होता है और विशेष तौर पर उन राजाओं को जिन के कर्म शास्त्रों ने लिया किये हैं-उन्हें तो यहाँ ही नरक होता । अभिप्राय यह है कि:-

यदि सद्गुणावलम्बी, बुद्धिमान् तथा दण्डनीति के

जानने वाले राजा गण हों तो सम्भवतः शासन के कुछ कर्त्तव्यों को वे करलेंगे किन्तु कोई पुरुष सद्गुणों वाला वस्तुतः नहीं कहा जासकता जो अन्यों की समानता, स्वतन्त्रता, उत्साह, वीरता, धीरता, राज्यप्रबन्ध की शक्ति का विमर्दन करके सारी आयु तक स्वयं राज्य करता और फिर पुत्र को राज्य सौंप जाता है । आदर्श राजगण वे होंगे जो अपनी प्रजा को प्रजासत्तात्मक राज्य के लिये शीघ्र तय्यार करके अपने आप ही राज्यपद से त्याग-पत्र देंगे और प्रजा को विराष्ट्र Repubtcs के बनाने में सहायता देंगे और स्वयं देश के उत्तम नागरिक के तौर पर जीवन व्यतीत करके दिखावेंगे । अतः भीष्म महाराज के मुखारविन्द में जो शब्द रखे गये हैं वे सर्वांश में ठीक नहीं किन्तु बहुत से देशों के बादशाहों के जीवनों को देख कर हम कह सकते हैं कि वे सर्वथा असंत्य हैं ।

संसार के इतिहास के अध्ययन, अबलोकन और भनन से हमारा यह भी विश्वास है कि वंशपरम्परागत राजा गण प्रायः आम तौर पर नीचतम् पुरुष थे । वे काम, क्रोध, लौभ, सोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, क्षेष, कंपट, छल, क्रूरता, निर्देयता और असत्यता की मूर्ति

थे । वे आप तौर पर आचारभृष्ट, दुरात्मा, और  
अधम पुरुष हुए हैं । धन, एकाकी शक्ति और चापलू-  
खी की जो बुराइयें होती हैं, वे उन से कूट २ कर पाई  
जाती हैं । सभ्यगण ! क्या आप नहीं जानते कि मुसल-  
मानी और हिन्दु राजाओं में बहु विवाह की रीति  
थी और अब भी है । प्रजापालकों और संसार सुधारकों  
ने सैकड़ों हिन्दूओं को अपनी धर्मपत्नियां बनाया  
होता है और उनके अतिरिक्त सैकड़ों दासियों का  
बलात्कार से स्वीकृति करते हैं । क्या अकबर, शाहजहां,  
जहांगीर के मीना बाज़ार भूल जावेंगे ? क्या जहां-  
गीर ने जिल्ह शठता से नूरजहाँ को प्राप्त किया था  
वह भुला दिया जावेगा ? क्यों हम इन राजाओं  
को देवता मानें ? क्या आप को ज्ञात नहीं कि  
अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, फूर्स  
का १४वाँ लूई आदि बादशाह अपने शत्रुओं और  
कर्मचारियों को मारने के लिये पानों में या, अन्य  
किसी विधि से विष की गोलियाँ दे देते थे ? सैकड़ों  
निरपराधियों को निर्दयता से मरवाते थे ? क्या हम  
इन्हें देवता मानें ? आहिमा मूँ । त्राहिमा मूँ । नैपोलियन,  
औरंगज़ेब, बलबन, अलाउद्दीन, शेरशाह नासी

बादशाहों के जीवनों को पढ़िये तो आप को पता लगे, कि वे लोग किस प्रकार शठता, कपट, छल, निर्देशन, और असल्यता की सूतियें थीं, तो वहा उन को देवता जात्कर पूजा जावे ?

### विराष्ट्र में प्रधानों को स्थिति

ल्या इनके सामने हिर कुकोया जावे ? क्या इन के सामने दृष्टिक्षमता की जावे ? क्या इन को विष्णु इन्द्रादि देवता कहा जावे ? कदापि नहीं, कदापि नहीं ? सच तो यह है इस संसार में पैदाकराज्यपरम्परा की रीति सर्वथा हेय है। सभ्य संसार क्षम विश्वास को पहले ही पहुंच लुका है, शोक है, कि हमें अपने नीतिशास्कों में उन उच्च विभारों की भावा भी नहीं मिलती जो आज कल के सभ्य संसार में वंशावल, राजाओं के रूपान् परं प्रजा की ओर से चुने हुए प्रधानों के विषय में पाये जाते हैं—यह प्रधान ३, ५, वा ७ वर्षों तक रहते हैं। योग्यतम् पुरुष ही प्रधान की पदवी पा सकते हैं, यदि अतीव योग्य पुरुष प्रधान नहीं बनते तो कम से कम वे पुरुष तो होते हैं, उनके आचरण भूष्ट नहीं होते। आम तौर पर अमेरिका में उत्तराधारण वंशों के लोग प्रधान बनते हैं,

और अपनी प्रधानी का समय व्यतीत होने पर फिर वे साधारण पुरुष हो जाते हैं, इस लिये उन्हें देवता समझकर नहीं पूजा जाता, उनके सामने फिर नहीं शुकाया जाता, उन्हें दण्डवत् नहीं को जाती, वे मनुष्य समझे जाते हैं और वे भी अपने आप को मनुष्य ही समझते हैं अतः वह अन्यों से भाइयों की न्याई व्यवहार करते हैं। नीच से नीच पुरुष भी अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के श्वेतभवन White Hall में जाकर प्रधान से मिल सकता है, और प्रधान उस से हाथ मिलां कर मिलता है, उस से उस के परिवार तथा पेशी की कुशलता पूछता है, उसे अपने पास कुसी पर बिठाता है क्या यह समाज के भाव राजाओं के सामने हो सकते हैं? उन के दिमाग चढ़े रहते हैं, वे अपने को भगवान्, देव, इंद्र समझते हैं जैसे कि सिकंदर के विषय में ऐतिहासिक साक्षी हैं, और जब हमारे धर्म शास्त्र ही उन्हें देवता कहें, तो फिर प्रजा की स्थिति ही क्या है?

---

प्रधान, साधारण पुरुष समझे जाते हैं ।

साथ ही देखिये कि अमेरिका के प्रधानों की क्या स्थिति है, चमारों से प्रधान बन सकते हैं, जैसे “अब्राहम लिंकन” बना—उन्हें देवता कौन माने ? साधारण यूथपति रुजवेल्ट प्रधान बन जाता है, साधारण प्रोफेसर विलसन प्रधान बना हुआ है, अहो ! क्या ही उत्तम दृश्य है कि प्रधान टैफ्ट प्रधानी का समय गुजार कर अब अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का प्रोफेसर बना हुआ है ! यह बातें समानता का भाव सिखलाती हैं, सारी प्रजा में उत्साह, वीरता, पवित्रता, सदाचार, सद्गुणों की प्राप्ति की इच्छा पैदा करती हैं ताकि इन के कारण वह भी एक दिन प्रधान बन सकें ।

( ii )राजा गण राष्ट्र को अपनी जायदाद समझते हैं ।

घोरतम हानि जिस का बर्णन अब करना आवश्यक है यह है कि राजागण राष्ट्र को अपनी जायदाद समझते हैं और इस लिये जिस पुरुष को

वे राज्य हैं जो चाहें दे जावें-इस कर्त्ता से प्रजा की  
युद्धाता का लोहे विचार नहीं किया जाता । योहुप  
तथा भारत दोनों से यही लिहुत मिलता यह है ( i )  
नैपोलियन ने रक्षिषयों में यही सिद्धान्त दिखाया  
जब कि उसने अपने सम्बन्धियों को हालैरड, इटली  
और स्पेन का राजा बना दिया और उन के बादशाहों  
को सिंहासन से उतार दिया । बड़े हर्ष की बात है  
कि हमारे शास्त्र इस बात के पक्ष में नहीं क्योंकि  
‘वे बारम्बार कहते हैं कि जिस देश को फतह किया  
‘जावे उस देश की प्रजा की सुम्मति से नया राजा  
‘बना दिया जावे और विजेता अपने सम्बन्धी  
‘को राजा न बनावे या आप स्वयं उस पर राज्य न  
‘करे । जैसे प्राचीनकाल से श्रीरामने लंझा के विजय के  
पश्चात् रावण के भार्दे विभीषण को राज्य दे दिया ।  
पीछे का इतिहास न होने से कुछ नहीं कह सकते कि  
इस नियम पर कहाँ तक असल किया गया । ( ii )  
नैपोलियन के बन्दी होने पर जब हेश बाँटे गये तो  
जातियों का रूपाल न करते हुए उन्हें एक हूसरे के  
साथ मिला दिया गया-उन के नये २ राजा नियत  
कर दिये गये, किन्तु याद रखना चाहिये कि यदि

जाति का स्वाभाविक और आवश्यक अधिकार है तो प्रथम यही है कि वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राजा के आधीन हो सकती है। उस के राजा को यह अधिकार नहीं कि वह जनता को किसी विदेशी राजा के हाथ में सौंप जावे । इङ्ग्लैण्ड के राजा एडवर्ड कलफ़ेसर ने विटियम विजेता को इंगलैण्ड की प्रजा सौंप दी। उस समय जातीयता का विचार बढ़ा हुआ नहीं था तथापि युद्ध हुए क्योंकि एडवर्ड को कोई अधिकार न था कि वह स्वराज्य स्वयं सौंप जाता । क्या आप स्वराज में भी यह ख़्याल कर सकते हैं कि यदि महाराज जार्ज पंचम अपनी बस्तियों समेत इङ्ग्लैण्ड को फ्रांस के आधीन कर देवें और स्वयम् राज्य त्याग कर बैठ जावें तो इंगलैण्ड, बल्तियों और भारत की प्रजाएँ इस बात को कभी मान लेंगी ? कहापि नहीं ! यदि कोई राजा राज्य का ह्याग करना चाहता है तो करदे किंतु प्रजा का यह अधिकार होगा कि उस के पश्चात् यथेष्टु पुरुष को राजा बनावे ।

## भारत में राष्ट्र के जायदाद होने की साक्षियाँ ।

( क ) चूंकि भारत में प्राचीनकाल से वंश-परम्परागत एकसत्ता का राज्य रहा है, इस लिये विरकाल से ही यह विचार भी यहाँ रहा है कि राष्ट्र राजा की जायदाद है । इस श्री हरिश्चन्द्र महाराज की प्रतिष्ठा पालन के लिये बहुत प्रशंसा करते हैं । जिस आत्मत्याग का दूषांत उस महात्मा ने दिया । जिस प्रकार स्वयं भिखारी बना, अपनी धर्मपत्नी और पुत्र को बेचा और राजदाट छोड़—ऐसी मिसाल संसार के सम्पूर्ण इतिहास में कम मिलती है । किन्तु इस घटना से राष्ट्रसम्बन्धी व्या सिद्धान्त निकलता है ? उस ने अपना राज्य विश्वामित्र को प्रदान किया—प्रश्न यह है कि उस का क्या अधिकार था ? हमारे रुयाल में कोई अधिकार नहीं था । किन्तु ऐसा किया गया ।

( ख ) राज्य को जायदाद समझने का दूसरा उदाहरण लीजिये । श्रीराम के वनवास जाने पर दृष्टि डालिये । आप को पता है कि महाराज दशरथ ने अपनी रानी

कैकेयी को दो वर देने का वचन दिया था । दासी बन्धुरा से प्रेरित की गई रानीने राजा से यह वर मांगे कि (i) १४ वर्ष का बनवास रामचन्द्र को मिले और (ii) भरत को राजगद्दी दी जावे ।

महाराज के लिये यह शब्द हृदयविदारक थे क्योंकि राम सुशील, प्राणों से भी उपारा, सत्यवादी, निरपराध था, उसे बनवास देना उचित न था किन्तु महाराज के लिये वचन तोहना भी उचित न था । इसलिये राजपाट त्याग अपने माता पिता को शोक सांगर में ढुका, कोमलाङ्गी, प्राणघ्यारी, राजदुलारी, जनकनन्दिनी को चौर वस्त्र पहना, प्रेमी लक्ष्मण को साथ लेकर ओराम वन को छलदिये । उनके आत्म-त्याग का यह दृश्य संसार के इतिहास में नहीं मिलता । किन्तु बन्धुवर्ग ! हमें नीतिशास्त्र की दृष्टि से इस घटना पर विचार करना चाहिये ।

प्रथम प्रश्न यह है कि राज-सभा की ओर से निर्वाचित राजा ओराम को राज्यस्थुत करने का कैकेयी क्या अधिकार रखती थी ? हमारे ख्याल में कोई अधिकार नहीं हो सकता किंतु उस समय की नीति के

अनुकूल अधिकार था । (i) राज्यराजा की जागीर थी इसछिये कैकेयी राजा को कहती है कि 'आप राम को वनवास देकर मेरे पुत्र को राज्य दें' । (ii) लोकसभा ने तो राम को राजा स्वीकार किया था किंतु उस सभा से कुछ नहीं पूछा जाता (iii) महाराजदशरथ स्पष्ट कह सकते थे कि मेरे आधिकार में किसी को राज्य देना नहीं है, तू हे कैकेयी ! राजसभा के सामने अपना प्रस्ताव रख-यदि वे अपने निश्चय बदलने पर तयार हों तो मुझे कोई एतराज़ न होगा, किंतु क्या ऐसा किया गया ? नहीं । भला, यदि राजा ने यह उत्तर नहीं दिया था तो जब राजसभा की पता लगा तो वह भी इस दुष्टता को दूर कर सकती थी । वह यह कह सकती थी कि "श्रीराम हमारा निर्वाचित राजा है, उसे कोई व्यक्ति हमारी सम्मति के बिना राज्य से नहीं हटा सकता" । किंतु यह परमावश्यक बात भी नहीं की गयी । दूसरा प्रश्न यह है कि एक कैकेयी ने सारी प्रजा के लिये राजा चुना । क्यों ? यह प्रजाका अधिकार होना चाहिये था न कि दुष्टा कैकेयी का । अतः यहां पर यही परिणाम है कि राजा ने कैकेयी को राज्य दान दिया और कैकेयी ने

अपने पुत्र को वह राज्यदान दिया । उस समय न तो राजसभा ने इस के विरुद्ध शब्द उठाया न प्रजा ने शोर किया । हाँ ! प्रजा को राम के छनवास जाने पर शोक अवश्य हुआ और उन्होंने दशरथ को बुरा भला कहा और जब राम बन को जाने लगे तो मंजा भी लोंतक उन के पीछे दौड़ती गयी-किंतु यदि कोई आज कल की राजसभा होती या आज कल जैसा प्रजा का अधिकार होता तो कदापि राम बन में न जा सकता और यदि श्रीराम बन में जाते तो कदापि हुष्टा कैकेयी के सुपुत्र आत्मत्यागी, श्री-भरत राजा न बन सकते किंतु दशरथ की सृत्यु पर राजसभा हुई, उस में वसिष्ठ ने इस युक्ति से सब को चुप करा दिया कि भरत को राजा की ओर से यह राज्य दिया गया है (दत्तराज्य), अतः उसी को राजा बनाना उचित है ।

इस युक्ति के साथ मिलती हुई एक घटना आप सज्जनों को याद दिलाता हूं वह यह है कि समय २ पर भिन्न देशों के राजाओं ने अपने उत्तराधिकारी आप नियत किये हैं । प्रजा ने जहाँ लोकसभाएँ भी श्री-राजा की छाड़ा को अपने ऊपर शिरोधारी समझा ।

यथा इंग्लैण्ड में एडवर्ड कान्फ्रैसर, हैनरी अष्टम, एडवर्ड छठे और एलिज़ेबेथ ने अपने उत्तराधिकारी नियत किये था प्राचीन इतिहासों में सीज़र महान् और सिकन्दर महान् ने अपने उत्तराधिकारियों को नियत किया-ऐसा करना बता रहा है कि राष्ट्र राजा की जागीर है उस में प्रजा की इच्छा नहीं ज्ञात करनी कि वह किस से शासित होना चाहती है और किस से नहीं।

( ग ) आगे बलिये नल और दमघन्ती की कथा से कोई सज्जन अनभिज्ञ न होगा । क्या भाष को ज्ञात नहीं कि नल† ने जुए में राज पाट हार दिया-मैं पूछता हूं कि क्या आज कल का सभ्य संसार इस कुकर्म का सहन कर सकता है ? क्या आज कल प्रजा पासों में लगाइ जा सकती है ? राजा-प्रजा का प्रतिनिधि है न कि प्रजा राजा की जायदाद है ताकि जिस प्रकार राजा चाहे उस के धन, और शरीरों, लुखों का भी ग़करे ।

( घ ) फिर देखिये । धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अपने राज्य, धर्मपत्नी और भाष्यों को जूए में हार दिया ।

---

\* लेखकका 'भारतवर्षका संक्षिप्त इतिहास' भाग १-३००-३०२

अपने भाइयों और धर्म पत्री को हारने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये था किन्तु राज्य को पासे में उत्तराखण्ड का अधिकार अस्थान्त घृणित भी है। (७) इन्हीं महाराजों तक ही राज्यदान देने की प्रथा नहीं होती। २३२ ईस्वी में संसार प्रसिद्ध अशोक की मृत्यु पर यही दूष्यदीख पड़ता है। उस के महामन्त्री राधागुप्त ने सब को एकत्र करके यह सूचना दुनाई कि 'संघ को खारी पृथिकी महाराजा दान कर गये हैं'। निदान ४ को। उपर्या संघ को देकर वह राज्य छुड़ाया गया<sup>\*</sup>। इस प्रकार प्राचीन भारत के राजा राष्ट्र को अपनी जायदाद समझते थे और ऐसे जायदाद को यथेच्छया दान देने का स्वामी को पूर्ण अधिकार होता है वैसे ही राष्ट्र रूपी जायदाद के दान देने का अधिकार राजा को था।

### भारत में जातोयता का नाश हुआ

हरिरचन्द्र, नंल, दशरथ, युधिष्ठिर और अशोक आदि महाराजाओं का इतना दोष नहीं जितना उस समय के बने

\*लेखक का 'भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास' भाग १, पृ० २२२

नियमों का दोष है—यह स्मृतियों का दोष है । आज कल कोई राजा इस प्रकार का घृणित कार्य नहीं कर सकता क्योंकि जातीयता का भाव उम्रत है । किन्तु शोक है कि अति प्राचीन काल से ही हमारे अंदर जातीयता नष्ट रही है, नहीं तो इस प्रकार के उदाहरण न मिलते । इसी कारण शायद जातीयता भारत में अब तक दिखाई नहीं देली । जिस में यह भाव ही न हो कि हम स्वतन्त्र हैं और जो चुप चाप एक राजा से दूसरे राजा के आधीन होने के आदी हों उन के लिये कोई भी राज्य करे-कोई भेद नहीं-उन को आयों, यवनों, राक्षसों, अन्यायों में भेद ही नहीं दीख पड़ता, उन में दासत्व और स्वतन्त्रता के भाव उत्पन्न ही नहीं हुए, वहाँ प्रार्थना के मंत्र 'अदीनाः स्याम' कुछ अर्थ ही नहीं रखते । वहाँ मनु के यह वाक्य :—

सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।  
एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

निरर्थक हैं या अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को कम कर के इस संसार की त्याज्य समझ कर

आत्मा के उखों की तलाश के लिये तपस्या करनी चाहिये- ऐसे अर्थ निकाले जाते हैं । सज्जनो ! सच जानिये कि भारत में इस एकसत्ता के राज्य के कारण अब तक दासत्व रहा है । दूसरे देशों ने इस प्रथा को हटा कर स्वदासत्व हटाया और उखों की उपलब्धि की है ।

### अन्धकार में चमत्कार

मीमांसादर्शन के अनुसार राष्ट्र जायदाद नहीं ।

किन्तु हर्ष की बात है कि जैमिनी ऋषि ने राष्ट्र को दान में देने का पूरे तौर पर निषेध किया है बल्कि उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि राजा निज की जायदाद में से जो चाहे दान दे सकता है किन्तु राष्ट्र की मिलकीयत का किञ्चिदंश दान में नहीं दे सकता है । विश्वजित् यज्ञ की दक्षिणा में क्या देना चाहिये और क्या नहीं उन का इस विषय में आदेश ऐसा स्पष्ट है कि सभ्यपूर्ण का भाषानुवाद यहाँ देना उचित प्रतीत होता है :—

“ स्वदाने सर्वमन्त्रिशेषात् ॥ १ ॥  
 यस्य वा प्रश्नुःस्यात् इतरस्याऽशक्यत्वात् ॥ २ ॥  
 अध्याय द पाद ७

प्रश्न—ः १

“ विश्वजित् यज्ञ में सर्वस्व दान दे देता है ”  
 इस प्रकार लिखा है ।

तो क्या धन की तरह से पिता आदि का देना  
 भी दान है या नहीं ?

उत्तर—१ “ दूसरे के अधिकार पर हस्ताक्षे प  
 किये विना ही अपने से ( आत्मा से ) सम्बन्ध  
 रखने वाली वस्तुओं का देना ही दान है । ”

पिता के देने से पिता में से पितापना गुम नहीं  
 हो सकता और नहीं उस पिता की हेतु वैलि  
 ठयस्कि के पिता में से पितापना हटता है । ( प्रकट है कि युधिष्ठिर महाराज को कोई अधिकार न था  
 कि वह अपनी धर्मपत्नी वा भाइयों को दान दे  
 सकता । ) इसी ‘सर्वस्व’—इस शब्द में ‘स्व’  
 शब्द के चार अर्थ हैं :-

- ( १ ) खयं वह ठ्यक्ति ( आत्मा ) ।
- ( २ ) उस ठ्यक्ति के सम्बन्धी जन ( ज्ञाति ) ।
- ( ३ ) उस का धन ( धनम् ) ।
- ( ४ ) उस के अन्य पदार्थ ( आत्मीय ) ।

इस प्रकरण में गौ आदि धन के देने का ही  
वर्णन है, इस लिये धन आदि का ही विश्वजित् यज्ञ  
में देना दान है और पिता आदि का देना नहीं ।

विश्वजित् यज्ञ में राजा को भूमि देने का अधि-  
कार है या नहीं ?

न भूमिः सर्वान् प्रत्यविशिष्टत्वात् ॥ ३ ॥

अध्याय ६ पाद ७

प्रश्नः—२

क्या सर्वभौम राजा को विश्वजित्  
यज्ञ में वन, उपवन, तालाब, नदी,  
पर्वत आदि से युक्त सारी भूमि के दे-  
देने का अधिकार है या नहीं । क्योंकि  
स्मृतियों में आता है कि “राजा सर्वस्येष्टे ब्राह्मण-

वर्जन् । ” अर्थात् ब्राह्मण को छोड़ कर राजा का उब पर अधिकार है ?

उत्तर २-दुर्जनों को शिक्षा देना और सज्जनों का परिपालन करना ही राजा का कर्त्तव्य है और यही राजा का अधिकार है तथा स्मृति का भी यही तात्पर्य है, किन्तु भूमि के देने का अधिकार राजा को नहीं है । क्योंकि जो प्राणी अपने अपने कर्मों के फलों को यहां भोग रहे हैं उन का इस भूमि पर समानरूप से अधिकार है” । अहो ! कैसे उत्तम समष्टिवाद ( Socalism ) का प्रचार है और राजा का अधिकार कैसा परिमित किया है ?

इस लिये निज की भूमि के देने का अधिकार तो राजा की है पर सारी भूमि या पृथिवी के देने का

अधिकार उसे किसी प्रकार भी नहीं । अतः स्पष्ट है कि प्रजा की आज्ञा के बिना किसी राजा महाराजा को राष्ट्र-दान में देने का अधिकार नहीं ।

विश्वजित् यज्ञ में अन्न आदिका देता उचित है या नहीं ।  
श्रीकार्यत्वाच्च ततः पुनर्विशेषः स्यात् ॥ ४ ॥ अध्याय ६ पाद ७

प्रश्न ३—

“दक्षिणा में शेरों को नहीं देता है”

इस प्रकार विश्वजित् यज्ञ के प्रकरण में लिखा है, तो क्या इस का तात्पर्य यह है कि शेर को छोड़ कर और सब के देने का अधिकार है ?

और आगे लिखा है कि “घोड़े को छोड़ कर सब कुछ दे देना चाहिये ।”

इस लिये यह मतलब निकला कि शेर को छोड़ कर सब कुछ दे देवे अर्थात् कभी घोड़ा भी दे देवे और कभी न भी देवे ?

उत्तर ३—

“घोड़े को न देवे”

इस की व्याख्या हम दृश्यम् अध्याय के आठवें

पाद में करेंगे कि घोड़े को तो न देवे किन्तु क्या देवे । वहाँ हस सन्नत्र का प्रसाण देते हुए यह सब रूपष्ट करेंगे ।

किन्तु उत्तरांश यह है कि घोड़े को तो किसी हालत में भी न देवे ।

विश्वजित् यज्ञ में क्या जो कुछ उस के पास नहीं है वह भी देवे ।

नित्यत्वाचाऽनित्यैर्नास्ति सम्बन्धः ॥ ५ ॥ अध्याय ६ पाद ७

प्रश्न ४—

यहिते कहा जा चुका है कि सब कुछ ही दे देवे । लोक्या शर्या—कुर्सी आदि जो उल्ल के पास हैं वह दे देवे और जो कुछ उल्ल के पास नहीं है वह भावि में प्राप्त होने वाला धन भी सब कमा के देवे ?

उत्तर ४:—

सब कुछ देवे—इस का तात्पर्य यही है कि जो कुछ उल्ल के पास उस समय हो वह देवे ।

विश्वजित् यज्ञ में सेवक का दे देना ठीक है या नहीं ?

शुद्धश्च धर्मशास्त्रत्वात् ॥ ६ ॥ अध्याय ६ पाद ७

प्रश्न ५—जो शूद्र अपने धर्म को समर्पिता हुआ सेवा करता है क्या उस को दास के रूप में ही देना ठीक है ?

उत्तर ५—

जब हम अपने सेवक को तमख़्वाह और भोजन आदि देते हैं तो हमारा उस पर अधिकार ही क्या है ? और यदि हम स्वेच्छाचारी ( Despotic ) बन जावें फिर भी दूसरे के स्वत्व ( अधिकार ) को छोड़ना असम्भव है ।

इस लिये दक्षिणा में सेवक का देना अनुचित है ॥

जैमिनी ऋषि की यह अत्युत्तम साक्षी है—आज कल तो प्रत्येक सभ्य राष्ट्र में यह बात प्रचलित है किन्तु अति प्राचीन काल में ऋषियों ने इन नियमों को बनाया, यद्यपि कई राजाओं ने उन्हें भङ्ग किया तथापि बहुतों ने उन पर अमल भी किया होमा ।

**योग्यतम् राजा भी उत्तम् राज्य  
नहीं कर सकता ।**

अब हम इस बात को तट्टवेच्छा मिल खाहव के शब्दों में सविस्तर दिखाते हैं कि योग्य से योग्य

शासक भी क्यों न हो वह भी प्रजा का अभीष्ट तौर पर शासन नहीं कर सकता ।

मिल आहज 'प्रतिनिधिराज-प्रणाली' के तृतीयाध्यायमें यों लिखते हैं:—

**आदर्शशासनशैली प्रतिनिधि राज्य है ।**

१—"विरकात उस्थवतः आडग्ल स्वतन्त्रता के सुर्पूर्णकाल में ही) यह प्रतिक्रिया कहावत रही है कि "यदि एक स्वेच्छाधारी अच्छा राजा प्राप्त हो सके, तो एक सत्तात्मक स्वेच्छाधारी राज्य एक उत्तम शासनशैली होगी" । उत्तम राज्य क्या वस्तु है ? इस विषय में पूर्वोक्त विचार को मैं सर्वथा हातिकारक दुर्विचार सुझाता हूँ; इस लों जब तक दूर न किया जावेगा तब तक राज्यसम्बन्धी हमारी सुर्पूर्ण विचारों को यह घातक दुर्विचार विषयक कर देगा ।

२—"उक्त विचार में जो फलपना की गई है, कि एक सहायुक्त के हाथों में एक मात्र सुर्पूर्ण शक्ति के दो देने से राज्य के सर्व कर्त्तव्यों का पालन धर्म तथा बुद्धिपूर्वक अवश्य होगा; अच्छे कानून बनाये तथा

प्रचलित किये जावेंगे, बुरे नियमों का संशोधन किया जायगा; उत्तम पुरुष विश्वसनीय पदों पर नियुक्त किये जावेंगे, न्याय भी उत्तम रीति से किया जायगा, प्रजा पर करों का भार हल्का तथा न्यायपरायणता से बांटा हुआ होगा। यहां तक कि प्रबन्ध के प्रत्येक पद का कार्य ऐसी शुद्धता यथा बुद्धिमत्ता से किया जावेगा जैसा उस देश की अवस्थाओं तथा मानविक वा आंतिम उच्चता की मात्रा के अनुकूल होगा।

### उक्त कल्पना का अभिप्रायः—

“युक्ति करने के लिये मैं उक्त कल्पना मानने को उद्यत हूं किन्तु इस कल्पना की अतिथ्यासि की ओर भी मैं अवश्य निर्देश कर देना चाहता हूं, क्योंकि पूर्वोक्त उत्तम प्रबन्ध करने के लिये ऐसी महती शक्तियों की आवश्यकता है जो “अच्छे स्वेच्छाचारी राजा के सारे शब्दों से प्रफट नहीं होतीं, करण यह कि:—

- (क) वह राजा केवल एक अच्छा राजा ही नहीं किन्तु सर्वदृष्टा भी होना चाहिये।
- (ख) सब संस्थाओं में, देश के प्रत्येक मण्डल में, राज्य-

प्रबन्ध के सर्व पदों के कार्य तथा चालन की उपरिवार सत्य २ सूचनायें उसे बिल्कुली रहती हों ( जो लक्षण असम्भव है ) ।

(ग) दिन के ८४ घण्टों में जो जगत्-पिता ने एक बाद-शाह तथा दीनतम अमी को लाना दिये हैं, ऐसे विस्तृत प्रबन्धकों के सर्व अंशों में वह राजा नियमपूर्वक उचित ध्यान देता हो । ( क्या यह सम्भव है ? कदाचित् नहीं ) ।

(घ) अथवा न्यून से न्यून अपने प्रजादल से से ऐसे बहुत से द्वान्तदार और योग्य पुरुषों को बुद्धिपूर्वक चुन सकता हो जो राज्यप्रबन्ध के प्रत्येक अद को अन्यों की निगरानी और आधीनता में रहते हुए चला सकें ।

(ङ) फिर विशेष आतिक क तथा भालक्षिक योग्यताओं वाली ऐसी कतिपय व्यक्तियों को चुनने के योग्य भी हों जो न. केबल विनां निगरानी के विश्वासपूर्वक काम कर सकें किन्तु अन्यों पर भी निगरानी करने में विश्वस्त हों ।

## उत्तर पांच कामों की कठिनाईः—

योड़ी भाज्ञा में भी इस कार्य को करने के लिये जिन योग्यताओं और शक्तियों की आवश्यकता है वे ऐसी विचित्र हैं कि हमारा लालपनिक और अच्छा स्वेच्छाचारी राजा कहाँ इस कार्य को करना स्वीकार न करेगा । केवल उसी अवस्था में 'स्वीकार करेगा' जब उसे असत्य विपत्तियों से बचने के लिये ऐसे काम की शरण लेनी हो; वा परलोक में किसी बात को प्राप्ति के लिये तथ्यारी करनी हो ।

## ५—स्वेच्छाचारी राज्यमें प्रजाको दुर्दशाः—

‘ऐसी छड़ी रक्षा हिताव ये लेने के दिन भी हमारी युक्ति स्थिर रह सकती है, कल्पना करो कि राजसम्बन्धी कठिनाई को हम ने पार कर लिया, अर्थात् अथेष्ट राजा हम को मिल गया तभ व्यापक अवस्था होगी ? देवताओं के समाज मानसिक क्रिया वाला एक मनुष्य होना जो मानसिक तौर पर शांत मनुष्यों के सर्व सामलों का प्रबन्ध करता होगा । स्वेच्छाचारी राजा के विचार में ही प्रजा का शान्त स्वभाव प्रकट होता है, अर्थात्—

- (i) न ही सामूहिक तौर पर वह जाति अथवा न ही उस जाति का प्रत्येक पुरुष अपने दैव के बनाने में किंचित् सिद्धिजनक आवाज़ रखता है ।
- (ii) अपने सामूहिक लाभों के सम्बन्ध में जाति अपनी इच्छा को उपयोग में नहीं ला सकती ।
- (iii) उन के लिये उब तार्ते एक ऐसी इच्छा ते निश्चित होती है जो उन की अपनी नहीं तथा जिस की आज्ञापालन न करना, स्थायिकरण है । ऐसी हकूमत में रहते हुवे किस प्रकार के मनुष्य उम सकते हैं ?
- (IV) उन की कर्म तथा ज्ञानेम्भ्रियें क्या उन्नति कर सकती हैं ?

बस अब भली भान्ति तत्त्ववेत्ता मिल के शब्दों से एक सत्तात्मक राज्य की अंष्टता की असुरभता और इसकी दुर्दशा का ज्ञान हो गया होगा । अब ऐसे राज्य की अन्य हानियों पर हम प्रकाश डालते हैं,

### वंशागत राज्य की हानियाँ—

घात और कपट ।

यदि यह नियम हो कि ज्येष्ठ पुत्र गढ़ी पर बैठे तो अन्य भाइयों में ईर्ष्या और द्वेष की प्रबल

तरंगे बड़े वेग से उठती रहेंगी । सदैव वे बड़े भाई के मारने में यत्न करेंगे और उथेष्ठ भाई मी अन्य भाईयों के मारने में या पुत्र वृद्ध पिता के मारने में यत्न करेंगे । सुखलमानों के राज्य में आसतीर और अपने राजपूतों राज्यों में यह दृश्य कभी न दिखाई देते हैं । हिमायूँ के भाई राज्यार्थ किस प्रकार लिरन्तर २० वर्षों तक लड़ते रहे और अन्त में उस भाईयों को मार कर व क़ैद करके हिसायूँ ने राज्य प्राप्त किया—यह बन्धुवर्ग जानते होंगे । जहाँगीर ने अपने पुत्र खुखरी को क़ैद कराया क्योंकि वह बादशाह बनना चाहता था । जहाँगीर के विरुद्ध उस के पुत्रों और उस की बीमी नूरजहाँन कैसे यत्न करती रही । आखिर जब शाहजहान सिंहासन पर बैठा तो उस ने सर्व राजपुत्रों को मरबा डाला । एवम् औरंगज़ेब ने राज्य प्राप्त करने के लिये क्या न प्रपञ्च किये । यह खूनझारी, लिर्द्यता, कपट इत्यादि कल के प्रजातन्त्र राज्य में होते हैं ? थोड़ा बहुत कपट बोटों के लेने में और दलों के विभाग में होता है किन्तु अन्य घृणित बातों का दृश्य नहीं दीख पड़ता । इस कपट को भी हटाने का प्रयत्न किया

जा रहा है किन्तु देखिये शुक्राचार्य स्वयम् व्या-  
शिक्षा राजा को देते हैं :—

१—‘अरक्षित राजपुत्र धनलोभ के कारण राजा  
को मार देते हैं और रक्षित भी जहाँ कहीं अद्वित  
पावें सारने को तत्पर हो जाते हैं, अतः बालक राज-  
पुत्रों को छुरक्षित रखना चाहिये । निरद्वकुश, भद्रो-  
न्मत्त, गज की न्याई राजपुत्र पिता और भाई को  
भी मार देता है अन्यों का तो क्या ही कहना है ?  
सूर्य भी स्वामित्व की इच्छा करता है, बुद्धिमान् का  
तो क्या ही कहना है ?

२—“दुष्टाचारी बनधुओं को राष्ट्रोन्नति के लिये  
व्याघ्रादियों, शत्रुओं या छलसे मार देना चाहिये, नहीं  
तो वह प्रजा और राजा के नाश के कारण होते हैं ।

३—“राजा को चाहिये कि वह क्षण भर भी  
भृत्य, स्त्री, पुत्र, शत्रु से अत्यावधान न हो और बाधु  
शुणसंपन्न पुत्र को भी कभी पूरी प्रभुता न देवे, क्योंकि  
वह बड़े अन्यों का कारण होता है, अतएव विष्णु  
आदिकों ने भी अपने पुत्रों को पूर्ण अधिकार नहीं  
दिये । अपने जीवन के अन्तकाल में राजा पुत्रको  
स्वाधिकार देवे, क्योंकि युवराज लोभादि के वश  
होने से क्षण भर भी राज्य को नहीं संभाल सकते ॥”

## प्रजातन्त्र राज्य से घोत कपटका अभाव ।

बंशागत राज्य में यह अधर्म, कपट, छल, अविश्वास, स्वार्थवश दूसरों का घात होता है किन्तु प्रजातन्त्र राज्य में इन बातों का अभाव ही होता है क्योंकि प्रधान को मारने से कुछ बच नहीं सकता । घात का उद्देश भी मौजूद नहीं होता । प्रत्येक पुरुष को यह विश्वास होता है कि यदि मैं प्रधानस्व के योग्य हूँगा तो मुझे राज्य के लिये अवश्य चुना जावेगा । फिर एक प्रधान का आशु भर राज्य पर ठेका नहीं होता । इब ५ वर्षों के पश्चात् उसे शासन छोड़ना पड़ता है और अन्यों को निर्वाचित होने का अवसर मिलता है । इस कारण सब उन्नतष्ट रहते हैं । क्या ही विचित्र घटना है कि एक खत्ता के राज्य में 'राज्य करने' की इच्छा करना बा उस के लिये कोशिश करना पाप है, देशद्वौह है—राजद्वौह है और परमात्मा के नियमों के प्रतिकूल कहा जाता रहा है किन्तु अमेरिका, फ्रांस, स्थिटज़रलैण्ड जैसे देशों में खुलम खुला राज्यप्राप्ति का यत्न किया जाता है । प्रत्येक सुयोग्य पुरुष जो शासन का भार उठा

सकता है खुले दिल तक मन धन से यतन करता है और ऐसा करना प्रशंखनीय उमझा जाता है — इसके लिये उसे कोई दण्ड नहीं सिखता । इस प्रकार आप ने देखा कि एक सत्ता के राज्य में रक्त की नदियां बहा कर क्रूर व लोभी जन सिंहासनों पर बैठते हैं । पूर्व राजाओं के वंशों का नाश करते हैं ताकि उन का सुक्राविला कोई न कर सके । सारी प्रजा उस राजा को देवता मान कर पूजती है । अपने भाप को दास समझ कर कभी राजा बनने की इच्छा नहीं कर सकती, उनमें से जो राजा बनने का यतन करे तो वह (Treason) राजद्रोह करता हुआ समझा जाता है, उसे प्राणदण्ड मिलता है । किन्तु प्रजातन्त्र राज्य में विष्णु, गोपाल, मोहन, खोहन, राम, जैद, बकर सब प्रधान बनने की इच्छा करते हैं और उसके लिये खुब यतन हो सकता है । इसी तरवर्षे पृथिवी आकाश का अन्तर है । एक सत्ता के राज्य में प्रजा की शक्तियाँ मर जाती हैं किन्तु प्रजातन्त्र राज्य में प्रजा की सर्व शक्तियों का -पूर्ण विकास होता है । दासत्व (गुलामी) और स्वाधीनता, स्वातन्त्र्य के शब्दों में जो हानि लाभ होते हैं उन को समरण करना चाहिये ।

( २ ) बंशाणत राज्य रीति में योग्य राजाओं की शृंखला नहीं मिल सकती। एक उत्तम राजा हो, तो ६० बुद्धू राजा मिलेंगे। आप सुखलमानी राजाओं की कथा हैं। १२०६ से १८५७ तक घोड़ा बहुत राज्य देहढी में सुखलमानों का रहा। इस समय में लग भग ५६ बादशाहों ने राज्य किया किन्तु, बताइये कि इनमें से किसने उयोग्य बादशाह हुए ? गिनतीके पांच राजा ! ‘खोदा पहाड़ और निकला चूहा’ बाला सिद्धांत यहां पर लगता है। यही हाल छङ्गलैण्ड आदि देशों के राजाओं का कहा जा सकता है। परम्परा के राज्य में कौन कह सकता है कि योग्य राजा का योग्य पुत्र होगा। आप कोठियों, कारखानों और दुकानों का दृष्टान्त लीजिये। एक उत्तमाही पुरुष कोठी चला जाता है व धन जमा कर जाता है उस की सन्तान उस का नाश कर देती है, वैसे ही क्रामवैल ने राज्य बनाया, अशोक, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन, सिकंदर, लोधी, औरंगज़ेब, शिक्षा जी आदि ने राज्य प्राप्त किया और उन के पुत्रों ने उसे गंवा दिया। उनकी सन्तानों में से कई राजा शैतान के अवतार थे किन्तु ‘कहरे दर्वेश बंर जाने दर्वेश’ के सिद्धांत के अनुकूल

प्रजा उस के आधीन हुःख सहन करती रही । प्रजातन्त्र राज्य से ऐसी बातें नहीं हुआ करतीं, यदि अज्ञान से कोई शूर्ख और खल पुरुष प्रधान बन जाएं जो घटना उनमें अवश्यक है तो वह पांच बर्षों तक कोई खशावी कर सकता है । औरंगज़ेब के उत्तान ५० बर्षों तक तो वह प्रजा को खबार नहीं कर सका, किन्तु यह भी भूल है कि प्रधान बहुत हानि पहुंचा सकता है जोकि उस के अधिकार में कोई नियम बनाया व इछड़ीउ फरजा नहीं होता, जो नियम बनें हैं उन्हीं पर असल करना और करवाना उस का कर्त्तव्य है । प्रधान तो पिंजरे में बन्द शेर की तरह है । जो शालक लक को पी कोई हानि नहीं पहुंचा सका किन्तु एक उत्तान के स्वेच्छावारी राजा ( . absolutely despotic king ) प्रथः नियमपालक नहीं होते । आप रुक्यं ही विचारिये कि ऐसे राजा वया २ अत्याचार नहीं कर सकते ? अतः बंशप्रस्पर्श की शीति ज्ञानीव घणित और हैश है । प्रतिनिधि शासन शीली ही उत्तर है ।

( ३ ) राजाओं के आचार भ्रष्ट होने से प्रजा के आचार भ्रष्ट होते हैं । कैफबाद, अलाउद्दीन, जहांगीर

और कहीं ब्राह्मणी बादशाहों ने लोगों की बहु बेटियों पर जो जुल्म किये इतिहास उन का साक्षी है। उन के काल में राजा के आचार भी अष्टुथे, “यथा राजा तथा प्रजा” का सिद्धांत तो प्रसिद्ध है। भारतकी न्याई अन्य देशों में भी यही अवस्था रही है।

बंगलैण्ड के दर्शकों ( Courts ) की खुराकियाँ पढ़नी हों तो रेनार्लड ( Reynolds ) के उपन्यास पढ़ने चाहियें, लूई XIV के दर्बार की खुराकियों को देखना हो तो उसकी जीवनी पढ़िये। इसके जारों की अवस्था भी देखने योग्य है किन्तु अमेरिका के प्रधानों के जीवनों को भी देखिये। कैसे वे लोग इन बादशाहों के सामने अपि मालूम होते हैं! बादशाहों की बुराकियाँ और मुख्लमानी बादशाहों के दुराचारों पर कई पुस्तकें लिखी जा सकती हैं—इस लिये यहां उदाहरण तक भी नहीं दिये जा सकते। उन के सद्यपान, चापसूची, नाच रंग, दुराचारों पर कवियों ने रंग छढ़ा कर लिपाना चाहा हो तो भला उही, किन्तु ऐसा करना कठिन था।

### परिणाम ।

इस लिये जो २ जातियाँ इस संसार में घात,

निर्देशिता, दुराचार, भ्रष्टाचार, कपट, चापलूसी आदि  
घातक दोषों का दूरीकरण चाहती है। जो योग्य  
पुरुषों, श्रेष्ठ आचारी राजाओं से शासित होना  
चाहते हैं, वे वंशागत एकसत्तात्मक स्वेच्छाचारी  
राज्य के आधीन नहीं रहतीं। आगामी संसार में  
ऐसी रीति कभी प्रचलित नहीं रह सकती, इस के दिन  
गिने हुए प्रतीत होते हैं। सब समय देशों में प्रजा का  
राज्य होगा। इंग्लैण्ड ने सब देशों को प्रजातन्त्र  
राज्य सिखाया है उस का ही अनुकरण अमेरिका,  
फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान ने किया था और  
यद्यपि इस समय हमारे सचाट् जार्ज पंचम इंग्लैण्ड  
के राजा हैं अर्थात् वहाँ परिमित एक सत्ता का  
राज्य है तथापि महाराजा बुद्धिमान् हैं—राज्यकार्य  
में इस्ताक्षेप नहीं करते—उन के अधिकार परिमित  
हैं। वस्तुतः प्रजा से निर्वाचित लोकसभा और सन्त्रीवर्ग  
के हाथों में राज्य है इस लिये वहाँ यद्यपि Republic  
विराज्य नहीं तथापि प्रजातन्त्र राज्य का फैला वृद्ध है।  
इंग्लैण्ड ने इस प्रजातन्त्र राज्य की शैली अपनी  
बस्तियों को भी प्रदान की है और समय आने पर  
आशा है कि भारत में भी वह शैली प्रदान की

जावेगी । किन्तु हमें नियमों में रहते हुए उस शैली के कर्म सीखने चाहियें ताकि प्रकृत अवस्था में दृग्लैण्ड की ओर से हमें प्रजातन्त्र राज्य का दान मिल सके । परमात्मा करे कि वह शुभ दिन श्रीग्र आवेज व वारे संसार में प्रजातन्त्र राज्य का प्रचार हो ।

## अध्याय ६

### वेदोक्त राज्य

वेदों में शासन के बारे में परमात्मा की ओर से जो उपदेश दिये गये हैं यदि उन पर प्रजाजन अमल करें तो उन की सर्व प्रकार की उन्नति का मार्ग सीधा और उगम हो जावे, मन्त्रों के अर्थों में बहुत वादविवाद है इस कारण वारों वेदों में शासन के बारे में जो कुछ लहा गया है उसे पूर्णतया यहाँ अङ्कित नहीं किया जा सकता और नहाँ उस के आधार पर उपास परिणाम निकाले जा सकते हैं किन्तु जिन मन्त्रों के अर्थों में बहुत विवाद नहीं उन के आधार पर यह परिणाम राज्य के सम्बन्ध में निकलते हैं कि—

( १ ) शासकों के कई भेद हैं—राजा, विराट्, स्वराट्, महाराट् आदि ।

- ( २ ) इन की सहायतार्थ मित्र प्रकार की लोक सभाएँ हैं जैसे आमन्त्रण, दासिंति तथा सभाएँ-इन भेदों के तीन अंकार की उत्तरोत्तर कंप अधिकारों द्वाली सभाएँ कही हैं ।
- ( ३ ) राजागण इन सभाओं की ओर से निर्वाचित होने चाहियें ।
- ( ४ ) राजाओं को राजसभाओं की ओर से पदचयुत करना चाहिये ।
- ( ५ ) पदचयुत हुए राजा को राजसभा की स्वीकृति से पुनः अभिषिक्त किया जा सकता है ।
- ( ६ ) उन्नाओं में बहुपक्ष नुसार ही फैले हों तथें कि प्रत्येक सभ्य स्वसतों के सर्वसान्य होने के मर्धना करता है ।
- ( ७ ) राजनिधि सभी राज-सभां बनावे ।
- ( ८ ) प्रत्येक देश में स्वजाति शासक होने चाहियें, राज्य विदेशियों के हाथ में न हो ।
- ( ९ ) भारी जनता को राज्य करने के योग्य व-

नाना चाहिये और ईश्वर का स्वपदेश है कि हरएक आदमी अपने देश का नहीं, लिक संसार भूका सार्वभौम प्रधान बनने की चेष्टा करे। राजा बनने की चेष्टा और यत्न लगना पाप नहीं।

अथर्ववेद में राज्यविषयक क्रूचार्ये इन्हुत स्पष्ट आई हैं—अन्य वेदों की श्री यहाँ पर सुहायता ली जावेगी किन्तु पहिले क्रमबार अथर्ववेद की ही इस लेते हैं तरफि उक्त विद्वान्तों की पुष्टि मन्त्रों द्वारा की जावे। आशा है परठक्कद्वाद निम्न मन्त्रों के अर्थों को सावधानी से पढ़ेंगे।

अथर्व ३ । ४ । ३ से स्पष्ट ज्ञात होता है कि (i) राजागण निर्वाचित होते, (ii) राज्य-कार्य चलाने के लिये एक सुयोग्य राजा की आवश्यकता है, (iii) राजा सुधिय होना चाहिये, (IV) खिंहासन पर बैठ कर स्वयम् भोगो में मरन न होवे, लिक प्रजा की समृद्धि धृत दौलत की वृद्धि का यत्न खड़दा करता रहे, (V) प्रजा के प्रतिनिधियों को राजा यदि ज्ञाननिदृत रखें और प्रजावर्ग में से खियां तथा उन के वीर युवक

जुन भी सम्भुष्ट हों तो ही राजा को कर मिल सकते हैं। वे मन्त्र यह हैं—

आ त्वा गन् राष्ट्रं सह वर्षसोदिहि  
प्राङ् विशाम्पतिरेकराद् त्वं विराज ।  
सर्वास्त्वा राजन् प्रदिशो ह्यन्तु  
पसेष्यो नसस्यो भवेह ॥ ३. ४.

समारोह सहित राज्य तेरे पास आया है। उठो, जाति के स्वामिन् ! एकाकी राजा ! अब प्रकाशयुक्त होवो। हे राजन् ! सब प्रान्त तुम्हारा अभिनन्दन करें और कर्मचारी दल तुम्हें नमस्कार करें।

इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परेहि संस्थास्था वर्णैः सं-  
विदानः । स त्वायश्च वृत्तस्वे समस्थे स देवान् यक्षत्  
स उ कल्पयाद् विशः ॥ ३. ४. ६

हे राजन् ! सनुष्यों—जनता के सामने आइये। आम अपने निर्वाचन करने वालों के अनुकूल हैं। इस पुरुष ( पुरीहित ) ने आप को आप के योग्य स्थान पर यह कह कर बुलाया है कि “इसे ईश की स्तुति करने दो और जाति [ विशः ] को भी सुमार्ग पर चलाने दो। ”

इस प्रकार विस्पष्ट है कि "राजागण" निर्वाचित होते थे किन्तु इस विषय में अन्य सत्त्व ऋचाएँ भी उसी बैंद में मिलती हैं ।

त्वां विशो वृणुतां राज्याय  
त्वामिमाः प्रादिशः पञ्चदेवीः ।  
वर्षम् राष्ट्रस्य ककुदि अयस्व  
ततो न उग्रो विभजा वसूनि ॥ ३. ४.  
अच्छ त्वायन्तु हविनः सजाता,  
अग्निर्दूतो अजिरः संचरते ।  
जायाः पुत्राः समनसो भवन्तु,  
बहुं वलिं प्रति पथ्यासा उग्रः ॥

इन मन्त्रों का अर्थ यह है:- "हे राजा ! राजकार्य चलाने के लिये प्रजा तुझे निर्वाचित करे । The nation shall elect thee to kingship Griffith' इन पांचों प्रकाशयुक्त दिशाओं में प्रजा तुझे निर्वाचित करे । राष्ट्र के श्रेष्ठ सिहासन का आश्रय लेकर तू हम लोगों में ( प्रजाओं में ) उग्र होते हुए भी धन की बांट किया कर । सजाति तेरे अपने देशमिवासी ही तुम्हें बुलाते हुए तेरे पास आवें । तेरे साथ

खतुर तेजयुक्त एक दूत हो । राष्ट्र से जितनी लिया  
और उन के पुत्र हों, वे तेरी ओर मित्रभाव से देखें, तब  
तू उग्र होकर वहुवलि ग्रहण करेगा । ” स्पष्ट है कि  
यदि ‘ जायाः । स्त्रियां समनसः न हों, राजा से  
वैमनस्य करें तो देश में शान्ति नहीं हो सकती जैसा  
कि आजकल इंगलैंड में होरहा है । क्या उस से  
यह परिणाम नहीं निकलता कि राजा के निर्वाचन  
करने में लियां भी शामिल होनी चाहिये- अर्थात् राज-  
सभाओं में उन के प्रतिनिधि होने चाहिये ?

अब अथर्ववेद का ३. ५. ७ मंत्र देखिये, इस से  
भी राजा निर्वाचित ठहरता है यदोंकि कहा है कि—

“ ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामपद्मश्च ये ।

उपस्तीन्पर्णं मह्यं त्वं सर्वान्कृणवभितो जनान् ॥ ।

‘ हे सर्वरक्षक घा सर्वठापक प्रभो ! इस देश  
में जितने राजा हैं, जितने राजाओं को निर्वाचित करने  
वाले राजसभाओं के सभ्य (king-makers) हैं, जितने  
सैनिकों में अधिपति सूत हैं और जितने ग्रामों में  
रड़ने वाले सरदार हैं- उन सर्व को और साथ ही  
सम्पूर्ण प्रजादल को मेरी इच्छा के अनुकूल चलाइये ।

निर्वाचित राजा के लिये ऐसी प्रार्थना करनी  
आवश्यक है ताकि उसे अपने स्वामियों का समरण  
रहे क्योंकि यदि वे स्वामी विमुख हो जावें तो राजा  
को पदचयुत कर देंगे ।

### लोकसभाएँ ।

अब लोकसभाओं के सम्बन्ध में कई झूचाएँ  
दी जाती हैं:—

अथवा ४०. २८. ६ में ग्रामीण सभाओं का वर्णन  
है जहाँ गौओं की वृद्धि के भी प्रश्न होने चाहिये ।

भद्रं गृहं कृषुथ भद्रवाचो  
वृहंद्वो वंय उच्यते सभासु ।

‘अपनी भद्र बाणियों से मेरे घर को भद्र कीजिये,  
अपनी सभाओं में हम तुम्हारी ( गौओं की ) बहुत  
प्रशंसा करते हैं ।

१२. १०. ५६ में कई प्रकार की सभाओं का वर्णन  
है:—

ये ग्रामा यदरप्यं याः सभा अधि भूम्यास् ।  
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते ॥

ग्रामों, जंगलों और भूमि पर की सर्वसभाओं में,  
एवं लोकसमूहों तथा समितियों में तेरे बारे में  
प्रशंसनीय वाक्य कहें ।

७. १२०. की सर्व ऋचाएँ राजविषय में बड़ी  
उपयोगी हैं:—

सभा च मा समितिश्वावतां,  
प्रजापते दुहितरौ संविदाने ।  
ये नो संगच्छा उपमास शिक्षा-  
कारु वदानि पितरः संगतेषु ॥

विद्ध ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा असि ।

ये ते के च सभासदस्ते में सन्तु सवाचसः ॥

एषामहं समासीनानां वचों विज्ञानमादेदे ।

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भागिनं कृणु ॥

यद्वो मनः परागतं यद्बद्धमिह वेह वा ।

तद आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः ॥

अर्थात् प्रजापंति-लोकपालक ईश्वर की दो पुत्रियाँ

( क ) सभा और समिति नामी-एक मन होकर मेरी रक्षा करें । जिस किसी को मैं 'मिलू' वह मेरा मान करे [ ख ] और मुझे सहायता देवे । हे पितर, संगतियों-सभाओं में मेरे वाक्य रोचक हों [ ग ] । हे सभे ! हम तेरा नाम जानते हैं, तेरा नाम बाद विवाद है ( घ ) जो कोई भी सभा के सभ्य हों वे सवाच स मेरे वचनों में हाँ करने वाले हों ।

( क ) सभा और समिति राजाओं की ओर से निर्मित संस्थाएं नहीं बल्कि राजाओं के भी राजा- जगदीश की इच्छा के अनुसार वे दैवी संस्थाएं हैं । राजागण उन की उपेक्षा नहीं कर सकते, बल्कि राजाओं का यह यत्न हो कि ग्रामीण, मार्गरिक तथा देशीय सभाओं में एक सम्मति होकर शाँति रहे । ( ख ) इस वाक्य से राजागण बड़े साधारण न प्रतीत होते हैं क्योंकि उनको देवता मान कर पूजा करने का भाव नहीं मिलता । ( ग ) सभा में रोचक वाक्य बोलकर यदि प्रधान, सभा का चुन पक्ष अपनी ओर कर सकता है तो उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, केवल आद्धारों से कुछ नहीं हो सकता । [ घ ] इस बादविवाद शब्द से स्पष्ट है, कि राजसभाओं में

“इस सभा में बैठे हुए सभ्यों का बच्चा तेज तथा  
विज्ञान में लेता हूँ--अर्थात् उन् की आत्मिक सम्प्रा-  
मानसिक शक्तियों से मैं ठीक लाभ उठा सकूँ, कि वी  
पक्षार्थ से उन् का दुर्घटयोग न करूँ। साथ ही हैं  
शक्तिसान् परमात्मन् ! इस सभा के सर्व सभ्यों में  
मैं भगिन्न भाग्यवाला हूँ--मैं ही प्रधान बना रहा,  
मुझे पदचयन न किया जावे और अपना धासन  
समय ठीक तरह निभा सकूँ। ”

“चाहे आप के मन अन्य विषयों में लगे हों या  
इधर उधर बंधे हों मैं उन् को अपनी ओर खीचता

---

परस्पर एक दूसरे को सम्मतियों को जानकर प्रत्येक  
विषय पर पूरा वादविवाद हो कर बड़ पक्ष से निश्चय  
होता बाहिये और सभ्यों की स्वीकृति लेना राजा  
यण के लिये आवश्यक है किन्तु यह भी बड़ी विचिन्न  
बात है कि अँगेलभाषा का शब्द Parliament  
(लोकसभा) फ्रांसीसी भाषा का parlement और  
जर्मन भाषा का Parliament शब्द Parler, to speak  
भाषण करने से निकला हो और वेद में भी भाषण  
कराने वाली संस्था का नाम सभा ही ।

हूं तोकि मुझ में ही आप के मन रमण करें; आप का  
मुझ में विश्वास हो और इस कारण आप किसी  
अन्य पुरुष को प्रधान बनाने की चेष्टा न करें”।

सभाओं के सम्बन्ध में उपरोक्त वचन सहृद हैं  
किन्तु सभाओं का उत्तरोत्तर अधिकार तथा उन का  
प्रकार दिखाने के लिये निम्नमन्त्र बहुत सुन्दर होंगे।  
ग्रिफल्थ संहिता ने इन मंत्रों का जो अर्थ किया है उस  
में वे ही कहते हैं कि सभा ग्राम की संगति का नाम  
है, समिति मंडल की संगति का और आमन्त्रण राष्ट्र की  
संगति का नाम है। इस प्रकार ग्रामीण पञ्चायतों,  
नागरिक सभाओं ( मूलनितिपल कमेटियों ), District Boards or County Councils मार्गदर्शिका समि-  
तियों और राष्ट्रसभा Parliament बनाने का आदेश  
ईश्वर की ओर से दिया गया है। साथ ही प्रभु ने तीन-  
बार स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी है कि जो राजा इन  
तीन प्रकार की लोकसभाओं को नहीं बनाता,  
उसे प्रजावर्ग राज्य करने में सहायता न दें। उसे Boy-  
cott बायकाट करना तो पुक और रहा बल्कि उसे  
राजा ही न बनाया जावे ॥

निम्न ऋचाओं तथा उनके शब्दार्थ के पाठ से  
उक्त सिद्धान्तों का पूरा रूपान हो जाविगा:—

सोदक्रामत् सा सभायां न्यक्रामत् ॥ ८ ॥

यन्ति अस्य सभां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ ९ ॥

सोदक्रामत् सा समितौ न्यक्रामत् ॥ १० ॥

यन्ति अस्य समितिम्, सात्मियोभवति, य एवं वेद ॥ ११ ॥

सोदक्रामत् सामन्तरणे न्यक्रामत् ॥ १२ ॥

यन्त्यस्यामन्त्रणं आमन्त्रणीयो भवति य एवं वेद ॥ १३ ॥

अथर्ववेद ॥ ८।१० ॥

अर्थात् “विराट् उपर उठी और वह (i) सभा में परिणत हुई । जो यह जानता है, वह सभा के योग्य होता है और लोग उसकी सभा में जाते हैं । विराट् आगे बढ़ी, और (ii) समिति में परिणत हुई । जो यह जानता है वह समिति के योग्य होना है और लोग उसकी समिति में जाते हैं । विराट् किर आगे बढ़ी और (iii) आमन्त्रण में परिणत हुई । जो यह जानता है, वह आमन्त्रण के योग्य होता है और उस से मन्त्रणा वा विचार करने के लिये लोग आते हैं” ।

अन्त में अथर्ववेद की दो ऋचाएं १५. ९. १-२ और १८. ४५. ६ की भैंट से आपकी जाती है जिन से पता

लगेगा कि राजा के लिये समिति बनाना आवश्यक है और साथ ही अपनी सभा के सभ्यों की सन्मति के अनुसार चलना भी ज़रूरी है—

“स विशोऽनुव्यचलत् । तं सभा च समितिः च सेना च सुरा चानुव्यचलन् ।

उस ईश ने लोगों का ख्याल किया तो उनकी रक्षार्थ उसे सभा, समिति, सेना और सुरा का ख्याल भी आगया--अर्थात् इनके बिना प्रजा रक्षित नहीं रह सकती, इनका बनाना आवश्यक है ।

सभ्ये सभाओं में पाहि ये च सभ्याः सभासदः ।

हे सभाओं के अधिपति ईश्वर ! जो इस सभा के योग्य सभ्य हैं वे मेरी सभा की रक्षा करें” ।

स्पष्ट है कि राजाओं की ओर से सभा राष्ट्रका एक आवश्यक अङ्ग समझा जाना चाहिये नहीं तो राजाओं के मुख में ऐसी प्रार्थना रखने का क्या उद्देश पा ?

ऋग्वेद की साक्षी ।

ऋग्वेद ३०. ३८. ६ में भी ईश्वर ने उक्त प्रकार का उपदेश किया है :—

त्रीणि राजाना विदथे पुरुष्णि  
परि विश्वानि भूषणथः सदांसि ॥

**राजागण** सुखप्राप्ति - तथा विज्ञानवृद्धि के  
लिये तीन सभाएः विद्यासभा, धर्मसभा, राजसभा-  
या सभा, समिति और आमन्त्रण बनाकर सम्पूर्ण  
प्रजा को विद्या स्वातन्त्र्य धर्म उशिक्षा और धनादि  
से अलंकृत करें । कृत्वेद् ५। २। ४१ में कहा है कि-

राजानावनमिदु हा ध्रुवे ।

मदस्युत्तमे सहस्र स्थूण आसाते ॥

‘जो राजा हजार स्तम्भों वाले उत्तम और दृढ़  
सभाभवन में बैठते हैं वे द्रोह नहीं करते’ । प्रजावर्ग  
की समसिति से जो शासकगण राज्य करते हैं और  
ऐसे राज्य करने की आदत पहुँचयी हो तो न प्रजा-  
उनका द्रोह करती है और न वे प्रजा से द्वेष करते हैं ।

ऋ० ९०. ९२. ६ में अतीव सुन्दर वचन कहे हैं:—

राजानसत्यं समितीरियानः

‘समिति-लोकसभा से जानेवाला राजा ही  
सत्य श्रेष्ठ सभक्ता चाहिये’ । लोकसत्ता के जानेवाले  
राजा को ही उत्तम कहा है । राजागण चुने जावें

अर्थात् वे राजा Kings नहीं प्रत्युत प्रधान Presidents हों। उन के अधिकार बहुत परिसित और संकुचित हों, इस कारण एक सत्तात्मक राज्य की सर्व बुराइयों का दूरीकरण करने वाला प्रजासत्तात्मक राज्य ही बताया है। इन आज्ञाओं के विरुद्ध अधिकारप्रेमी-अपने तर्ह देव मानने वाले राजाओं का यह विश्वास होता है कि शासन में प्रजा का कोई अधिकार नहीं होना चाहिये। इंग्लैंड के राजा चालसे प्रथम को प्रजा ने अत्याचारी, देशविद्वोही, घातक और जाति के उच्च आदमियों का शत्रु कहकर क़तल करवाया, कि किन्तु क़तल के कुछ मिन्ट पूर्व उसने कहा, “For the people truly I desire their liberty and freedom as much as anybody whatsoever; but I must tell you that their liberty and freedom consists in having a government; it is not in their having a share in their Government; that is nothing pertaining to them.”

इस का अभिशाय यह है कि “मैं सचे दिल से प्रजा की स्वतन्त्रता उस साम्राज्य में चाहता हूं जिस साम्राज्य में कोई भी चाहतेर छोगा किन्तु मैं आपको अवश्य कहता हूं कि आपकी स्वतन्त्रता और स्वाधीनता राज्य की सत्ता में है न कि उस राज्य में भाग लेने

से शासन के काम का कोई सम्बन्ध प्रजा के साथ नहीं ।  
दैवी अधिकारों को शासने वाले वार्लेख के मुख से यही  
शब्द छी मिकल उकते थे किन्तु यह तर्क और वेद के  
विरुद्ध हैं जहां राज की सूत्रों आज कल आवश्यक  
है, वहां पूजा के लिये यह निश्चय करना भी आव-  
श्यक है कि किस प्रकार की राज-शासन शैली उनके  
लिये परम हितकारी है । साथ ही यह निर्णय करना  
ज़रूरी है कि उस राज प्रणाली से पूजा का फितना  
भाग उस के अधिकारों का पूर्ण रक्षक हो सकता है ।  
यही बातें वेद ने बड़े बल से बताई हैं ।

### राजा को पदचयुत करना

राजाओं को पदचयुत करने की ऋचाएँ वेदों में  
मिलती हैं किन्तु विस्तार भय से यहां पर तीन मंत्र  
दिये जाते हैं ।

**आत्वा हार्षमन्तर्भृत्वस्तिष्ठा विचायलत् ।**

**विशस्त्वा सर्वा वाऽछन्तु मात्वद्राष्टुमधिश्रवात् ॥**

Here art thou, I have chosen thee: stand steadfast and immovable. Let all the classes desire thee Let not thy Kingship fall away.

अर्थात् “यहाँ तू है; मैंने तुझे चुना है; स्थिरता और दृढ़ता पूर्वक खड़ा रह, सब अपियों के लोग तेरी इच्छा करें। तेरा राजत्व तुझ से भष्ट न हो ।”

इस मञ्ज से स्पष्ट होता है कि वेद के अनुकूल प्रजा से पृक मनुष्य राजा चुना जाना चाहिये। यदि ऐसा अर्थ न हो तो “मैंने तुझे चुना है” और “सब पूजा तेरी इच्छा करे” ऐसे शब्द क्यों आये इन वाक्यों से भी चिह्न होता है, कि पूजा की इच्छा के विरुद्ध कोई राजा राज्यमहीकर सकता नहीं “तेरा राज्य तुझ से भष्ट न हो” यह वाक्य डंके की ओट से कह रहा है कि नियम विहः बलने से राजा को पदचयुक्त करदेना चाहिये ।

अवो न्युतः प्रसृणीहि शत्र-

ज्ञात्र यतो धरान् पादयत्व ।

सर्वा दिशः संमनसः सधाची-

र्बुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥

अथर्वद द्विष्ठा ३

अर्थात् “हे राजा! तू स्थिर हो पदचयुक्त न होना, शत्रु का संहार कर, शत्रुओं के समान आचरण करने वालों को नीचे गिरा, सब दिशाओं में लोग मृक

अन्नहोकर सुकला और लेल में काल करने वाले हों  
और उपनी लिपत्ता के लिये खमित रखापित कर।”  
यह भी राज्याभिषेककार संज्ञ है। इसमें भी स्पष्ट कहा  
है कि “दाजन् ! शुक्ल करते हुए तुम श्रुत हो रहते हो  
किन्तु यदि तुम कुशाखन करोगे तो तुम्हें राज्य के  
हठा दिशा जावेगा।-अतः ऐसे काल सत करना जिसके  
कारण तुम्हें पदचयुत करना पड़े ।

अथर्ववेद के ३०. ३०. ५ लंबे से जाज्ञा जाता है कि  
पदचयुत राजा के शुलनिवैष्णव की ठेटलया भी है और  
राष्ट्र खभार का छहुमत होने पर पदचयुत राजा किर  
सिहालन पर बैठ रहता है। यदि वेद के राजा का  
निर्वाचन न हो रहता और अनुकूल पूजा की अनुकूलता  
विना हो कोई राजा हो रहता तो इस सन्देश कोई कोई  
आवश्यकता न थी। उस सन्देश इस प्रकार है:—

“हयन्तु त्वा प्रतिजलः प्रतिभिला अवृषत ।

इन्द्राऽनी विश्वे देवास्ते विशि क्षेममदीधरन् ॥

इसका अर्थ यह है “ हे एनः निर्वाचित राजा !  
तेरे विरुद्ध पक्ष के लोग भी तेरी सहायता करें, तेरे  
मित्रोंने तुम्हें पुनः निर्वाचित किया है, इन्द्र, अग्नि और सब

देवताओं ने तेरा सुख, यश कैम प्रजा में ही रखा है।

बंस प्रजातन्त्र राज्य के लक्षणों को प्रकट करने वाला यह अतीव अनुपम मन्त्र है क्योंकि

( १ ) पहले इस के 'प्रतिज्ञ, प्रतिमित्र' शब्दों पर ध्यान दीजिये। 'प्रतिमित्र' के अर्थ उत्तर तो 'पुनःमित्र' के किये गये हैं किन्तु 'प्रतिज्ञ' की उपमा के प्रति का अभिप्राय यहाँ 'विरुद्ध' लिया जावे न कि 'पुनः'—तो बहुतर होगा अर्थात् जो लोग पदच्युत होने से पूर्व तेरे मित्र थे किन्तु फिर 'प्रतिमित्र-अमित्र' होकर उन्होंने भी तेरे 'प्रतिज्ञों' के साथ मिल कर तुम्हें पदच्युत किया था—उन्होंने फिर तुम्हें राजा बुना हैं। राज्यमें कई दल होते हैं—इन्हें इस समय उद्दीपनी और अनुदारों के ही प्रधान दल हैं, इनमें से एक दल राजा का मित्र हो सकता है और दूसरा शत्रु। किन्तु राजा के अत्याचारों अर्थात् Constitution, राजस्वथा के नियमों के पालन न करने पर उस के मित्र भी शत्रु=प्रतिमित्र हो सकते हैं। प्रतिज्ञों के साथ इन्हें कर लो कि सभा में सब दल सर्वसम्मति से राजा की पढ़-

चुनूस कर सकते हैं। किन्तु फिर उस राजा सभापति की पार्टी बलवती होने और उस की ओर से लुधासन के प्रण दिये जाने पर फिर से दोनों दल उसे राजा-प्रधान चुन सकते हैं।

( २ ) किन्तु अब इस पुनः निर्वाचित राजा को एक अस्युक्तम् शिक्षा परमाम्बाद की ओर से मिल सकती है जो मन्त्र के दूसरे पद में कही गई है: “इन्द्र अग्नि और सब देवताओं ने तेरा ज्ञेय—सुख, यश, सूखदि, रक्षा का आधार प्रजा पर ( विश्व ) रक्खा है। अर्थात् हे राजन् ! तुम्हें स्मरण रहे कि इस पृथिवी पर तुम्हें क्षेम सुख यश कीर्ति, समृद्धि नहीं मिल सकती जब तक तु प्रजाओं की आशाओं के अनुकूल आचरण नहीं करता वे ही तेरे ज्ञेय के द्वाता स्वामी हैं। तुझ से कष्ट होने पर वह ज्ञेय तुझ से छीन लेंगे जैसां कि एक बार पूर्व उन्होंने कर दिखाया था ।

वेद के इस मन्त्र से विस्पष्ट पता लगता है कि ईश्व की आशा है कि संसार में Sovereignty of the People-प्रजा, जनता, जाति का राज हो—राष्ट्र में प्रजा की शक्ति अवांचित, निरङ्कुश, निर्गल होवे; प्रजा ही वास्तविक

राजा है; वही राजाओं की स्वामिनी मालिक है न कि राजागण प्रजा के स्वामी हैं; वे प्रजा दलों को पाद कन्दुक के समान इधर उधर नहीं भटका सकते; न ही उनको स्वेच्छाचार से पीड़ित किया जा सकता है। अतः राजा गण प्रजा के माई वाप नहीं, राजाओं और प्रधानों को उचित है कि वे प्रजाओं से पितावत् प्रेम करते हुए राज्य करें। पूजा ही राजाओं की स्वामिनी माता है क्योंकि उसी की इच्छा से राजा का जन्म होता है: जिस पुरुष को चाहे उसी को वही निर्वाचित करे। आशा है कि इस ईश्वरी उपदेश को पाठकहन्द स्व-हृदयों में स्थान देंगे।

पूर्व में लिखा जातुका है कि प्रजातन्त्र देशों में प्रजाकी प्रत्येक व्यक्ति की अत्रीर से प्रधान बनने का संकल्प वा यत्न किया जाता है। ऐसा करना पागलपन या पाप या देशद्रोह या राजविद्रोह या गुस्सा मन्त्रणा आदि नहीं समझी जाते बल्कि सुकर्म और उच्चेष्टा समझी जाते हैं; ऐसे यत्न करने वाले पुरुषों की प्रशंसा और उत्साह की शलाघा की जाती है। किन्तु एक उत्तात्मक राज्य में ऐसा इरादा करना राजद्रोह और पाप समझी जाते हैं। परम दयालु ग्रन्थ

ने अपने पुत्रों को वेदों में जो शिक्षाएँ दी हैं उन में एक शिक्षा यह भी है कि हरएक देशवासी अपने देश के प्रधान बनने की चेष्टा करे और उस के लिये जो असाधारण गुण आवश्यक हैं उनका संग्रह स्वव्यक्ति में करे। चूंकि यह विषय अत्यावश्यक है इस लिये पांठक उन अतिरीचक मन्त्रों को स्वयस् त्राप्तानी से पढ़ें। हम नीचे उन के कुछ अंश देकर अर्थ करते हैं:—

यजु० १०.२,३,४.

वृष्ण ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा ।  
 वृष्ण ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रमसुष्मै देहि ॥  
 वृष्णेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा ।  
 वृष्णेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रमसुष्मै देहि ॥  
 अर्थेतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा ।  
 अर्थेतस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमसुष्मै दत्त ।  
 सूर्यत्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रं मे दत्त स्वाहा ॥  
 सूर्यत्वचसस्थ राष्ट्रदा राष्ट्रमसुष्मै दत्त ।  
 आपः स्वराजस्व राष्ट्रदा राष्ट्रमसुष्मै दत्त ।

हे बुखों की वर्षा करने वाले बलबान् प्रभो !  
 आप राज्य के दाता हैं मुझे भी राज्य दीजिये ।

अहो प्रथंना स्वीकार होगई । हे सुखकरी स्वामिन् ! आप राज्य पूदान करने हारे हो, जाति को भी राज्य दीजिये । आप छलकरन् लेना से चुक हैं राज्य के दाता हैं मुझे भी राज्य दीजिये । अहो प्रथंना स्वीकार होगई । मेरी जाति को भी राज्य दीजिये !

हे श्रेष्ठ पदाधौं के स्वामिन् ! आप राज्य के दाता हैं मुझे भी राज्य दीजिये । मेरी जाति को भी राज्य पूदान कीजिये ।

हे सूर्य की भाँति प्रकाशमान पूर्खो ! आप राष्ट्र के दाता हैं मुझे भी राज्य दीजिये । हे स्वराज्य करने वाले पूर्खो ! मेरी जाति को भी स्वराज्य दीजिये ।

ब्रह्मण ग्रंथों से ज्ञात होता है कि यह मन्त्र राज्याभिषेक के समय बोले जाते थे पहिला पद राजा की ओर से बोला जाता था और दूसरा पद राजा की ओर निर्देश करके (अमुष्मै) पूजा का प्रतिनिधि अष्टवयुं परमात्मा से कहता था कि इस पूरुष को राज्य दीजिये । अर्थात् जाति को राज्य दीजिये—यह अष्टवयुं हमारे हैं किन्तु मन्त्रों के प्रयोग और अर्थ में भेद हो चुकता है । प्राचीनों ने राज्याभिषेक में उन का प्रयोग किया किंतु मेरे

विचार में दोनों अधौं के करने में कोई क्षति नहीं । यजुर्वेद में स्थान २ पर राज के बारे में उत्तम विचार आये हैं । भगवान् दयानन्द ने आर्यसाधा में उसकी ठाखा करके भारत वासिओं पर लहूउपकार किया है । प्रत्येक मन्त्र के अन्त में जो उस क्रृषि ने भावार्थ दिया है उसे नीचे लिख देने से मनोरथ सिद्ध हो जावेगा । स्वाभी जी महाराज ने हर एक स्थान पर 'सभापति' राजा माना है । यहाँ भी वह एक सत्तात्मक स्वच्छेचारी राजा की सत्ता को नहीं मानते । उनके अनुकूल वेदों में राजा के अर्थ सभापति प्रधान President के हैं जो कई सभाओं । विशेषतया विद्यासभा, राजसभा, धर्मसभा की सहायता से राज्य करे, जो अपनी योग्यता के कारण प्रजावर्ग से निर्वाचित हो और जो यदि अशोभ्य पूजापित हो तो पदच्युत किया जा सके । यजुर्वेद के पढ़ने से भी यह निश्चय नहीं होता कि पूर्ण जीवन काल तक राज्यपद को सुशोभित करे वा कुछ बप्ति के लिये जैसे आजकल होता है । साथ ही यह ज्ञात नहीं हो ताकि निर्वाचित करने की क्या विधियां होनी चाहिये ।

अब हम कई एक मन्त्रों के भावार्थों को लिखते

हैं शेष मन्त्रों की ओर संकेत कर देंगे ताकि पाठक  
हृन्द स्वयम् आवश्यकतानुसार उन्हें देखलें। हम  
वारंवार कह चुके हैं कि एक पुरुष राज्य करने के योग्य  
नहीं हो सकता। और विशेष तौर पर वंशपरम्परा  
के राजा गण प्राय अयोग्य ही होते हैं। इस कारण  
उन की त्रुटियों को पूर्ण करने के लिये बलबती लोक  
सभाएं होनी चाहिये जैसे इंग्लैड में हैं:- और साथ ही आदर्श  
यह है कि जाति में से योग्यतम् पुरुष को कुछ काल के  
लिये प्रधान बनाया जावे-यही बातें हम यजुर्वेद के मन्त्रों  
से सिद्ध करते हैं।

यजुः १६. २४ का भावार्थ स्मरण रखना चाहिये।  
'मनुष्योऽस्मि चाहिये कि सभा और सभापतियों से  
ही राज्य की ठिकाना करें ! कभी एक राजा की स्वा-  
धीनता से स्थिर न हों। क्योंकि एः पुरुष से बहुतों  
के छिताहित का विचार कभी नहीं हो सकता ।

वेदभाष्य ५३८ युष्म-राज्य का पूर्वाध सभाधीन ही  
होने के योग्य है। ५४१ युष्म जो इन्द्र अग्नि यम तूर्य  
वह्य और धनाद्यों के गुणों से युक्त विद्वानों का  
प्रिय, विद्या का पूर्चार कराने वाला, सब को सुख  
देवे—उसी को राजा मानना चाहिये ।

( ६०९ ) उब्ज विद्याजीं में कुशल और अस्य न्त ब्रह्मचर्य के अनुष्टुतम् कहने वाले उसके सुरुय को सभापति करें ।

( ६३० ) जो उब्ज शुणों ले उत्तम इसी उसको सभापति करें ।

( ६३३ ) पूजाजनों को योग्य है कि जो सर्वोत्तम समस्त विद्यालयों में निषुण सकल शुभगुणयुक्त विद्वान् शूरवीर हो उस को सभा के सुरुय काम में स्थापन करें ।

( ७११ ) पूजाजनों को चाहिये कि जो विद्वान् इन्द्रियों का जीतने वाला धर्मरात्मा और पिता जैसे अपने पुत्रों का वैष्ण वृजा की पालना करने में अतिचित्त लगावे और उब्ज के लिये उख करने वाला सत्पुरुष हो उसी को सभापति करें और राजा व पूजा जन कभी अधर्म के कासों को न करें । जो किसी पकार कोई करे तो अपराग के अनुकूल प्रजा राजा को और राजा प्रजा को दण्ड देवे ।

( ७६६ ) सभाजनों और प्रजाजनों को चाहिये कि जिस की पुरुय, प्रशंसा, उन्नदररूप, विद्या, न्याय,

विनय, शूरता, तेज़, अंपक्षयात्, मित्रता, सज्ज कर्मों  
में उत्साह, आरोग्य, लल, पराक्रम, धीरज, जितेन्द्रियता,  
वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा और प्रजापालन में प्रीति हो  
उसी को सभा का अधिपति राजा मानो ।

“जो युक्त धर्मयुक्त व्याय से तुम्हारा निरन्तर  
पालन करे उसी को सभापति राजा मानो ॥”

राजा सभापति हो-इस बारे में यजुर्वेद के ऋषि-  
दयानन्द भाष्य के निम्न पृष्ठों पर भाषार्थ में  
स्पष्ट शब्दों में प्रमाण मिलेगे—

४७२, ५३७, ५४२, ५५०, ६१८, ६२२, ६३७, ७३८, ७६६, ८४६,  
८४८, ८५०, ८५१, ८५८, ८७९, ८८३, ८९१, ९०९, ९२४, ९४६,  
९८३; १११४, ११२१, ११२४, ११४०, ११४१, १२४०, १३०४,  
१३०५, १७१०, १८५०, २१३६, २१७५-७०, २२५० ॥

बस अब हम सिद्ध कर चुके हैं कि वेद भगवान्,  
ब्रह्मण्यं ग्रन्थ, युधिष्ठिर महाराज, श्री स्वामी दयानन्द  
जी महाराज एक सत्तात्मक तथा वंशपरम्परा के राज्य

के विरुद्ध हैं। वे वाधित शक्ति का राज्य उत्तम समझते हैं। वेदों में वारंवार यही उपदेश है कि उत्तम पुरुष को ही राजा निर्बाचित करो, जो तुम्हारी सभाओं का सभापति हो और जबतक, न्यायपूर्वक शासन करे उस की आङ्गार का पालन करो-उसे राजा मानो नहीं तो उसे प्रजाजन पदचयुत करके अन्त सर्वोत्तम पुरुष को राजा बनावें। इस एकार पूजातन्त्र राज्य प्रसा-णित है-वही सर्वोत्तम शैली है-सभ्य संसार में उसीका पूर्चार है। भारतवासियों को अभी उस शैली के लाभ ज्ञात नहीं।

नागरिक सभाओं के द्वारा यह प्रतिनिधि शैली के द्वारा उन्हें कुछ शिक्षा दी जारही है। हमारी अभिभावा है कि सर्वसाधारण मरमारी को प्रतिनिधि राज की पहुँतिओं में शिक्षित किया जावे। इस यत्न का पूर्यम फल तो आप की भैंट किया गया है। परमात्मा करे कि भारतवर्ष में आङ्ग्ल राज की ओर से हमें राज्य में शीघ्र उत्तरोत्तर अधिकार मिलें और हम उन अधिकारों को ग्रहण करने के बोग्य बनने को दिन रात यत्न करें।

# पारिशीष्ट

## भारत के १०० राजराजेश्वर

प्राचीन भारतवर्ष का जो इतिहास आज कल विद्यालयों और महाविद्यालयों से पढ़ाया जाता है वह ६०० वर्ष इस पूर्व से आरम्भ होता है इस से पूर्व सहस्रों वर्षों की उहसों ऐतिहासिक घटनाएँ जिन की सत्यता कई ग्रन्थों से प्रमाणित ठहरती है और जो भारत के गौरव, यश, कीर्ति की बर्धक हैं—उन का किञ्चित् वर्णन लहरी होता। बहुतः हमारे पूर्वजों के कारनामे स्वर्णकरों में अङ्गित करने योग्य हैं यहाँ पर एक ऐतिहासिक बात पर पाठकों की दृष्टिखींधता हूँ। प्रायः यह रुचाल है कि भारत में सदैव छोटे छोटे राजागण राज्य करते रहे हैं—सम्पूर्ण भारत पर भी एक राजा का राज्य नहीं रहा—अन्य देशों को फ़तह करना तो बात ही और है। कहा जाता है कि छन्द्रगुप्त ने या चिरकाल पश्चात् अकबर ने भारत को एक शासनाधीन करने का यत्न किया। औरंगजेब कुछ कामयाब हुआ किन्तु इसी यत्न से उस

का साम्राज्य न पृष्ठ हो गया—फिर अंग्रेजों ने सारे भारत को स्वाधीन करके सब भारतीयों को एक जाति बनाने में सहायता दी है-इस कथन में बहुत लंघाई है किन्तु हमें भारत के वे दिन जब भूलने चाहिये जब भारत उत्तरि के शिखर पर था । यदि यहाँ छोटे २ राजा होते थे तो हमारे पूर्वोन्न यव्यों में बड़े २ नृपतियों के नाम क्यों आते हैं ? सबसे छोटा नृपति-पूजा शासक राजा कहलाता था किन्तु राजा-ओं पर भी शासन करने वाले भिन्न २ नृपतियों-की पदवियों के नाम आये हैं-जैसे सम्राट्, सराट्, विराट्, महाराज, अधिराज, महाराजाधिराज, राजराज, चक्रवती, एकराट्, विश्वराट् सार्वभौम ।

अब इन शब्दों के अर्थ जो अमरकोषादि में दिये हैं देखने से पूर्णतया विश्वास हो जावेगा कि जिन २ नृपतियों के साथ यह उपाधियाँ लगाई जाती थीं--वे सार्थक होंगी-उन राजाओं ने अवश्य-सेव अपनी विजय पताका देश देशान्तरों और द्वीप-द्वीपान्तरों में फहरायी होंगी, देखिये ।

सम्राट्—येनेष्टं राजसूयेन मंडलस्येश्वरश्च यः ।  
शास्ति यश्चाक्षया राक्षः स सम्राट् ॥

जिसने राजसूय यज्ञ किया हो, जो राजाओं पर शासन करता हो, जो Paramount Sovereign हो-वह सचाद् कहलाता है :

चक्रवर्ती—आसमुदक्षितीश—खमुद्रों से घिरी हुई सारी पृथिवी का जो खासी हो-उसे ही चक्रवर्ती कहते हैं ।

एकराट् का भी यही अर्थ है-ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है:-

“पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति” समुद्र तक जिस पृथिवी की सीमाएँ फैली हुई हैं, उस पर शासन करने वाले नृपति को एकराट् कहते हैं, वह सब पृथिवी पर एकाकी राजा होता है। उसी की आज्ञाएँ सब द्वीप द्वीपाभतरों के राजा पालन करते हैं । वही राजराजेश्वर होता है Universal Sovereign. उसे ही कहते हैं। उसी का नाम सार्वभौम है किन्तु विश्वराट् का शब्द अतीव सार्थक और रहस्यपूर्ण है । जो विश्व सारे संसार न कि केवल पृथिवी का ही-एकाकी राजा हो-उसे विश्वराट् कहते हैं । भागवत पुराण में मान्धाता महाराज के बारे में यूँ लिखा है:- “उन सूत्यप्रतिज्ञ नरपति मांधाता ने क्रमानुसार सम्पूर्ण

भूमरडल को जीत कर राजार्थी के अधीन्वर ही सार्वभौम उपाधि प्राप्त की ॥

यह नाम केवल पुस्तकों में लिखने के लिये ही नहीं थे बल्कि चिह्नासन पर बैठले हुए ग्रन्थिक राजा वा सचाट् के राज्यतिलक समय यह सार्वभौम होने का आदर्श सामने रखा जाता था जिसका परिणाम यह अवश्य होता था कि महावीर युद्धरसिक, शक्तिशाली, राज्यनीलिकुशल, पराक्रमी राजाअवश्यमेष एकराट्, विश्वराट्, चक्रबत्ती वा सार्वभौम होने का यत्न करते थे । यदि यहाँ तक कलकार्य न होते थे तो सचाट् तो बलही जाते थे अर्थात् भारत देश को कन्याकुमारी से काश्मीर देश तक वा बिन्ध्याचल से हिन्दुकुश पर्वत तक राज्य प्राप्त करलेते थे । ऐसे बहुत अहेष्वरीं के नाम संस्कृत साहित्य में मिलते हैं- उदाहरणार्थ हम कुछ सूचियाँ यहाँ यैश करते हैं ।

शतपथ ब्राह्मण १३. ५. ४ में अश्वमेघ यज्ञ करने वाले राजाओं के नाम दिये हैं। किन्तु पहिले यह भी जात होना चाहिये कि अति पूर्वीन काल में अश्वमेघ यज्ञ करने का अधिकार किस नृपति को होता था ? आपस्तुष्म श्रौत सूत्र २०. १०. १ में कहा हैः “राजा सार्व-

भौमोऽश्वसेधेन यजेत्" साधैभौम राजा ही अश्वसेध यज्ञ करे। प्राचीन काल में तो इस नियम पर अवश्य काम किया जाता होगा यद्यपि पीछे इसकी बहुत परवाह न की गयी हो। शतपथ में तेरह महाराजों के नाम आये हैं जिन्होंने अश्वसेध यज्ञ किया, यदि सारी भूमि उनके आधीन न भी हो तो भारतवर्ष का महाराज होने में संशय नहीं हो सकता। उनके नाम तथा जिस जाति के वे थे यूँ दिये हुए हैं—

१. जनसेजय पारिक्षित जो महाराज युधिष्ठिर का पौत्र था ।

२. भीमसेन                          परीक्षित के भाई  
 ३. उग्रसेन                          थे जिन्होंने एक  
 ४. श्रुतसेन :                        दूसरे के पश्चात् राज्य किया।

५. पर आट्णार—कोसलदेश

६. युहुकुट्टु—द्वष्वाकूवंशजि

७. महत आविक्षित—अयोगवजाति

८. क्रैठ्य—पांचाल जाति

९. छवसा द्वैतवन्—मत्स्य जाति

१०. भरत द्वैठ्यन्ति—मध्यदेश

११. ऋषभ यज्ञातुर—शिक्नजाति :

१२. सात्रासाह—पांचालदेश

१३. शतानीक सात्राजित

अब ऐतरेय ब्राह्मण की साक्षी लीजिये । उस में बारह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं के नाम दिये हैं जिन में से जन्मेजय, महत, आविक्षित, दौ-ज्यन्ति और शतानीक के नाम शतपथ वाली सूची में ऊपर दिये जा चुके हैं । आठ नाम नये हैं उसमें राजाओं की जाति नहीं दी बल्कि पुरोहितों के नाम दिये हैं । हम यहां उन आठ सार्वभौम राजाओं के नाम देते हैं जिन की छत्रछाया में सारी भूमि नहीं तो सम्पूर्ण भारतवर्ष तो अवश्यमेव था ।

१४. शर्याति मानव, १५. आस्वष्ट्य १६. युधा ।  
श्रौष्ठि १८. विश्वकर्मा भौवन १९. सुदास पैजवन,  
अंगविरोचन २१. दुर्मूख पाँचाल २२. अत्यराति जानन्तपि ।

उक्त बाईस महाराजाओं के शासनकाल में ही यह भारत एक जाति, एक भाषा, एक वैदिकधर्म और लगभग समान रीति रिवाजों के धारण करने वाला ही नहीं था बल्कि अन्य कई महाराजाओं के समय

भी जातीयता, एकता, समाजता, आत्मभाव की लहरें भारत में छलती थीं। छोटे २ राजाओं के राज्यों में भारत विभक्त हो गया था बस्तिक मारडलिक राजाओं के ऊपर शासन करने वाले राजेश्वर चक्रवर्तिन् महाराज सौजूद होते थे। गरुड पुराण १४४१. ४० में सूर्यवंशी चन्द्रवंशी तथा अन्य वंशों के उन महाराजों के नाम दिये हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किये। यह अति प्राचीन राजागण हैं इन के नाम ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं आये क्योंकि कहा अपेक्षाया अर्वाचीन राजराजेश्वरों के नाम दिये दुए हैं। उक्त पुराण में २० बीस नाम आये हैं जो यह हैं:—

२३. मनु	३१. निमि
२४. दिलीप	३२. पृथु
२५. मान्धाता	३३. ययाति
२६. सगर	३४. नहुष
२७. भगीरथ	३५. पुरु
२८. अस्वरोष	३६. दुष्यन्त
२९. अनरण्य	३७. शिवि
३०. मुच्चुकुम्द	३८. नल

३८. भरत

४१. पाण्डु

४०. शनिन्

४२. उहस्त्रार्जुन

उक्त बीमा राजराजेश्वरों के नाम गहड़ पुराण में ही नहीं दिये गये छत्तिक रामायण, महाभारत तथा 'अन्य पुराणों', कालिदास के रघुवंश आदि में पृथक् २ तौर पर इन का वर्णन आया है और वहाँ उन्हें अश्वमेध यज्ञ के करने वाला माना है। अतः वे मिथ्या नहीं हो सकते। उन महाशयों ने इस आर्यावर्त्त देश में अपनी विजयपता का एक सिरे से दूसरे सिरे तक अवश्य फहरायी। उन में से कई एक ने विदेशी राजाओं के सिर भीचे किये जैसे रघु ने अफगानिस्तान, विलोचिस्तान और फारस को बीरता पूर्वक जीत कर भारत के आधीन किया। कालिदास ने इस विजय का जो वर्णन रघुवंश में किया है वह यहाँ देने योग्य है किन्तु स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिया जाता।

अब मैत्र्युपनिषद् पृ० १० ख० ४ में जिन नये अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजाओं का नाम दिया है जिन्हें उपनिषद्कार ने स्वयम् चक्रवर्ती कहा है--उन सब के नाम यहाँ दिये जाते हैं जो नाम पहिले आचुके

हैं वे यह हैं:-याति, अम्बरीष, अनरण्य, भरत ।  
तेरह नये नाम दिये हैं इस प्रकार अब तक ४५  
चक्रवर्ती सार्वभौम राजाओं के नाम हम जिन चुकेगेः-

४३. उद्युम्न	४८. अश्वपति
४४. मूरिद्युम्न	५०. शशविन्दु
४५. इन्द्रद्युम्न	५१. हरिष्वंद्र
४६. कुवलयाम्न	५२. ननकु
४७. यौवनाम्न	५३. सर्योति
४८. वदधूयाम्न	५४. अक्षसेन
	५५. मरुत्

शांखायन औत सूत्र १६.९ में भी अश्वमेघ करने  
वाले महेश्वरों के नाम आये हैं जिनमें से केवल एक  
नाम है 'शेष छैः' के नाम ऊपर आचुक है । वह नाम  
नाम ५६. वैदेह अल्हार है ।

महाभारत एक बहुत चागर है उसमें से चक्र-  
वर्ती राजाओं की सूची निकालना एक महायतन  
का काम है--वह सूची बस्तुतः अतीव रोचक होगी  
और ऊपर किये हुए नामों की पुष्टि करने वाली  
भी अवश्य होगी । यहाँ पर केवल शांतिपर्व २८  
अध्याय में १६ महाराजों के नाम दिये हैं जिनमें से

मरुत, भैरव, भगीरथ, मान्धाता, ययाति, अंबरीष, शश-  
विन्दु, सगर, पृथु के नाम तो पूर्व दिये जा चुके हैं  
किंतु कुछ लघे नाम भी दिये हैं जो यह हैं:—

५७. उषोन्नीष

६० गय

५८. वृहद्दृष्ट

६१ रन्तिदेव

५९. श्रीराम

६२. युधिष्ठिर

कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी बहुत से चक्रवर्ती  
महाराजों के नाम दिये हैं जिन की यह गिनती हैः—

६३. नाभाग

६४. सौवीर

६४. डारहृष्यक-भौज

७१. राष्ट्रण

६५. वैदेह--कराल

७१. दुर्योधन

६६. तालजंघ

७२. डम्बोद्धव

६७. ऐल

७३. हैहय-अर्जुन

६८. अजविन्दु

७४. वातापि

अठारह पुराणों को यदि ध्यान से पढ़ा जावे तो  
उक्त ७४ लार्वभौम महाराजाओं के अतिरिक्त अन्य  
बहुत से राजराजेश्वरों के नाम प्राप्त होंगे । जैन  
केवल इस विषय का ख्याल करते हुये पुराणों को  
नहीं पढ़ा । इस काल्पनिक पट उस सागर में से

राजाओं के नाम लिखाउ कर पाठकों की भैंट नहीं  
किये जासकते। विष्णुपुराण में कई स्थानों पर  
चक्रवर्ती राजाओं के नाम आये हैं जिनमें से यदि  
वे ७४ महेश्वर छोड़ दिये जावें जिन के नाम ऊपर दिये  
गये हैं तो शेष पंचदश राजाओं के नाम यह हैं:=

७५. बली	८३. युवाश्व
७६. मस्त	८४. जयद्रथ
७७. ककुत्स्थ	८५. चन्द्र
७८. पुरुरवस	८६. रघु
७९. राघव	८७. कार्त्तवीय
८०. दशानन्	
८१. अविकोलुत	८८. महापद्मानन्द
८२. अभिषेत	८९. चन्द्रगुप्त

अन्य पुराणों में भी कुछ नये नाम मिलते हैं जैसे-

- ९०. कूर्मपुराण में वसुमना
- ९१. लिङ्गपुराण में कार्त्तवीर्य--अंजुन ९२. और उशना
- ९३. शिवपुराण में चित्ररथ
- ९४. भागवत पुराण में कुबलयाश्व ९५. और हडाश्व
- इन अति-प्राचीन राजराजेश्वरों को छोड़ कर

यदि हम ईसाबद् के आस पास के समय तथा ६ सौ वर्ष पीछे तक का हाल लें तो उस में भी अश्वमेध यज्ञ करने वाले पांच राजाओं के नाम मिलते हैं उन की शक्ति भारत वर्ष में सुवृहत् यी यद्यपि सम्पूर्ण भारत-वर्ष के बीच इतिहासी थे तथापि भारतवर्ष का अधिकाँश उन के आधीन था । अपने पूर्वजों जैसे पराक्रमी, महाबलिवान्, साहस्री और शक्तिशाली वीर योधा न होने के कारण और विजय की नयी कठनाइयों से उत्सित होकर उक्त पांच राजाओं ने भारत के अधिकांश जीतने पर ही अश्वमेध कर दिया, यद्यपि भारतीय नैपोलियन समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किसी को अश्वमेध करने का अधिकार प्रतीत नहीं होता—किन्तु उन्होंने भारतवर्ष को एक छत्रच्छाया में लाने का बहुत यत्न किया और बहुत कुछ सुफळ हुए । उन के नाम यह हैं—

९६. पुश्यमित्र

९७. आदित्यसेन

९८. समुद्रगुप्त

९९. पुलिकेशी

१००. कुमारगुप्त

इस प्रकार अपने प्राचीन साहित्य में से एक सौ राजराजेश्वरों, चक्रवर्तियों, सार्वभौम महाराजों के नाम

हमने पाठकों के सामने रखे हैं--इन को राजराट्, सम्राट्, चक्रवर्ती, अखण्डभूमिप, चातुरन्तोराजा की उपाधि यां भी दी जातीं थीं—यह वे सहाराज हैं जिन के विषय में ग्रन्थकारों ने लिखा है। ‘अनन्या पृथिवीं भुद्धके, जो सारी भूमि पर ऐसा राज्य करते हैं कि कोई अन्य उन के उस स्वामित्व में भाग लेने वाला नहीं होता। इस से सिद्ध है कि भारतवर्ष के इतिहास में कम से कम एक सौ वार इस भूमि को फृत्तह करने का हमारे पूर्वजों ने यत्र किया और अपनी विजय पताका सौ वार इस सम्पूर्ण पृथिवी पर नहीं तो सम्पूर्ण भारत और उस के आस पास के देशों में फहरायी। क्या कोई अन्य ऐसा देश है जिस के ऐसे गौरवयुक्त कारनामे हों? एक रसुद्रगुस ( देखो ६७ संख्या ) के कारनामों को देख कर आङ्गुल ऐतिहासिकों ने उसे भारतीय नैपोलियन की उपाधि दी है किन्तु जब रघु, मान्धाता, सगर, दिल्लीप, राम, युधिष्ठिर आदि एक सौ महावीरों ने भारत की सौमाओं से गुज़र कर समुद्रों पार होकर भूमिनरेशों को स्वाधीन किया और सारी पृथिवी का या उस के अधिक भाग का भ्राग किया तो क्या हम अब भी दिश्वाष्पूर्वक नहीं

कहुं संकते कि यह पुण्यभूमि भारत वीरजननी है—उस में एक सौ नैपोलियन हो चुके हैं जिन्होंने द्वीप द्वीपान्तरों और देश देशान्तरों को फ़तह करके अपनी मातृभूमि के यश, गौरव, कीर्ति को प्रज्वलित करके उस की सभ्यता भूमि पर फैलाई। ऐसी भारतभूमि, महावीरजननी रत्नगर्भा को सहस्रशः धन्यवाद हो ! उसे ही वारम्बार हमारा नमस्कार हो !! परमपिता की कृपा हो कि उस की विजय ध्वनि से पुनः संसार गूँज उठे !!



# अर्थशास्त्र-धनविद्या ।

लेखक प्रो० बालकृष्ण एम० ए०, अर्थ-शास्त्र महोपाध्याय  
युरुद्गुल कांगड़ी हरिहार

पृष्ठ ५६० कीमत केवल ३॥

इस को अपने पास रखने से आप  
मालामाल हो सकते हैं। रात दिन मौज  
करते हुए छः बीघे जमीन पर १०० रुपयां  
मासिक कमाने की विधियां; चार पाँच  
गुणां अधिक फसल पैदा करने के सरल  
उपाय, पशुपालन, कृषि, व्यापार, व्यव-  
साय, शिल्प, बंकों और कम्पनियों को  
उत्तम करने के नानाप्रकार के साधन  
बताये हैं। नवयुवकों शिक्षितों, स्त्रियों,  
देशशुधारकों को ऐसी रोचक, शिक्षाप्रद  
सुखपथ-दर्शक पुस्तक अवश्यमेव श्रीग्र-  
खरोदनी चाहिये ।

**समाचारपत्रों ने मुक्त कंठसे इस ग्रन्थ  
की प्रशंसा यों की है:—**

**सरस्वती प्रयाग**—इस शास्त्रके सिद्धान्तादि के ज्ञान  
और प्रचार की, इस समय, इस देश में, बड़ी ही आवश्यकता  
है। अतएव ऐसी समयोपयोगी पुस्तक लिखने के लिये प्रोफे-  
सर महाशय को बहुत २ साखुवाद्। ऐसी अच्छी और समयो-  
चित पुस्तक लेकर हमें उख से अवश्य लाभ उठाना चाहिए।

**चित्रसंग्रह जगत पूना**—आपने इस समय अर्थ-शास्त्र  
पर उपरोक्त महामान्य ग्रन्थ लिखकर हिन्दीभाषाभाषियों  
पर बड़ा भारी उपकार किया है। ऐसी अच्छी और समयोप-  
योगी पुस्तक का प्रत्येक भारतवासी के घरमें रहना आवश्य है।

**आर्यमित्र ॥ आगरा**—यह भारतीय अर्थ शास्त्र का  
धन विज्ञान का पूरा २ अर्वाचीन इतिहास है। विद्या, कृषि,  
शिल्पव्यवसाय इत्यादि भारतीय उपयोगी वास्तों का इस में  
यथोचित समावेश किया गया है। भारत के समुद्धिशाली क-  
नने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक देशाभिमानी आर्य पुरुष  
को इस पुस्तक का अध्ययन और मनन करना चाहिये। काई  
पूर्ण पेज वाली, इस अत्यन्त उपयोगी पुस्तक का मूल्य १॥।  
बहुत ही कम है।

**सच्चर्म्म प्रचारक देहली**—पुस्तक ज्ञान पूर्ण उपयोगी  
है। मूल्य १॥। बहुत थोड़ा है। छपाई कागज आदि उत्तम है।  
पुस्तक उपादेय है, और प्रत्येक भारत-वासी के पुस्तकालय में  
होनी चाहिये।

**वैदिक मैत्रजीन लाहौर**—लेखक अपने विषय का  
परिचय है, अर्थ-शास्त्र का विषय प्रतिपादन उसी परिचय-

तुसार प्रशंसनीय है। हर एक हिन्दी जानने वाले के पुस्तकालय में यह पुस्तक होनी चाहिये।

वैल्थ आव इन्डिया भद्रास-हर्म विश्वास है कि अर्थ-विषय के अल्प साहित्य में इस पुस्तक से एक महती वृद्धि हुई है।

मुसाफ़र आगरा—आज तक देवनागरी भाषा में अर्थशास्त्र की इस पाये की एक भी पुस्तक नहीं लिखी गई। हमारी सम्मति में यह पुस्तक सर्व हिन्दी जानने वाले महाशयों के पुस्तकालय में रखने और ध्यान पूर्वक अध्ययन किये जाने के योग्य है।

प्रभात लाहौर—भाषा सरल कागज़ चिकना और बु-पाई उत्तम है। पुस्तक की उपादेयता के सम्बन्ध में कुछ कहना सूर्य को दीपक से देखना है।

प्रकाश लाहौर—पुस्तक इलमियत (विद्वत्ता) से लिखी गई है और मालूमात से पुर है। भारत की आर्थिक दशाओंको मामूल से ज़ियादा जगह दी गई है जिससे यह पुस्तक भारतवासियों के लिये और भी ज़ियादा लाभकारी बन गई है। हम आशा करते हैं कि हर एक शख्स जो इस विद्या को जानना चाहता है इस किताब की एक कापी ज़रूर ख़रीद करेगा।

शुक्रनीति-हिन्दी। अतिप्रसिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद नोटों सहित तथ्यार हो रहा है।

प्रतिनिधि-राज्य—तत्त्ववेत्ता मिल साहब के Representative Government का हिन्दी अनुवाद ॥

आर्थ्य पुस्तक-भंडार

गुरुकुलकाश्मी हरिद्वार

# सचिवन् विकासवाद ।

गुरुकुलकाङ्गड़ी हरिद्वार के प्रोफेसर साठे जी M. A. कृत हिंदी-भाषा अत्यवृत्त सरल और मधुर है ।  
पृष्ठ २०+२७१ साईंज बड़ा, चित्र २९ ।  
मूल्य २) ८०

श्रोयुत प्रो० विनयकुमार सरकार एम. ए. लिखते हैं:—बी. ए. और एफ. ए. के विद्यार्थियों को टेक्स्टबुक (Text Book) के तौर पर पढ़ना चाहिये। पुस्तक की लेखनशैली बहुत अच्छी है और सायन्स से अपरिचित मनुष्य भी इसे बड़े प्रेम से पढ़ते हैं ।

---

नहीं पुस्तक !

अपूर्व पुस्तक !!

## महार्षि पतंजलि और तत्कालीन भारत ।

लेखक—(प्रतिष्ठित) स्नातक चन्द्रमणि विद्यालंकार ।

यदि आप महर्षि पतञ्जलि के विषय में कुछ जानना चाहते हैं, यदि आप पतञ्जलि के समय का वास्तविक भारत-इतिहास जानने के उत्सुक हैं, यदि आप महाभाष्य जैसे बड़े भारी ग्रन्थ का ऐतिहासिक निचोड़ बिना किसी परिश्रम के देखना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये मूल्य [=] है ।

आर्य पुस्तक-भंडार

गुरुकुलकाङ्गड़ी हरिद्वार

